



भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
Ministry of Panchayati Raj
Government of India



जन योजना अभियान 2026-27

सबकी योजना, सबका विकास

पंचायत विकास योजना
की तैयारी 2027-28



सशक्त पंचायत सतत् विकास

सशक्त पंचायत, सतत् विकास





जन योजना अभियान

2026-27

सबकी योजना, सबका विकास

पंचायत विकास योजना की तैयारी

2027-28

सशक्त पंचायत, सतत विकास

पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार





विषय-सूची

अध्याय संख्या	अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या
1	जन योजना अभियान (People's Plan Campaign - PPC)	01
2	सोलहवाँ वित्त आयोग: एक अभूतपूर्व अवसर	22
3	आकांक्षा से क्रियान्वयन तक: ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करना	32
4	योजना को उच्च स्तर तक ले जाना: ब्लॉक एवं जिला पंचायत विकास योजनाएँ	46
5	पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA) क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)	55
6	पोर्टल पर पंचायत विकास योजना (PDP) अपलोड करने तथा प्रोफाइलर के सत्यापन की प्रक्रिया	63
7	योजना की गुणवत्ता का आकलन एवं सुधार	69
8	ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने हेतु ग्राम सभा	73
9	ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) हेतु पंचायती राज संस्थाओं (PRI) एवं स्वयं सहायता समूहों (SHG) का अभिसरण तथा ग्राम पंचायत गरीबी उन्मूलन योजना (VPRP)	77
10	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (CB&T)	81
11	परिशिष्ट	85





अध्याय 1

जन योजना अभियान

1.1 पृष्ठभूमि

भारत के संविधान का अनुच्छेद 243G पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में मान्यता प्रदान करता है तथा उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने का अधिकार एवं दायित्व सौंपता है। पंचायती राज मंत्रालय का उद्देश्य केंद्रीय एवं राज्य सरकार की योजनाओं के अभिसरण तथा उपलब्ध संसाधनों, जिनमें केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान भी शामिल हैं, के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर ग्राम पंचायतों को स्थानीय शासन एवं समग्र नियोजन के प्रमुख केंद्रों के रूप में सशक्त बनाना है। मंत्रालय साक्ष्य-आधारित नियोजन को समर्थन प्रदान करने के लिए सामुदायिक परिसंपत्तियों एवं व्यक्तिगत लाभार्थियों से संबंधित सूचनाओं के समेकन को भी सुगम बनाना चाहता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय विकसित भारत @ 2047 के दृष्टिकोण की प्राप्ति की दिशा में ई-ग्रामस्वराज जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के सहयोग से सरकारी पहलों के प्रति जागरूकता, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय तथा क्षमता निर्माण पर भी विशेष बल देता है।

स्थानीय शासन की जमीनी स्तर की संस्थाओं के रूप में पंचायतें नागरिकों को बुनियादी सेवाएँ उपलब्ध कराने तथा समाज के गरीब एवं वंचित वर्गों की कमजोरियों और समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सहभागी निर्णय-निर्माण एवं योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने में ग्राम सभाओं की केंद्रीय भूमिका होगी। विकसित भारत @ 2047 के दृष्टिकोण की प्राप्ति में पंचायतों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रामीण भारत का विकास देश की समग्र प्रगति का अभिन्न अंग है। इस दायित्व का प्रभावी निर्वहन सुविचारित, सहभागी, समावेशी एवं अभिसरण-आधारित पंचायत विकास योजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसी योजनाएँ उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करते हुए स्थानीय आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए।

जन योजना अभियान अर्थात् “सबकी योजना, सबका विकास” जमीनी स्तर पर राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं को क्रियान्वयन योग्य योजनाओं में रूपांतरित करने के लिए एक महत्वपूर्ण रूपरेखा प्रदान करता है। यह विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों के विभागों तथा संबंधित विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अभिसरण को सुगम बनाता है, जिससे ग्रामीण समुदायों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समन्वित प्रयास सुनिश्चित किए जा सकें। अतः पंचायत विकास योजना केवल पंचायत द्वारा प्रस्तावित कार्यों का विवरण मात्र नहीं है, बल्कि यह स्थानीय प्राथमिकताओं, विभिन्न विभागों के हस्तक्षेपों तथा उपलब्ध संसाधनों को एक साझा विकास रूपरेखा में एकीकृत करने का एक व्यापक साधन है।

नियोजन प्रक्रिया को साक्ष्य-आधारित, व्यापक एवं सहभागी बनाने की परिकल्पना की गई है, ताकि संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ अभिसरण सुनिश्चित किया जा सके। ये विषय सतत विकास लक्ष्यों के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं, जो जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के महत्व को रेखांकित करते हैं। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु निर्धारित नौ विषयगत क्षेत्रों के माध्यम से परस्पर संबद्ध विकास प्राथमिकताओं के समाधान के लिए एक रूपरेखा उपलब्ध होती है। वहीं, पंचायत विकास सूचकांक, पंचायतों को अपनी विकासात्मक स्थिति का आकलन करने तथा उन क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता प्रदान करता है, जहाँ केंद्रित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, ई-ग्रामस्वराज जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पंचायत विकास योजनाओं के निर्माण, प्रलेखन एवं निगरानी को सुगम बनाते हैं, जिससे नियोजन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

ग्राम पंचायत स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को ठोस परिणामों में परिवर्तित करने के लिए विकेंद्रीकृत नियोजन तंत्र को सुदृढ़ करना आवश्यक है। इसके लिए ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी, सामुदायिक संस्थाओं की प्रभावी सहभागिता तथा ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों, संबंधित विभागों एवं अन्य हितधारकों के बीच समन्वय एवं अभिसरण सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके साथ ही, उपलब्ध वित्तीय एवं मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग तथा सामुदायिक परिसंपत्तियों का प्रभावी कार्यान्वयन एवं रखरखाव भी आवश्यक है। एक व्यवस्थित एवं समावेशी नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से जन योजना अभियान का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि विकास संबंधी हस्तक्षेप ग्रामीण समुदायों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप हों। इसमें संविधान के भाग IX के दायरे से बाहर पारंपरिक संस्थाओं द्वारा शासित क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं।

ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषय

1	कृषि, जिसमें कृषि विस्तार भी शामिल है	2	भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि का समेकन तथा मृदा संरक्षण
3	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन तथा जलग्रहण क्षेत्र का विकास	4	पशुपालन, डेयरी तथा कुक्कुट पालन।
5	मत्स्य पालन।	6	सामाजिक वानिकी तथा कृषि वानिकी
7	लघु वनोपज	8	लघु उद्योग, जिनमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल हैं
9	खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग	10	ग्रामीण आवास
11	पेयजल	12	ईंधन एवं चारा

13	सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी सेवाएँ, जलमार्ग तथा संचार के अन्य साधन	14	ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसमें विद्युत वितरण भी शामिल है
15	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
17	शिक्षा, जिसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय भी शामिल हैं	18	तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा
19	प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा	20	पुस्तकालय
21	सांस्कृतिक गतिविधियाँ	22	बाजार एवं मेले
23	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा औषधालय भी शामिल हैं	24	परिवार कल्याण
25	महिला एवं बाल विकास	26	समाज कल्याण, जिसमें दिव्यांगजनों तथा मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण भी शामिल है
27	कमजोर वर्गों का कल्याण, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	28	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
29	सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव		

1.2 सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण एवं पंचायत विकास योजनाओं में उनका एकीकरण

सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए बेहतर एवं सतत भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक व्यापक रूपरेखा हैं। सतत विकास हेतु वर्ष 2030 के एजेंडा के अंतर्गत सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा 17 सतत विकास लक्ष्यों तथा उनसे संबंधित 169 लक्ष्यों को अपनाया गया और उन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार भी संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के वर्ष 2030 के एजेंडा की हस्ताक्षरकर्ता है तथा बहुआयामी रणनीति अपनाकर इन लक्ष्यों एवं संबंधित उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

Sustainable Development Goals



पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति, स्वच्छता, आंतरिक सड़कों, जल निकासी, पथ प्रकाश, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण आदि सहित महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषय सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। इसके अतिरिक्त, चूँकि भारत की लगभग 68% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई करना आवश्यक है। अतः सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण में पंचायती राज संस्थाओं, विशेषकर ग्राम पंचायतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में, सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 'पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण' विषय पर एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट का विमोचन माननीय पंचायती राज मंत्री द्वारा दिनांक 07.12.2021 को किया गया।

समिति ने 17 सतत विकास लक्ष्यों को समेकित करके सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के 9 विषयगत क्षेत्रों को अपनाने की सिफारिश की। यह विषयगत दृष्टिकोण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए अधिक प्रासंगिक है तथा उनमें अपनत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। सामुदायिक सहभागिता के साथ पंचायतों द्वारा इन लक्ष्यों को आसानी से समझने, स्वीकार करने एवं क्रियान्वित करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 17 सतत विकास लक्ष्यों को LSDGs के 9 विषयगत क्षेत्रों में समाहित किया गया है। इन विषयगत क्षेत्रों का संबंधित सतत विकास लक्ष्यों, नोडल मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकार के प्रमुख विभागों के साथ मानचित्रण निम्नानुसार है:

विषय सं.	विषयगत क्षेत्र (Theme)	संबंधित सतत विकास लक्ष्य (SDGs)	नोडल मंत्रालय	प्रमुख मंत्रालय/विभाग
1	गरीबी-मुक्त एवं आजीविका संवर्धित पंचायत	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 एवं 15	ग्रामीण विकास मंत्रालय	कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा कौशल विकास मंत्रालय/विभाग
2	स्वस्थ पंचायत	2 एवं 3	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	आयुष, महिला एवं बाल विकास तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय/विभाग
3	बाल-सुलभ पंचायत	1, 2, 3, 4 एवं 5	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय/विभाग
4	जल-पर्याप्त पंचायत	6 एवं 15	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय	पेयजल एवं स्वच्छता, कृषि एवं किसान कल्याण तथा भूमि संसाधन मंत्रालय/विभाग
5	स्वच्छ एवं हरित पंचायत	6, 7, 12, 13, 14 एवं 15	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा; तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय/विभाग
6	आत्मनिर्भर अवसंरचना युक्त पंचायत	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 एवं 11	ग्रामीण विकास मंत्रालय / पंचायती राज मंत्रालय	ग्रामीण विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार मंत्रालय/विभाग
7	सामाजिक रूप से न्यायसंगत एवं सुरक्षित पंचायत	1, 2, 5, 10 एवं 16	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	ग्रामीण विकास, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय/विभाग
8	सुशासन युक्त पंचायत	16	पंचायती राज मंत्रालय	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार मंत्रालय/विभाग
9	महिला-अनुकूल पंचायत	1, 2, 3, 4, 5 एवं 8	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास तथा कौशल विकास मंत्रालय/विभाग

तदनुसार, पंचायती राज मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर पंचायतों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को सुगम बनाने के लिए 'समग्र सरकार एवं समग्र समाज' के दृष्टिकोण के सिद्धांतों के अनुरूप 17 सतत विकास लक्ष्यों को समेकित करके 9 व्यापक विषयगत क्षेत्रों में विभाजित करते हुए विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है। इस रूपरेखा को अपनाए जाने के पश्चात, वर्ष 2023-24 से पंचायत

विकास योजनाएँ विषयगत गतिविधियों के आधार पर तैयार की जा रही हैं। इससे पंचायतों को चरणबद्ध एवं सुव्यवस्थित तरीके से वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देने में सहायता मिल रही है। यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं पर बल देता है:

1. क्षेत्रवार प्रमुख योजनाओं का अभिसरण: विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख योजनाओं के बीच समन्वय एवं अभिसरण सुनिश्चित करना
2. प्राथमिकता प्राप्त स्थानीय आवश्यकताओं की संतृप्ति: स्थानीय स्तर पर चिन्हित प्राथमिकता वाली आवश्यकताओं की पूर्ण पूर्ति सुनिश्चित करना
3. डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग: पारदर्शिता, जवाबदेही एवं कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का प्रभावी उपयोग करना।

सतत विकास लक्ष्य रूपरेखा के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ण संतृप्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से, साक्ष्य-आधारित एवं वास्तविक समय के आँकड़ों के माध्यम से विकास संबंधी कमियों की पहचान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत विकास सूचकांक विकसित करने की पहल की है। यह सूचकांक प्रगति के आकलन, विकास संबंधी कमियों की पहचान तथा आँकड़ा-आधारित योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन को सक्षम बनाने के लिए एक सुदृढ़ उपकरण के रूप में कार्य करता है। पंचायत विकास सूचकांक पंचायतों को प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक हस्तक्षेपों का निर्धारण करने तथा प्रमुख विकास संकेतकों की चरणबद्ध संतृप्ति सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करता है।

1.3 पंचायत विकास सूचकांक

पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण एवं उनकी प्राप्ति की दिशा में कार्य करने हेतु मंत्रालय द्वारा की गई इस महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के माध्यम से स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति का आकलन एवं निगरानी स्थानीय स्तर पर किया जाना आवश्यक है। जमीनी स्तर पर परिणामोन्मुखी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु साक्ष्य-आधारित तंत्र को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, मंत्रालय ने पंचायत विकास सूचकांक विकसित किया है। यह एक ऐसा उपकरण है, जिसे देशभर की ग्राम पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के समकक्ष निकायों की क्रमिक प्रगति का आकलन करने तथा उनके बहुआयामी विकास की निगरानी करने के लिए तैयार किया गया है।



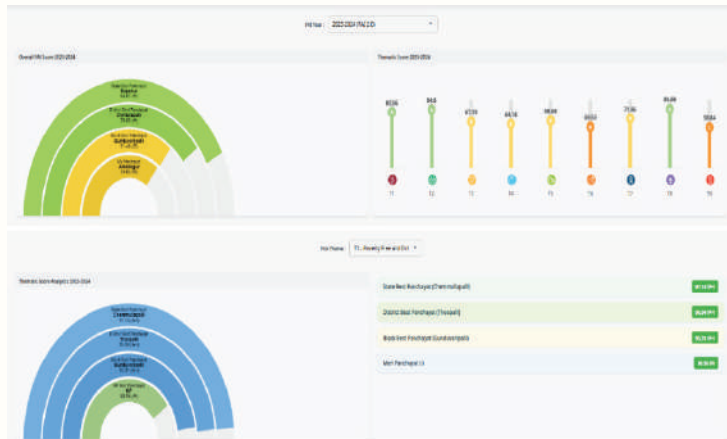
यह बहुआयामी सूचकांक ग्राम पंचायतों/पारंपरिक स्थानीय निकायों के शासन, ग्रामीण अवसंरचना, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य एवं पोषण, पर्यावरण तथा आर्थिक विकास आदि क्षेत्रों में प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए आँकड़ा-आधारित दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह सूचकांक ग्राम पंचायतों को स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों के नौ विषयगत क्षेत्रों में अपनी शक्तियों की पहचान करने तथा महत्वपूर्ण विकास संबंधी कमियों को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। साथ ही, यह जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की गति को तेज करने के लिए प्राथमिकता-आधारित एवं लक्षित हस्तक्षेपों को सुगम बनाता है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत का मूल्यांकन नौ स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों के विषयगत क्षेत्रों से संबद्ध मानकीकृत एवं मापनीय संकेतकों के आधार पर किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विषय के लिए पृथक-पृथक अंक तथा समग्र अंक निर्धारित किए जाते हैं और प्राप्त अंकों के आधार पर ग्राम पंचायतों को विभिन्न प्रदर्शन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है।

PAI की श्रेणी	Score Range
A+	90 - 100
A	75 से 90 से कम
B	60 से 75 से कम
C	40 से 60 से कम
D	40 से कम

1.4 साक्ष्य-आधारित योजना निर्माण हेतु पंचायत विकास सूचकांक (PAI) का एकीकरण: ग्राम पंचायत विकास योजना

ग्राम पंचायत विकास योजना विकेंद्रीकृत नियोजन का प्रमुख साधन है, जिसके माध्यम से ग्राम पंचायतें स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान करती हैं, संसाधनों का आवंटन करती हैं तथा विकासात्मक गतिविधियों का कार्यान्वयन करती हैं। पंचायत विकास सूचकांक का ग्राम पंचायत विकास योजना के साथ एकीकरण आकलन एवं योजना निर्माण के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी स्थापित करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि विकास रणनीतियाँ साक्ष्य-आधारित हों तथा स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुरूप तैयार की जाएँ।



पंचायत विकास सूचकांक इस आवश्यकता की पूर्ति ग्राम पंचायतों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु एक एकीकृत मंच उपलब्ध कराकर करता है। यह कम प्रदर्शन वाले विषयगत क्षेत्रों की पहचान करने, साक्ष्य-आधारित ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में सहायता प्रदान करने, विकासात्मक हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देने तथा लक्षित क्षमता निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने में सहायक है।

ग्राम पंचायतें/ग्राम पंचायतों के समक्ष निकाय, पंचायत निर्णय एप्लिकेशन (<https://panchayatnirnay.gov.in>) पर ग्राम सभा की बैठकें निर्धारित करती हैं, जिनमें ग्राम पंचायत के मतदाताओं के अनुमोदन हेतु प्रारूप ग्राम पंचायत विकास योजना प्रस्तुत की जाती है। इस पोर्टल में प्रत्येक ग्राम पंचायत के पंचायत विकास सूचकांक के समग्र एवं विषयगत अंकों को प्रदर्शित करने की सुविधा भी समाहित की गई है। इन अंकों के माध्यम से विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के प्रदर्शन का आकलन किया जा सकता है तथा औसत एवं कमजोर प्रदर्शन वाले विषयों की पहचान की जा सकती है। इस पहल का उद्देश्य पंचायतों को अपने ब्लॉक एवं जिला स्तर पर अन्य पंचायतों की तुलना में अपने प्रदर्शन को समझने में सक्षम बनाना तथा औसत अथवा पिछड़े विषयगत क्षेत्रों में सुधार हेतु संकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत पंचायतें GPDP में स्थानीय स्तर पर की जाने वाली सुधारात्मक गतिविधियों को शामिल कर पंचायत विकास सूचकांक के अंकों में सुधार लाने तथा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति को गति प्रदान कर सकती हैं।

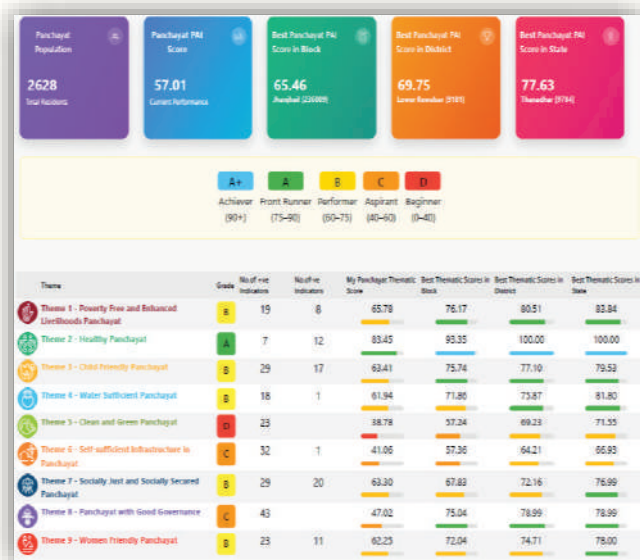
ग्राम पंचायतें/ग्राम पंचायतों के समक्ष निकाय, पंचायत निर्णय एप्लिकेशन (<https://panchayatnirnay.gov.in>) पर ग्राम सभा की बैठकें निर्धारित करती हैं, जिनमें ग्राम पंचायत के मतदाताओं के अनुमोदन हेतु प्रारूप ग्राम पंचायत विकास योजना प्रस्तुत की जाती है। पोर्टल में प्रत्येक ग्राम पंचायत के पंचायत विकास सूचकांक के समग्र एवं विषयगत अंकों को प्रदर्शित करने की

सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इन अंकों के माध्यम से विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के प्रदर्शन का आकलन किया जा सकता है तथा औसत या कमजोर प्रदर्शन वाले विषयों की पहचान की जा सकती है। इस सुविधा का उद्देश्य पंचायतों को ब्लॉक एवं जिला स्तर पर अपने प्रदर्शन की तुलनात्मक स्थिति समझने में सक्षम बनाना तथा औसत या अपेक्षाकृत पिछड़े विषयगत क्षेत्रों में सुधार हेतु संकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके माध्यम से पंचायतें PAI के अंकों में सुधार लाने के लिए स्थानीय स्तर पर की जाने वाली सुधारात्मक गतिविधियों को GPDP में शामिल कर सकती हैं, जिससे जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति को गति मिल सके।

ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया में पंचायत विकास सूचकांक का एकीकरण साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करके योजना निर्माण की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता को बढ़ाता है। विषयवार एवं संकेतक-स्तर पर विस्तृत आँकड़े उपलब्ध कराकर, PAI पंचायतों को स्थिति का सुदृढ़ विश्लेषण करने तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, आजीविका, पेयजल, ग्रामीण अवसंरचना, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा तथा लैंगिक समानता जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास संबंधी कमियों की पहचान करने में सहायता प्रदान करता है। यह विश्लेषणात्मक क्षमता ग्राम पंचायतों को सामान्य एवं परंपरागत योजना निर्माण के दृष्टिकोण से आगे बढ़कर ऐसी लक्षित रणनीतियाँ अपनाने में सक्षम बनाती है, जो विशिष्ट विकासात्मक कमियों को दूर करने पर केंद्रित हों। परिणामस्वरूप, GPDP के अंतर्गत संसाधनों का आवंटन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप एवं अधिक कुशलतापूर्ण हो जाता है। इससे समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय एवं संस्थागत संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग संभव हो पाता है।

जीपीडीपी (ग्राम पंचायत विकास योजना) के अंतर्गत विषयवार गतिविधियों को संबंधित विषयों के स्थानीय संकेतकों के साथ मैप किया गया है, ताकि ग्राम पंचायतों को संकेतकों के स्कोर तथा विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता वाले पहलुओं के आधार पर साक्ष्य-आधारित योजनाएँ तैयार करने की बेहतर समझ विकसित करने में सहायता मिल सके। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की गति तेज करने के लिए आवश्यक हस्तक्षेपों की पहचान करने में भी मदद मिलती है।

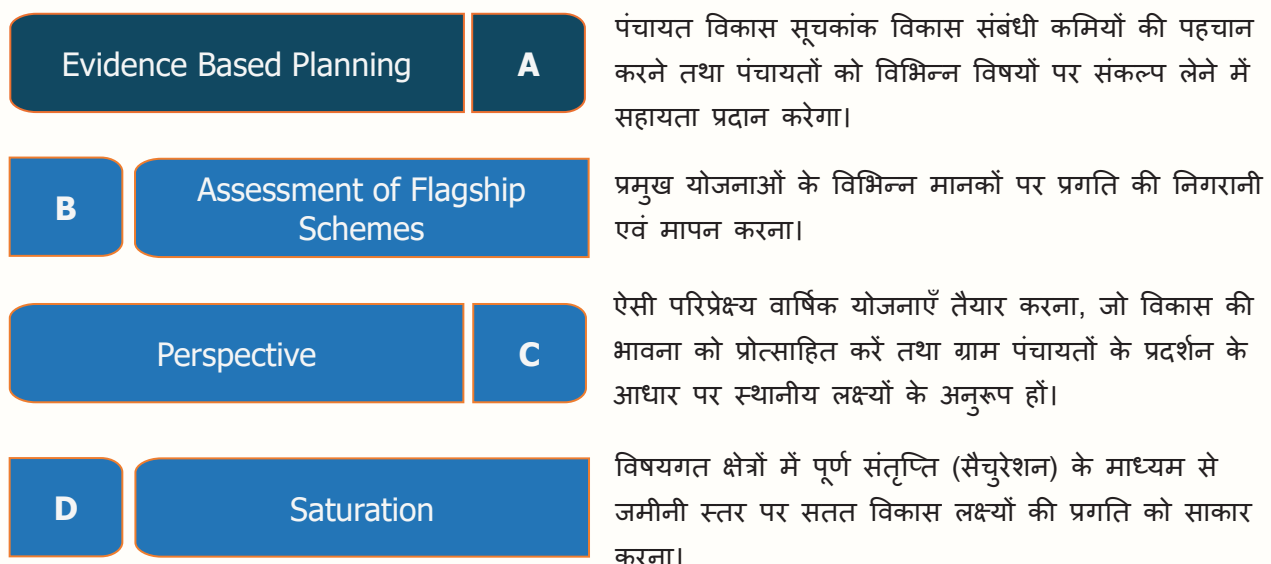
ग्राम पंचायत (GP) की PAI स्कोर कार्ड का उदाहरण



पंचायत विकास सूचकांक पोर्टल पर ग्राम पंचायतें अपना PAI स्कोर कार्ड देख सकती हैं, जिसमें समग्र एवं विषयगत स्कोर प्रदर्शित होते हैं। इसके माध्यम से ग्राम पंचायतें ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर अपने प्रदर्शन का विश्लेषण कर सकती हैं तथा इन स्तरों पर अन्य ग्राम पंचायतों के स्कोर से इसकी तुलना कर सकती हैं। इससे राज्य की ग्राम पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है और विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन सुधारने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

पंचायत विकास सूचकांक स्कोर कार्ड में 9 विषयों के अंतर्गत प्रत्येक संकेतक के ग्रेड प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके माध्यम से उन क्षेत्रों/क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है, जहाँ सुधार के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता है। साथ ही, संबंधित ग्राम पंचायत के समग्र एवं विषयगत स्कोर में सुधार हेतु इन हस्तक्षेपों को ग्राम पंचायत विकास योजना के साथ समन्वित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्यों के विषयों पर पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने तथा ग्राम पंचायत स्तर पर चिह्नित कार्यों/गतिविधियों के लिए अभिसरण तंत्र के माध्यम से संसाधनों के आवंटन पर विशेष बल दिया जाता है।

चित्र 1: PAI का ग्राम पंचायत विकास योजना के साथ संबंध



इसके अतिरिक्त, पंचायत विकास सूचकांक स्थानीय स्तर पर सहभागी नियोजन प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्राम सभा की बैठकों में पंचायत विकास सूचकांक के निष्कर्षों का प्रसार पारदर्शिता को बढ़ावा देता है तथा समुदाय की जागरूक एवं सूचित सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। जब नागरिकों को विकास के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में अपनी पंचायत के प्रदर्शन की जानकारी होती है, तो इससे मुद्दों को सामूहिक रूप से प्राथमिकता देने में सहायता मिलती है तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में जवाबदेही बढ़ती है। यह सहभागी दृष्टिकोण न केवल ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों की प्रासंगिकता को बढ़ाता है, बल्कि जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को भी सुदृढ़ करता है।

1.5 जन योजना अभियान

पंचायत विकास योजनाओं के निर्माण में जनभागीदारी को बढ़ावा देने और उसमें तेजी लाने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में 2 अक्टूबर से “सबकी योजना, सबका विकास” के रूप में जन योजना अभियान (पीपुल्स प्लान कैम्पेन) का शुभारंभ किया गया। यह अभियान पंचायतों के तीनों स्तरों पर समयबद्ध तरीके से सहभागितापूर्ण, समावेशी तथा स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित पंचायत विकास योजनाओं (PDPs) के निर्माण को सुनिश्चित करने हेतु एक प्रभावी संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है। इसका क्रियान्वयन अभियान के रूप में किया जाता है, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों, संबंधित विभागों के अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों, स्वयं सहायता समूहों, समुदाय-आधारित संगठनों तथा अन्य प्रमुख हितधारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने, हितधारकों की भागीदारी बढ़ाने तथा विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रियाओं को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने में अभियान की निरंतर सफलता से प्रोत्साहित होकर, वर्ष 2018 से इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जन योजना अभियान (पीपुल्स प्लान कैम्पेन - PPC) 2026-27 का शुभारंभ 2 अक्टूबर, 2026 से किया गया है। अभियान की अवधि के दौरान, वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाओं, ब्लॉक पंचायत विकास योजनाओं तथा जिला पंचायत विकास योजनाओं के निर्माण हेतु सुव्यवस्थित तरीके से वार्ड सभाओं, महिला सभाओं, ग्राम सभाओं, ब्लॉक सभाओं तथा जिला सभाओं का आयोजन किया जाता है।

योजना निर्माण प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन तथा उसे समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने हेतु अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियाँ प्रस्तावित हैं:

- i. **जागरूकता एवं अनुकूल वातावरण का निर्माण:** सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य, जिला, ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) संबंधी गहन गतिविधियों का संचालन।
- ii. **नियोजन कैलेंडर:** ग्राम सभाओं के व्यवस्थित आयोजन हेतु ग्राम सभा-वार कैलेंडर तैयार करना तथा उसे GPDP पोर्टल (<https://gdpd.nic.in/>) पर अपलोड करना।
- iii. **हितधारकों की सहभागिता:** ग्राम/वार्ड स्तर पर संबंधित विभागों के अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), समुदाय-आधारित संगठनों (CBOs) तथा उनके महासंघों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
- iv. **साक्ष्य-आधारित विकास अंतरालों की पहचान:** पंचायत विकास सूचकांक (PAI) के आधार पर विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में विद्यमान विकास संबंधी कमियों की पहचान करना तथा उन्हें ग्राम सभाओं में प्रस्तुत करना।

- v. **स्थानीय आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श:** चिन्हित विकास संबंधी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं पर संरचित तरीके से चर्चा करना।
- vi. **योजनाओं का अभिसरण:** विशेष ग्राम सभाओं के दौरान संबंधित विभागों के अग्रिम पंक्ति के कर्मिकों द्वारा अपने विभाग की प्रासंगिक योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी प्रस्तुत करना।
- vii. **संसाधनों का समेकन:** ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध सभी संसाधनों का समेकन करना, जिसमें केंद्रीय वित्त आयोग (CFC) एवं राज्य वित्त आयोग (SFC) के अनुदान, स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व (OSR) तथा विभिन्न केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को उपलब्ध धनराशि शामिल है। उपलब्ध संसाधनों का चिन्हित विकास संबंधी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकता-प्राप्त गतिविधियों के साथ मानचित्रण करना, ताकि विभिन्न योजनाओं का अभिसरण सुनिश्चित हो, कार्यों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके तथा उपलब्ध निधियों के प्रभाव को अधिकतम किया जा सके।
- viii. **पारदर्शिता संबंधी उपाय:** विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधियों के उपयोग की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में सार्वजनिक सूचना बोर्ड (PIBs) प्रदर्शित करना।
- ix. **डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग:** सार्वजनिक सूचना बोर्डों (PIBs) तथा ग्राम सभा की कार्यवाही के भू-टैगयुक्त फोटोग्राफ GPDP पोर्टल पर अपलोड करना। बैठकों के निर्धारण, कार्यसूची के प्रसार तथा कार्यवाही के अभिलेखीकरण हेतु पंचायत निर्णय मोबाइल एप्लिकेशन/मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करना।
- x. **योजना का अंतिम रूप देना एवं प्रकाशन:** ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs) को तैयार करना, उनका अनुमोदन प्राप्त करना तथा ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रकाशित करना।

1.6 जन योजना अभियान के विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व

जन योजना अभियान (पीपुल्स प्लान कैम्पेन - PPC) एक सहयोगात्मक पहल है, जिसका उद्देश्य व्यापक, समावेशी एवं सहभागितापूर्ण पंचायत विकास योजनाओं (PDPs) का निर्माण करना है। इस अभियान का संचालन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा केंद्रीय नोडल मंत्रालयों के समन्वय से किया जाता है। इसके क्रियान्वयन में राज्य के पंचायती राज विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, सुविधादाताओं तथा अग्रिम पंक्ति के कर्मिकों द्वारा अभियान को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाता है। प्रमुख हितधारकों की भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं:

1.6.1 पंचायती राज मंत्रालय

केंद्रीय नोडल मंत्रालय के रूप में, पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं:

- जन योजना अभियान तथा पंचायत विकास योजनाओं (PDPs) के निर्माण हेतु दिशानिर्देशों एवं मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करना तथा समय-समय पर उनका अद्यतन करना।
- नियोजन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा वित्तीय संसाधनों एवं पात्रताओं सहित संबंधित योजनाओं की आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय एवं संपर्क स्थापित करना, ताकि वे अपने संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर सकें।
- ग्राम पंचायत विकास योजना, ब्लॉक पंचायत विकास योजना तथा जिला पंचायत विकास योजना के निर्माण हेतु PPC डैशबोर्ड एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास करना तथा उन्हें क्रियाशील बनाना।
- पंचायत स्तर पर नियोजन प्रक्रिया के दौरान साक्ष्य-आधारित विचार-विमर्श एवं सूचित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करने हेतु डैशबोर्ड एवं पोर्टलों पर प्रासंगिक आँकड़ों और सूचनाओं को पूर्व-समाविष्ट करना।

1.6.2 राज्य पंचायती राज विभाग

राज्य स्तर पर पंचायती राज विभाग जन योजना अभियान का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करता है। इसके प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं:

- सशक्त समिति का गठन/सक्रियकरण: पंचायती राज के प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में प्रमुख संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों को सदस्य के रूप में शामिल करते हुए एक सशक्त समिति का गठन/सक्रियकरण करना, ताकि समिति निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित कर सके:
 - विभिन्न विभागों के बीच योजनाओं का अभिसरण एवं समन्वय सुनिश्चित करना।
 - योजनाओं के अभिसरण तथा संसाधनों के एकत्रीकरण के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करना।
 - गुणवत्तापूर्ण पंचायत विकास योजनाओं के समयबद्ध निर्माण हेतु अभियान की निगरानी करना तथा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना।
 - क्षेत्रीय स्तर पर आने वाली चुनौतियों का समाधान करना तथा आवश्यकतानुसार मध्यावधि सुधारात्मक उपाय करना।
- राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप PPC के दिशानिर्देशों एवं मानक संचालन प्रक्रियाओं को अपनाना/संशोधित करना।
- संसाधन उपलब्धता के अनुमान, निधि प्रवाह तंत्र, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर समन्वय संरचनाओं, मानव संसाधन की तैनाती तथा तकनीकी सहायता के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ स्थापित करना।

- राज्य एवं जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा पंचायत कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना।
- जागरूकता बढ़ाने तथा अभियान के अनुकूल वातावरण के निर्माण हेतु राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- अभियान के क्रियान्वयन की सतत निगरानी करना तथा उसके प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक पर्यवेक्षण प्रदान करना।

1.6.3 नोडल अधिकारी

प्रभावी समन्वय एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला एवं ब्लॉक-तीनों स्तरों पर नोडल अधिकारियों को नामित किया जाएगा। उनके प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं:

- संबंधित स्तर पर योजना निर्माण प्रक्रिया का समग्र समन्वय एवं निगरानी करना।
- विभिन्न योजनाओं के अभिसरण तथा विभागों के बीच अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना।
- योजना निर्माण दलों एवं सुविधादाताओं को आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना।
- प्रगति की नियमित रिपोर्टिंग करना तथा जन योजना अभियान (PPC) के संपूर्ण चक्र की व्यवस्थित तरीके से निगरानी करना।

1.6.4 समन्वयक

सहभागितापूर्ण एवं अभिसरण-आधारित योजना निर्माण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत तथा जिला पंचायत हेतु सुविधादाताओं की नियुक्ति की जाएगी। राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सुविधादाताओं के रूप में क्लस्टर रिसोर्स पर्सन्स, स्वयं सहायता समूहों के महासंघों के प्रतिनिधियों, सामाजिक अंकेक्षकों अथवा अन्य उपयुक्त कार्मिकों को नियोजित कर सकते हैं। उनके प्रमुख कार्य निम्नलिखित होंगे:

- (i) भाग लेने वाले विभागों के अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- (ii) निर्धारित दिवस पर ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण हेतु विशेष ग्राम सभा के आयोजन एवं संचालन में सुविधा प्रदान करना।
- (iii) ग्राम सभा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST), महिलाओं, अल्पसंख्यकों तथा दिव्यांगजनों सहित कमजोर वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सामुदायिक लामबंदी करना।
- (iv) ग्राम सभा में स्वयं सहायता समूहों, युवा समूहों, महिला मंडलों आदि की उपस्थिति एवं सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

- (v) ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर ग्राम पंचायत/ब्लॉक पंचायत/जिला पंचायत स्तर पर आयोजित ग्राम सभा के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना। (सुविधादाता की रिपोर्ट का प्रारूप अनुलग्नक-I में दिया गया है।)
- (vi) पंचायत विकास योजना तैयार करने में पंचायतों को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- (vii) ग्राम समृद्धि एवं लचीलापन योजना को ग्राम पंचायत विकास योजना में समेकित करने में सहयोग प्रदान करना।
- (viii) अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने में सहायता प्रदान करना।

1.6.5 अग्रिम पंक्ति के कार्मिक

विभिन्न संबंधित विभागों द्वारा नियुक्त अग्रिम पंक्ति के कार्मिक (Frontline Workers) पंचायत विकास योजनाओं (PDPs) में विभिन्न योजनाओं की गतिविधियों के अभिसरण को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के निर्माण हेतु जन योजना अभियान (PPC) के दौरान आयोजित दोनों ग्राम सभाओं में अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों/अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने, अपनी विभागीय योजनाओं की विशेषताओं, उपलब्ध संसाधनों आदि की जानकारी साझा करने तथा अपने विभाग की ग्राम कार्ययोजना (Village Action Plan) की गतिविधियों को GPDP में सम्मिलित करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 8 मंत्रालयों/विभागों के सचिवों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त परामर्शिका जारी की गई है (अनुलग्नक-II)।

जन योजना अभियान (PPC) के दौरान अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों द्वारा निम्नलिखित उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाना अपेक्षित है:

- ग्राम सभाओं में विभागीय योजनाओं, गतिविधियों, उपलब्ध संसाधनों तथा लाभार्थियों के कवरेज का विवरण प्रस्तुत करना।
- वर्तमान एवं पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान संचालित तथा पूर्ण की गई गतिविधियों की स्थिति, जिसमें निधियों के उपयोग का विवरण भी शामिल हो, साझा करना।
- आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित गतिविधियों, संभावित संसाधन आवंटन तथा संभावित लाभार्थियों का विवरण उपलब्ध कराना, ताकि उन्हें ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में सम्मिलित किया जा सके।

(अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों/संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु मॉडल प्रारूप अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न है।)

1.7 जन योजना अभियान (PPC) 2026-27 की समय-सीमा

1.7.1 केंद्रीय स्तर

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की जाएँगी:

क्र. सं.	गतिविधियाँ	समय-सीमा
1.	जन योजना अभियान (PPC) की प्रक्रिया प्रारंभ करने के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र जारी करना, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: (क) राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का अनुरोध। (ख) प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए सुविधाप्रदाताओं (Facilitators) की नियुक्ति का अनुरोध। (ग) नोडल अधिकारियों एवं सुविधाप्रदाताओं के लिए परिचयात्मक कार्यशाला/अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण का आयोजन। (घ) ग्राम सभा की बैठकों का कार्यक्रम अंतिम रूप से निर्धारित करने का अनुरोध। (ङ) PPC डैशबोर्ड पर ग्राम सभा-वार कैलेंडर अपलोड करना। (च) प्रत्येक ग्राम पंचायत में जन सूचना बोर्ड (Public Information Boards) प्रदर्शित करने का अनुरोध।	सितंबर, 2026 का चौथा सप्ताह
2.	केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को पत्र जारी करना, ताकि वे प्रभावी सहभागिता एवं अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपने समकक्ष विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करें।	सितंबर, 2026 का चौथा सप्ताह*
3.	GPDP पोर्टल आदि सहित सभी निगरानी प्लेटफॉर्म को सक्रिय करना।	30 सितंबर, 2026

1.7.2 राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर

राज्य स्तर पर जन योजना अभियान का समन्वय पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाएगा। पंचायती राज विभाग, जिला/ब्लॉक/ग्राम पंचायतों के सहयोग से, निर्धारित समय-सीमा के अनुसार ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित करेगा:

क्र. सं.	गतिविधियाँ	समय-सीमा
1	पंचायती राज विभाग द्वारा संबंधित विभागों को पत्र जारी करना, ताकि विशेष ग्राम सभा के दौरान केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी साझा की जा सके।	सितंबर, 2025 का तीसरा सप्ताह
2.	जन योजना अभियान 2026-27 के निगरानी प्लेटफॉर्म/पोर्टलों को सक्रिय करना।	30 सितंबर, 2026
3.	राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति।	सितंबर, 2026 का चौथा सप्ताह
4.	प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए सुविधाप्रदाताओं (Facilitators) की नियुक्ति।	सितंबर, 2026 का चौथा सप्ताह
5.	ग्राम सभा की बैठकों का कार्यक्रम निर्धारित करना।	1 अक्टूबर, 2026
6.	PPC पोर्टल पर ग्राम सभा-वार कैलेंडर अपलोड करना।	1 अक्टूबर, 2026
7.	प्रत्येक ग्राम पंचायत में जन सूचना बोर्ड (Public Information Board) प्रदर्शित करना।	1 अक्टूबर, 2026
8.	विशेष ग्राम सभा का आयोजन करना।	2 अक्टूबर, 2026
9.	प्रथम ग्राम सभा की बैठक के जियो-टैग किए गए दृश्य/फोटोग्राफ अपलोड करना।	अक्टूबर, 2026 का प्रथम सप्ताह
10.	राज्य एवं जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करना।	30 अक्टूबर, 2026
11.	केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित डेटा/सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु ब्लॉक स्तर पर संबंधित विभागों की कार्यशालाएँ आयोजित करना।	नवंबर, 2026 का प्रथम सप्ताह

क्र. सं.	गतिविधियाँ	समय-सीमा
12.	ग्राम पंचायत विकास योजना को अंतिम रूप देने एवं अनुमोदित करने के लिए ग्राम सभा आयोजित करना।	नवंबर, 2026 से जनवरी, 2026
13.	ग्राम पंचायत विकास योजना 2026-27 को अपलोड करना।	31 जनवरी, 2026

Note:

1. ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) का कैलेंडर तैयार करते समय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों से संबंधित विभागों के अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए।
2. ग्राम सभा की बैठकों में अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। अतः एक दिन में दो से अधिक ग्राम सभा बैठकें निर्धारित नहीं की जानी चाहिए।
3. राज्य एक ही तिथि को किसी ब्लॉक में एक से अधिक ग्राम सभा बैठकें निर्धारित कर सकते हैं, बशर्ते सभी बैठकों में संबंधित विभागों के अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो।
4. अभियान अवधि के दौरान अंतिम GPDP के अनुमोदन हेतु ग्राम सभा की एक अतिरिक्त बैठक आयोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। अनुमोदन के बाद ही योजना को e-GramSwaraj पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।
5. पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन संबंधित राज्यों के PESA अधिनियमों एवं PESA नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

1.7.3 ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर की गतिविधियाँ

- जागरूकता सृजन एवं सामुदायिक लामबंदी संबंधी पहलों के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना।
- बच्चों एवं महिलाओं की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की पहचान करने तथा उन्हें प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए ग्राम सभा से पूर्व बाल सभा (Bal Sabha) एवं महिला सभा (Mahila Sabha) का आयोजन करना।
- अनुमोदित कार्यक्रम/कैलेंडर के अनुसार ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन करना तथा पंचायत निर्णय एप्लिकेशन (Panchayat Nirnay Application) के माध्यम से बैठकों का पूर्व निर्धारण सुनिश्चित करना।
- ग्राम सभा में संबंधित विभागों के अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों तथा अन्य संबंधित हितधारकों को समय पर आमंत्रित करना और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना।

- ग्राम सभा के सदस्यों की अधिकतम उपस्थिति एवं सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयास करना।

- सभी सदस्यों को अपनी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं एवं सुझावों को पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण तरीके से व्यक्त करने के लिए समान अवसर प्रदान करना।

1.8 अभियान की गतिविधियों की प्रगति की रिपोर्टिंग एवं निगरानी

पंचायती राज मंत्रालय ने अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए एक पोर्टल/डैशबोर्ड (www.gpdp.nic.in) विकसित किया है। अभियान की प्रगति का आकलन करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों को पोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न रिपोर्टिंग प्रारूपों में अभियान से पूर्व, अभियान के दौरान तथा अभियान के पश्चात की गतिविधियों से संबंधित अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। विभिन्न स्तरों पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति एवं उनके लॉगिन क्रेडेंशियल तैयार करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अभियान के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। राज्य स्तर पर पोर्टल के संचालन हेतु संबंधित नोडल अधिकारियों के यूजरनेम एवं पासवर्ड पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) द्वारा केंद्र स्तर पर सृजित किए जाएंगे।

- जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत सुविधाप्रदाता स्तर: इन स्तरों पर पोर्टल के संचालन हेतु यूजरनेम एवं पासवर्ड संबंधित अगले उच्चतर स्तर के नोडल अधिकारियों द्वारा सृजित किए जाएंगे।

- संबंधित विभागों के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी: ये अधिकारी निर्धारित तिथियों पर ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने हेतु तैनात किए जाने वाले अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों की नियुक्ति करने तथा उनके नाम पोर्टल पर अपलोड करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

जन योजना अभियान की संक्षिप्त झलक

- प्रमुख सहभागितापूर्ण नियोजन पहल: वर्ष 2018 में सबकी योजना, सबका विकास के रूप में प्रारंभ किया गया जन योजना अभियान, प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से पंचायतों के सभी स्तरों पर पंचायत विकास योजनाओं के विकेंद्रीकृत एवं सहभागितापूर्ण निर्माण की प्रक्रिया को संस्थागत स्वरूप प्रदान करता है।
- ग्राम सभा-केंद्रित एवं समावेशी दृष्टिकोण: नियोजित ग्राम सभाओं के माध्यम से नियोजन प्रक्रिया संचालित की जाती है, जिसमें बाल सभा एवं महिला सभा सहित नागरिकों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), सामुदायिक आधारित संगठनों, निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा कमजोर एवं वंचित वर्गों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाती है।
- अभिसरण एवं साक्ष्य-आधारित नियोजन: विभिन्न संबंधित विभागों के 29 विषयों से जुड़ी योजनाओं का एकीकरण किया जाता है। नियोजन प्रक्रिया में पंचायत उन्नति सूचकांक के माध्यम से आँकड़ा-आधारित अंतरालों की पहचान कर योजनाओं को दिशा प्रदान की जाती है।
- संसाधनों का समेकन: ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध सभी संसाधनों, जिनमें केंद्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अनुदान, स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को उपलब्ध निधियाँ शामिल हैं, का समेकन किया जाता है।
- सुदृढ़ संस्थागत ढाँचा: पंचायती राज मंत्रालय की नीति-निर्धारण एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म संबंधी भूमिका, राज्यों की कार्यान्वयन एवं अभिसरण संबंधी जिम्मेदारियाँ, नोडल अधिकारियों का समन्वय, सुविधाप्रदाताओं द्वारा सामुदायिक लामबंदी तथा अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों द्वारा योजनाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की भूमिकाएँ स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं।
- डिजिटल एवं पारदर्शी व्यवस्था: GPDP पोर्टल, e-GramSwaraj तथा पंचायत निर्णय ऐप के माध्यम से नियोजन एवं निगरानी की संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल स्वरूप प्रदान किया जाता है। जियो-टैगिंग तथा जन सूचना बोर्ड के माध्यम से पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है।
- समयबद्ध अभियान-आधारित कार्यान्वयन: आगामी वित्तीय वर्ष के लिए योजनाओं की तैयारी, परामर्श, ग्राम सभा आयोजन, अनुमोदन तथा योजनाओं को अंतिम रूप देकर पोर्टल पर अपलोड करने तक की प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के अनुसार संचालित की जाती है।
- जन सूचना बोर्ड का प्रदर्शन एवं जियो-टैग फोटोग्राफ अपलोड करना: प्रत्येक ग्राम पंचायत में जन सूचना बोर्ड प्रदर्शित करना तथा उसके जियो-टैग किए गए फोटोग्राफ PPC अभियान पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।
- अनिवार्य वैलिडेशन प्रोफाइलर अनुभाग का सत्यापन: सभी ग्राम पंचायतों के वैलिडेशन प्रोफाइलर अनुभाग का ब्लॉक स्तर पर खंड विकास अधिकारी अथवा उनके द्वारा इस उद्देश्य से नामित अधिकारी के माध्यम से सत्यापन सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

अध्याय 2

**सोलहवाँ वित्त आयोग:
एक अभूतपूर्व अवसर**

2.1 परिचय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित सोलहवें वित्त आयोग ने नवंबर 2025 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसकी सिफारिशें वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक, कुल पाँच वित्त वर्षों के लिए लागू होंगी। ग्राम पंचायतों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों के लिए सोलहवें वित्त आयोग की सिफारिशें एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती हैं। इसके तहत केवल अनुदान पर निर्भर रहने की व्यवस्था से आगे बढ़कर वित्तीय आत्मनिर्भरता, जवाबदेही और विकेंद्रीकृत योजना निर्माण को बढ़ावा दिया गया है।

इस अध्याय में ग्रामीण स्थानीय निकायों से संबंधित सोलहवें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशों का सार प्रस्तुत किया गया है। इसमें विशेष रूप से जन योजना अभियान और ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया पर इन सिफारिशों के प्रभावों पर ध्यान दिया गया है।

प्रमुख जानकारी

- वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। यह केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय कर राजस्व के बँटवारे तथा राज्यों से स्थानीय निकायों को धनराशि के वितरण के संबंध में सिफारिशें करता है।
- वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को दिया जाने वाला अनुदान अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रूप में होता है। स्थानीय निकायों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों और उनके राज्य वित्त आयोगों की होती है।
- सोलहवें वित्त आयोग (FC-16) ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक देश के सभी स्थानीय निकायों (शहरी और ग्रामीण) के लिए कुल ₹7,91,493 करोड़ के अनुदान की सिफारिश की है। यह वित्त आयोगों के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी राशि है।
- इसमें से ₹4,35,236 करोड़ की राशि ग्रामीण स्थानीय निकायों अर्थात ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों के लिए निर्धारित की गई है।

2.2 स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले अनुदानों का विकास: दसवें से सोलहवें वित्त आयोग तक

पिछले कुछ दशकों में वित्त आयोगों द्वारा स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले अनुदान में काफी वृद्धि हुई है। दसवें वित्त आयोग ने पहली बार ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए ₹4,381 करोड़ के अनुदान का प्रावधान किया था। वहीं, सोलहवें वित्त आयोग ने अब केवल ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए ही ₹4,35,236 करोड़ से अधिक की राशि देने की सिफारिश की है। यह 25 वर्षों में लगभग 99 गुना वृद्धि को दर्शाता है। इससे जमीनी स्तर पर शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने और स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने की बढ़ती प्रतिबद्धता का पता चलता है।

वित्त आयोग	ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित राशि (₹ करोड़)	ग्रामीण स्थानीय निकायों को जारी राशि (₹ करोड़)	राशि जारी करने का प्रतिशत (%)
10वाँ वित्त आयोग	4,381	3,576	81.6%
11वाँ वित्त आयोग	8,000	6,602	82.5%
12वाँ वित्त आयोग	20,000	18,927	94.6%
13वाँ वित्त आयोग	64,408	58,257	90.5%
14वाँ वित्त आयोग	2,00,292	1,79,491	89.6%
15वाँ वित्त आयोग	2,36,805	1,75,182*	74.0%*
16वाँ वित्त आयोग	4,35,236	—	अनुदान अवधि 2026-27 से शुरू होती है।

2.3 ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए सोलहवें वित्त आयोग की अनुदान व्यवस्था

सोलहवें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान की एक व्यवस्थित दो-भागीय व्यवस्था शुरू की है, जिसमें मूल अनुदान और प्रदर्शन आधारित अनुदान शामिल हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य नियमित वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के साथ-साथ बेहतर वित्तीय प्रदर्शन और जवाबदेही को प्रोत्साहित करना है।

2.3.1 ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल अनुदान का आवंटन (वर्षवार)

घटक	₹ करोड़					कुल
	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल अनुदान	55,909	71,300	92,166	1,02,303	1,13,558	4,35,236
मूल अनुदान (80%)	55,909	62,059	68,885	76,462	84,873	3,48,188
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए प्रदर्शन आधारित अनुदान	—	—	13,023	14,455	16,046	43,524
राज्य प्रदर्शन आधारित अनुदान	—	9,241	10,258	11,386	12,639	43,524

नोट: ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए प्रदर्शन आधारित अनुदान वित्त वर्ष 2028-29 (तीसरे वर्ष) से तथा राज्य प्रदर्शन आधारित अनुदान वित्त वर्ष 2027-28 (दूसरे वर्ष) से लागू होगा।

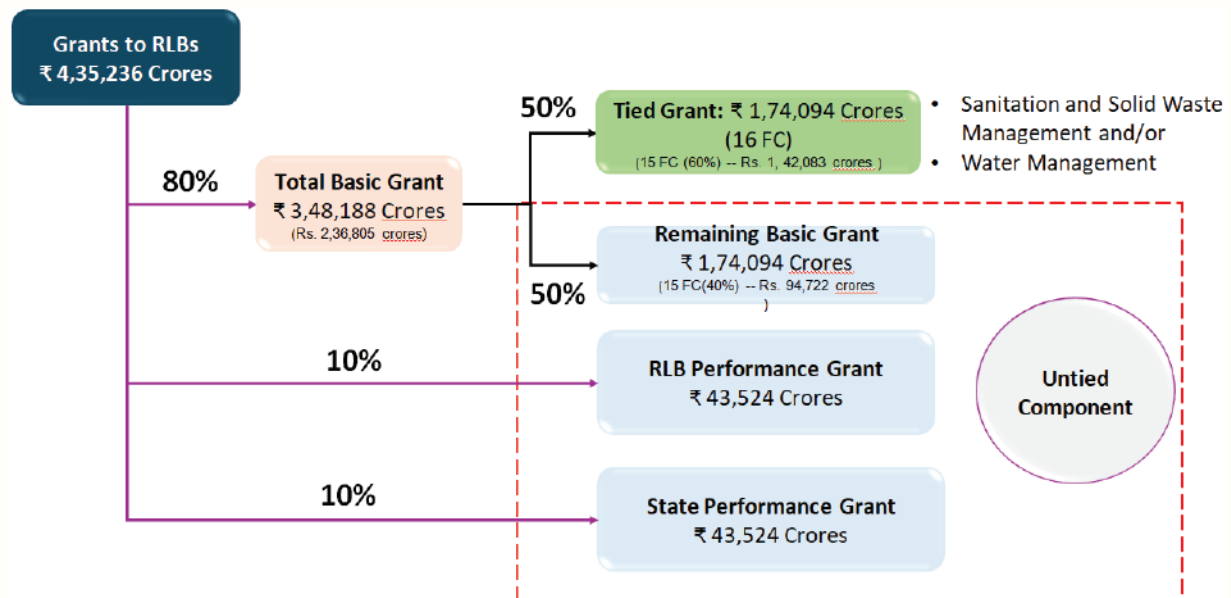
2.3.2 ग्रामीण स्थानीय निकायों के अनुदान का वितरण: राज्य से ग्राम पंचायत तक

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अनुदान राशि को राज्यों के बीच वितरित करने के बाद (जिसमें ग्रामीण आबादी को 90% और क्षेत्रफल को 10% महत्व दिया जाता है), यह राशि पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों तक पहुँचाई जाती है।

प्रत्येक राज्य में सभी स्तरों पर विधिवत गठित ग्रामीण स्थानीय निकायों के बीच अनुदान का वितरण संबंधित राज्य वित्त आयोग की नवीनतम स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार किया जा सकता है।

राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें उपलब्ध न होने की स्थिति में, ग्रामीण स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों पर अनुदान का वितरण सोलहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए निम्नलिखित प्रतिशत के अनुसार किया जा सकता है:

पंचायती राज संस्थाओं के स्तरों की संख्या	ग्राम पंचायत	ब्लॉक पंचायत	जिला पंचायत
तीन स्तरीय व्यवस्था	80%	10%	10%
दो स्तरीय व्यवस्था (ग्राम पंचायत + जिला पंचायत)	90%	—	10%
एक स्तरीय व्यवस्था (केवल ग्राम पंचायत)	100%	—	—



2.4 सोलहवें वित्त आयोग के अनुदान प्राप्त करने की शर्तें

सोलहवें वित्त आयोग ने अनुदान प्राप्त करने के लिए दो स्तरों पर शर्तें निर्धारित की हैं। इनमें पहली, मूल अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक पात्रता संबंधी शर्तें और दूसरी, प्रदर्शन आधारित अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन संबंधी शर्तें शामिल हैं। इन शर्तों को पूरा करने के आधार पर ही यह तय होता है कि किसी ग्राम पंचायत या राज्य को कितनी अनुदान राशि प्राप्त हो सकती है।

2.4.1 मूल अनुदान जारी करने की शर्तें (प्रारंभिक पात्रता संबंधी शर्तें):

- i. **विधिवत गठित निकाय:** ग्रामीण स्थानीय निकायों का विधिवत गठन होना आवश्यक है।
- ii. **अनंतिम लेखे एवं लेखापरीक्षित लेखे:**
 - क. किसी भी वित्त वर्ष के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों के पिछले वर्ष के अनंतिम लेखे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
 - ख. किसी भी वित्त वर्ष के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों के पिछले वर्ष से एक वर्ष पहले के लेखापरीक्षित लेखे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

ये शर्तें अनुदान अवधि के पहले वर्ष से ही लागू होंगी। यदि किसी राज्य में केवल कुछ ग्रामीण स्थानीय निकाय ही इन शर्तों को पूरा करते हैं, तो राज्य को शर्तें पूरी करने वाले स्थानीय निकायों के अनुपात में ही अनुदान राशि जारी की जाएगी।
- iii. **राज्य वित्त आयोग का गठन:** राज्यों को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर नियमित रूप से राज्य वित्त आयोग का गठन करना होगा। साथ ही, राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के छह महीने के भीतर उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य विधानमंडल में पेश करना सुनिश्चित करना होगा।

2.4.2 स्थानीय निकायों के लिए प्रदर्शन आधारित अनुदान प्राप्त करने की शर्तें:

(i) **ग्राम पंचायतें:** ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए प्रदर्शन आधारित अनुदान प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायतों को अपनी स्वयं की आय में वृद्धि दिखानी होगी। किसी वित्त वर्ष (T) में अनुदान प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायतों को पिछले वित्त वर्ष (T-1) में निम्नलिखित में से जो भी कम हो, उसे प्राप्त करना होगा:

- वित्त वर्ष 2025-26 की स्वयं की आय के मुकाबले 2.5% की वार्षिक वृद्धि, या

- वित्त वर्ष T-2 की स्वयं की आय का 1.025 गुना।

इसके साथ ही, प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹1,200 का न्यूनतम मानक निर्धारित किया गया है।

यह शर्त तीसरे वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2028-29 से लागू होगी।

(ii) **ब्लॉक पंचायतें:** ब्लॉक पंचायतें प्रदर्शन आधारित अनुदान प्राप्त करने की पात्र तभी होंगी, जब उनके अंतर्गत आने वाली कम से कम 75% ग्राम पंचायतें स्वयं की आय से संबंधित उपर्युक्त शर्त को पूरा करेंगी। यह शर्त तीसरे वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2028-29 से लागू होगी।

(iii) **जिला पंचायतें:** जिला पंचायतों को भी किसी वित्त वर्ष (T) में प्रदर्शन आधारित अनुदान प्राप्त करने के लिए पिछले वित्त वर्ष (T-1) में स्वयं की आय में वृद्धि से संबंधित वही शर्त पूरी करनी होगी।

यह शर्त तीसरे वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2028-29 से लागू होगी।

2.4.3 राज्य प्रदर्शन आधारित अनुदान प्राप्त करने की शर्तें:

किसी वित्त वर्ष (T) में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए राज्य प्रदर्शन आधारित अनुदान जारी किया जाना इस शर्त पर निर्भर करेगा कि राज्य सरकार ने पिछले वित्त वर्ष (T-1) में अपने स्वयं के संसाधनों से स्थानीय निकायों को कम से कम उतनी अनुदान राशि दी हो, जो उस वर्ष (T-1) के लिए वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित मूल अनुदान के 20% के बराबर हो। यह शर्त दूसरे वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2027-28 से लागू होगी।

Eligibility conditions for Grants to be awarded

 Entry-Level Conditions	 Local Body Performance Grant Conditions
<div data-bbox="236 342 295 398"></div> Duly constituted Rural Local Bodies (Para 10.92) <div data-bbox="236 443 295 499"></div> Provisional accounts for previous year publicly available (T-1) (Para 10.93) <div data-bbox="236 544 295 600"></div> Audited accounts for year before previous publicly available (T-2) (Para 10.93) <div data-bbox="236 633 295 689"></div> Formation of State Finance Commission (SFC) – ATR to be laid within 6 months of submission of SFC Report (Para 10.94)	Gram Panchayats to show increase in OSR in year T. Minimum of (subject to min ₹ 1200/HH/annum): <ul style="list-style-type: none"> • 2.5% per annual compounded growth over OSR of 2025-26, or • 1.025 times OSR of T-2, whichever is lower Applicable from 3 rd year (Para 10.97) Block Panchayats <ul style="list-style-type: none"> • 75% of GPs meet OSR condition. Applicable from 3rd year (Para 10.98) District Panchayats Grant eligibility in year T linked to achieving in year T-1 either 1.025x OSR of year T-2 or 2.5% p.a. compounded growth over OSR (2025-26), whichever is lower. (Para 10.98)
State Performance Grant Component (Para 10.100)	
Release of State performance component contingent on State transferring from its own resources $\geq 20\%$ of Basic FC grants recommended for given year. Applicable from 2 nd year onwards	

2.5 प्रदर्शन आधारित अनुदान और स्वयं की आय की रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक उपाय

राज्य सरकारें आवश्यकतानुसार स्वयं की आय से संबंधित नियम बनाएँगी या मौजूदा नियमों में संशोधन करेंगी, ताकि ग्रामीण स्थानीय निकाय अपनी आय बढ़ाने में सक्षम हो सकें। साथ ही, वित्त वर्ष 2026-27 तक सभी ग्रामीण स्थानीय निकायों को समर्थ पंचायत पोर्टल से जोड़ना सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें मौजूदा प्रणालियों को पोर्टल से जोड़ना, उपयोगकर्ताओं को आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना और क्षमता निर्माण शामिल होगा।

ग्रामीण स्थानीय निकायों को हर वर्ष अपनी वार्षिक राजस्व योजना पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। वित्त वर्ष 2027-28 से स्वयं की आय के संग्रह से संबंधित आँकड़े सीधे पोर्टल पर दर्ज करने या राज्य एवं स्थानीय स्तर की मौजूदा प्रणालियों को इससे जोड़ने के माध्यम से स्वतः प्रदर्शित होंगे।

राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि वित्त वर्ष 2025-26 से स्वयं की आय से संबंधित सभी आँकड़े समय पर और पूरी जानकारी के साथ पोर्टल पर अपलोड किए जाएँ, ताकि प्रदर्शन आधारित अनुदान के लिए आय संबंधी प्रदर्शन का आकलन किया जा सके। पोर्टल पर विभिन्न प्रकार के करों और गैर-कर स्रोतों से प्राप्त आय के साथ-साथ परिवार स्तर पर आय संग्रह से संबंधित जानकारी भी विस्तार से दर्ज की जा सकेगी।

इसके अलावा, राज्य सरकारें आवश्यकतानुसार अपने पंचायती राज अधिनियमों, नियमों और अन्य संबंधित कानूनों में संशोधन करेंगी, ताकि सोलहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार करों, शुल्कों, टोल, फीस,

रॉयल्टी और अन्य संबंधित राजस्व को पंचायतों के साथ साझा करने की व्यवस्था को कानूनी रूप दिया जा सके। इससे पंचायतों के सभी स्तरों के बीच राजस्व का समान और उचित वितरण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी तथा राज्य प्रदर्शन आधारित अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता सुनिश्चित करने में भी सहायता मिलेगी।

2.6 सोलहवें वित्त आयोग के अनुदान के सशर्त और बिना शर्त वाले घटक

पंद्रहवें वित्त आयोग की तुलना में सोलहवें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों को अनुदान राशि के उपयोग में काफी अधिक स्वतंत्रता दी है। पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत बिना शर्त वाले अनुदान का हिस्सा लगभग 40% था, जिसे सोलहवें वित्त आयोग में बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। यह प्रावधान उन ग्राम पंचायतों के लिए है जो प्रदर्शन संबंधी निर्धारित शर्तों को पूरा करती हैं।

यह बदलाव सभी स्तरों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लंबे समय से की जा रही अधिक वित्तीय स्वायत्तता की माँग को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

अनुदान का घटक	सशर्त / बिना शर्त	उद्देश्य / प्रतिबंध
मूल अनुदान का 50% (कुल अनुदान का 40%)	सशर्त	इस राशि को स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और/या जल प्रबंधन से जुड़े कार्यों पर खर्च करना अनिवार्य है। इसमें इन कार्यों के संचालन एवं रखरखाव का खर्च भी शामिल है।
मूल अनुदान का 50% (कुल अनुदान का 40%)	बिना शर्त	ग्राम पंचायत इस राशि का उपयोग स्थानीय स्तर पर पहचानी गई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकती है। इसके लिए ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है।
संपूर्ण प्रदर्शन आधारित अनुदान (कुल अनुदान का 20%, निर्धारित शर्तें पूरी होने पर)	बिना शर्त	ग्राम पंचायत इस राशि का उपयोग स्थानीय स्तर पर पहचानी गई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकती है। इसके लिए ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है।
कुल बिना शर्त अनुदान (प्रदर्शन संबंधी शर्तें पूरी होने पर)	कुल अनुदान का 60%	स्थानीय विकास की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राशि के उपयोग में अधिकतम स्वतंत्रता।

सोलहवें वित्त आयोग (FC-16) के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाले मूल बिना शर्त अनुदान का उपयोग किन कार्यों और गतिविधियों पर किया जा सकता है, इस संबंध में 2 सितंबर 2026 को सभी राज्यों को एक परामर्श पत्र भी भेजा गया है (अनुलग्नक-IV)।

बिना शर्त अनुदान के उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतिबंध

- बिना शर्त अनुदान की कुल राशि का अधिकतम 20% ही सड़कों के निर्माण और रखरखाव पर खर्च किया जा सकता है। इसमें सभी प्रकार की पक्की सड़कों और पक्की सतहों के निर्माण एवं रखरखाव के कार्य शामिल हैं।
- बिना शर्त अनुदान का उपयोग वेतन भुगतान या कार्यालय स्थापना एवं संचालन से जुड़े अन्य खर्चों के लिए नहीं किया जा सकता।
- सशर्त और बिना शर्त, दोनों प्रकार के अनुदानों के तहत किए जाने वाले कार्यों और गतिविधियों के लिए खर्च करने से पहले ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य है।
- प्रत्येक वर्ष अनुदान राशि कम से कम दो समान किस्तों में जारी की जाएगी। केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त होने के 10 कार्य दिवसों के भीतर राज्य सरकारों को यह राशि स्थानीय निकायों को जारी करनी होगी। इस अवधि से अधिक देरी होने पर संबंधित स्थानीय निकाय को ब्याज का भुगतान करना होगा।

2.7 पिछले वित्त आयोगों की खर्च न की गई शेष राशि

राज्य सरकार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों के अनुदान की पहली किस्त जारी करने का प्रस्ताव भेजते समय यह प्रमाणित करना होगा कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के पास चौदहवें वित्त आयोग या उससे पहले के वित्त आयोगों की कोई भी खर्च न की गई राशि शेष नहीं है। यदि ऐसी कोई राशि उपलब्ध है, तो उसका उपयोग संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2028-29 (सोलहवें वित्त आयोग की अनुदान अवधि के तीसरे वर्ष) से उन ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान की सिफारिश नहीं की जाएगी, जिनके पास पंद्रहवें वित्त आयोग की खर्च न की गई शेष राशि, जारी की जाने वाली संबंधित किस्त के 10% से अधिक होगी। अनुदान अवधि के चौथे वर्ष से केवल उन्हीं ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान की सिफारिश की जाएगी, जिनके पास पंद्रहवें वित्त आयोग की कोई भी खर्च न की गई राशि शेष नहीं होगी।

इसलिए, सभी पंचायती राज संस्थाओं को पिछले वित्त आयोगों से प्राप्त अनुदान की शेष राशि का उपयोग संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर करना होगा। इससे धनराशि अनावश्यक रूप से पड़ी नहीं रहेगी और उसका समय पर उपयोग सुनिश्चित होगा, ताकि आगे की अनुदान किस्तें प्राप्त करने की पात्रता प्रभावित न हो।

इस संबंध में अधिक जानकारी या आवश्यक मार्गदर्शन के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा दिनांक 21 मई 2026 को जारी पत्र के माध्यम से सोलहवें वित्त आयोग की अनुदान अवधि 2026-27 से 2030-31 के लिए जारी "ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान" संबंधी संचालन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का संदर्भ लिया जा सकता है।

अध्याय 3

आकांक्षा से क्रियान्वयन तक: ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करना

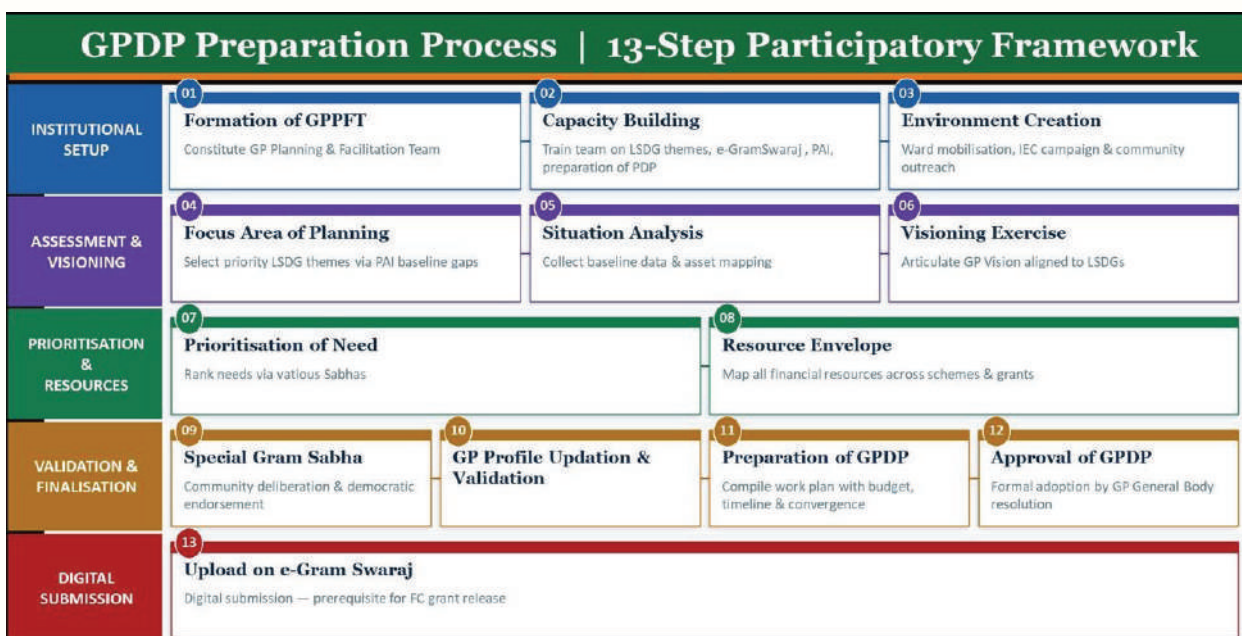
3.1 ग्राम पंचायत की विकास योजना

ग्राम पंचायत विकास योजना जन - भागीदारी पर आधारित योजना निर्माण की एक प्रक्रिया है, जिसमें सभी संबंधित पक्ष मिलकर लोगों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करते हैं। यह स्थानीय विकास के लिए एक व्यापक कार्ययोजना के रूप में काम करती है, जिसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- 1. साझा दृष्टिकोण तैयार करना:** गाँव के लोग अपने गाँव का विकास किस प्रकार करना चाहते हैं, इसके लिए एक साझा दृष्टिकोण तैयार करना।
- 2. स्पष्ट और प्राप्त किए जा सकने वाले लक्ष्य निर्धारित करना:** इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक लक्ष्य तय करना।
- 3. ठोस कार्ययोजना तैयार करना:** निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर किए जाने वाले कार्यों, गतिविधियों और आवश्यक संसाधनों को शामिल करते हुए एक ठोस कार्ययोजना तैयार करना।

3.2 ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया के प्रमुख घटक

विषय आधारित ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित 13 प्रमुख चरण शामिल हैं:



3.3 ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के चरण

3.3.1 ग्राम पंचायत योजना सुविधा दल का गठन

ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके लिए लगातार प्रयास और लोगों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इसके लिए ग्राम पंचायत योजना सुविधा दल का गठन किया जाना चाहिए। यह विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की एक समिति होगी, जिसमें ऐसे समर्पित व्यक्ति शामिल होंगे जो स्वेच्छा से अपनी सेवाएँ दे सकें और GPDP के प्रत्येक चरण में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।

यह दल ग्राम पंचायत को विकास योजना तैयार करने, उसे लागू करने और उसकी निगरानी करने में सहायता करेगा। इसकी भूमिका योजना निर्माण के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने से लेकर ग्राम सभा में योजना की स्वीकृति प्राप्त करने और निर्धारित गतिविधियों को लागू करने तक होगी।

इस दल में एक अध्यक्ष, निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायत कर्मचारी, ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के जमीनी स्तर के कर्मचारी तथा समुदाय और नागरिक समाज के सदस्य शामिल होंगे, ताकि सभी वर्गों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

3.3.2 अनुकूल माहौल तैयार करना और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना

सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़े निर्णयों में समुदाय और शासन व्यवस्था की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। इन गतिविधियों का उद्देश्य लोगों की सोच, नजरिए और काम करने के तरीके में सकारात्मक बदलाव लाना है, ताकि वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।

जागरूकता बढ़ाने के बाद अगला कदम समुदाय के लोगों को अपनी जरूरतों की पहचान करने और उन्हें पूरा करने के लिए पंचायत विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना है।

3.3.3 योजना निर्माण में प्राथमिकता वाले क्षेत्र

भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को सौंपे गए कार्यों के अनुसार बुनियादी सेवाएँ उपलब्ध कराने और विकास कार्य करने का अधिकार है। ग्राम पंचायतों को निम्नलिखित 9 विषयों पर आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करनी चाहिए:

विषय 1: गरीबी मुक्त और आजीविका के बेहतर अवसरों वाली पंचायत

विषय 2: स्वस्थ पंचायत

विषय 3: बाल हितैषी पंचायत

विषय 4: पर्याप्त जल वाली पंचायत

विषय 5: स्वच्छ और हरित पंचायत

विषय 6: आत्मनिर्भर बुनियादी ढाँचे वाली पंचायत

विषय 7: सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सुरक्षित पंचायत

विषय 8: सुशासन वाली पंचायत

विषय 9: महिला हितैषी पंचायत

ये नौ विषय ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने का आधार प्रदान करते हैं। इन विषयों के साथ-साथ योजना निर्माण की प्रक्रिया में परिवारों और गाँव के आर्थिक विकास तथा ग्राम पंचायत की वित्तीय स्थिरता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, ग्राम पंचायत विकास योजना को एक-दूसरे के पूरक दो पहलुओं के आधार पर देखा जा सकता है:

- **विषय आधारित पहलू:** ग्राम पंचायत विकास योजना में स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के सभी नौ विषयों को शामिल किया जाना चाहिए। इनसे संबंधित गतिविधियों को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उचित विषयों के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए। विकास संबंधी कमियों की पहचान करने और आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए पंचायत विकास सूचकांक का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही, योजना की गुणवत्ता का आकलन निर्धारित गुणवत्ता GPDP स्कोर के आधार पर किया जा सकता है।
- **आर्थिक पहलू:** ग्राम पंचायत विकास योजना में आजीविका के अवसर बढ़ाने, परिवारों की आय में वृद्धि करने और गाँव की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही, ग्राम पंचायत की स्वयं की आय बढ़ाने और सामुदायिक परिसंपत्तियों के लंबे समय तक उपयोग और रखरखाव को सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। इस पहलू का आकलन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है:
 - **परिवार की आर्थिक स्थिति:** आजीविका के विभिन्न अवसरों की पहचान करना और परिवारों को आय के एक से अधिक स्रोत उपलब्ध कराने में सहायता करना, विशेष रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों पर ध्यान देना।
 - **गाँव और ब्लॉक की अर्थव्यवस्था:** ब्लॉक स्तर पर प्रमुख आर्थिक गतिविधियों और आजीविका के अवसरों की पहचान करना तथा जहाँ संभव हो, पंचायत स्तर पर किए जाने वाले कार्यों को संबंधित उत्पादन और विपणन प्रक्रियाओं से जोड़ना। इनमें उत्पादन, उत्पादों का एकत्रीकरण, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, बाजार तक पहुँच सुनिश्चित करना तथा उत्पादक समूहों या संगठनों का विकास करना शामिल हो सकता है।
 - **एक आर्थिक संस्था के रूप में ग्राम पंचायत:** ग्राम पंचायत की स्वयं की आय बढ़ाने के अवसरों की पहचान करना, जहाँ संभव हो पंचायत की परिसंपत्तियों से आय प्राप्त करना तथा मौजूदा

बुनियादी ढाँचे और सामुदायिक परिसंपत्तियों का प्रभावी संचालन एवं रखरखाव सुनिश्चित करना।

- **कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता:** सबसे गरीब और कमजोर परिवारों की जरूरतों को उचित प्राथमिकता देना। इनमें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह एकल महिलाएँ, दिव्यांगजन और बुजुर्ग शामिल हैं। साथ ही, इनके लिए आजीविका के उचित अवसरों, सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े आवश्यक उपायों की पहचान करना।

3.3.4 वर्तमान स्थिति का विश्लेषण

ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए विकास की प्रगति का आकलन करने और कमियों की पहचान करने हेतु पंचायत विकास सूचकांक के समग्र और विषयवार स्कोर का उपयोग विकास स्थिति रिपोर्ट के रूप में किया जाएगा।

3.3.5 विकास का दृष्टिकोण तैयार करना

ग्राम सभा, विकास स्थिति रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर ग्राम पंचायत के भविष्य के विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण तैयार करेगी। इस प्रक्रिया में ग्राम पंचायत के विकास संबंधी लक्ष्यों और अपेक्षाओं पर सामूहिक रूप से विचार किया जाएगा। साथ ही, पिछले वर्ष की ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण से जुड़े नौ विषयों के अंतर्गत पंचायत विकास सूचकांक के आधार पर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की जाएगी।

इस दौरान महिला सभा, बाल सभा और वार्ड सभा से प्राप्त सुझावों पर भी विचार किया जा सकता है, ताकि समुदाय के विभिन्न वर्गों की जरूरतें और अपेक्षाएँ इस दृष्टिकोण में शामिल हो सकें।

इस प्रक्रिया से विकास संबंधी प्राथमिकताओं और उन्हें पूरा करने के प्रमुख चरणों को स्पष्ट रूप से तय करने में मदद मिलेगी, जो ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में मार्गदर्शन करेंगे।

3.3.6 आवश्यकताओं का प्राथमिकता निर्धारण

विकास स्थिति रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत योजना सुविधा दल, पहली ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकों में चर्चा के दौरान मार्गदर्शन करेगा, ताकि पहचानी गई कमियों के अनुसार जरूरतों और महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता दी जा सके। प्राथमिकता के आधार पर चुने गए विषय को ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए 'संकल्प' के रूप में लिया जा सकता है।

3.3.7 उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का आकलन

ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत को अपने उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का आकलन करना होगा। इन संसाधनों में केंद्रीय एवं राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान, केंद्र और राज्य

सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि, पंचायत की स्वयं की आय आदि शामिल हैं। जिला पंचायत, स्वायत्त विकास परिषदों और मध्यवर्ती पंचायत जैसे उच्च स्तर के संस्थानों द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में खर्च की जाने वाली धनराशि को भी ग्राम पंचायत या ग्राम परिषद के उपलब्ध संसाधनों में शामिल किया जाना चाहिए। योजना में प्रस्तावित गतिविधियों का निर्धारण उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

नोट: चूँकि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो चुकी हैं, इसलिए वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए पंचायत विकास योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का निर्धारण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 16वें वित्त आयोग के अनुदान के आधार पर किया जाएगा। पंचायतों को इसी के अनुसार अपनी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए।

3.3.8 विशेष ग्राम सभा का आयोजन

चालू वर्ष की ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रगति, पंचायत विकास सूचकांक के आधार पर ग्राम पंचायत में विकास की स्थिति तथा आगामी वित्तीय वर्ष की विकास संबंधी जरूरतों और प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में सहयोग करने वाले व्यक्ति समुदाय को जागरूक और सक्रिय करेंगे तथा सभी वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, दिव्यांगजनों और बुजुर्गों सहित कमजोर वर्गों की भागीदारी पर ध्यान दिया जाएगा। चर्चा के दौरान महिला सभा, बाल सभा और वार्ड सभा से प्राप्त सुझावों पर भी विचार किया जा सकता है।

संबंधित विभागों के जमीनी स्तर पर कार्यरत कर्मचारी चालू वर्ष में किए गए कार्यों और खर्च की गई धनराशि की जानकारी प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही, वे अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित गतिविधियों, आवंटित धनराशि और लाभान्वित किए जाने वाले लोगों की जानकारी भी देंगे। इन सभी विवरणों को शामिल करते हुए एक विवरण पत्र ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि विभिन्न विभागों और योजनाओं के बीच तालमेल के साथ एक व्यापक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जा सके।

स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार की गई ग्राम समृद्धि एवं सुदृढ़ता योजना पर भी ग्राम सभा में चर्चा की जाएगी। इस दौरान पहचानी गई जरूरतों और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखा जाएगा। चर्चा और आपसी सहमति के आधार पर इस योजना से प्राप्त ऐसी माँगों को ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल किया जा सकता है, जिन्हें उपलब्ध संसाधनों के आधार पर पूरा करना संभव हो। इनमें सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले अधिकारों और लाभों, आजीविका, सामुदायिक बुनियादी सुविधाओं तथा सामाजिक विकास से संबंधित माँगें शामिल हो सकती हैं।

बैठक का कार्यवृत्त:

ग्राम सभा की सभी बैठकों का कार्यवृत्त **सभा सार पोर्टल** (sabhasaar.panchayat.gov.in) के माध्यम से तैयार किया जा सकता है। कार्यवृत्त तैयार करने के लिए निम्नलिखित चरण अपनाने होंगे:

1. ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करें।
2. ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजना दर्ज करने के लिए उपलब्ध लॉगिन विवरण का उपयोग करके सभा सार पोर्टल पर लॉगिन करें।
3. रिकॉर्डिंग अपलोड करके सबमिट करें, ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जा सके।
4. तैयार किए गए कार्यवृत्त के प्रारूप में आवश्यकता के अनुसार संशोधन करें और उसे सबमिट करें।

इस प्रक्रिया से न केवल बैठक का कार्यवृत्त हाथ से लिखने में लगने वाला समय बचेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि बैठक में चर्चा किए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदु कार्यवृत्त में दर्ज हों।

3.3.9 ग्राम पंचायत विकास योजना का प्रारूप तैयार करना

योजना निर्माण प्रक्रिया के दौरान पहचानी गई परिवार स्तर और समुदाय स्तर की जरूरतों, विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों तथा विकास संबंधी अन्य प्राथमिकताओं को एक साथ शामिल करके ग्राम पंचायत विकास योजना का प्रारूप तैयार किया जाएगा। प्रस्तावित गतिविधियों को संबंधित विषयों और योजनाओं से जोड़ा जाएगा। साथ ही, उनकी अनुमानित लागत, धनराशि के संभावित स्रोतों और क्रियान्वयन की समय-सीमा का भी उल्लेख किया जाएगा। व्यक्तिगत स्तर पर मिलने वाले अधिकारों और लाभों तक पहुँच बढ़ाने, आजीविका को मजबूत करने, सामाजिक विकास से जुड़ी समस्याओं को दूर करने तथा समुदाय स्तर पर बुनियादी सेवाओं में सुधार के लिए भी गतिविधियों की पहचान की जा सकती है।

योजना के प्रारूप की समीक्षा की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह पहचानी गई विकास संबंधी प्राथमिकताओं और सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण से जुड़े नौ विषयों के अनुरूप हो। जहाँ लागू हो, वहाँ गतिविधियों को पंचायत विकास सूचकांक के संबंधित संकेतकों से जोड़ा जाएगा, ताकि विकास संबंधी कमियों को दूर करने के लिए लक्षित कार्य किए जा सकें।

इसके अलावा, उपलब्ध संसाधनों, विभिन्न योजनाओं और विभागों के बीच तालमेल की संभावनाओं तथा पंचायत की स्वयं की आय बढ़ाने के अवसरों पर भी विचार किया जाएगा। ग्राम सभा के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने से पहले ग्राम पंचायत यह जाँच करेगी कि योजना का प्रारूप सभी आवश्यक पहलुओं को शामिल करता है, उसे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर लागू करना संभव है और वह स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है।

3.3.10 ग्राम पंचायत विकास योजना को अंतिम रूप देना

पहचानी गई गतिविधियों, उनकी अनुमानित लागत, धनराशि के स्रोतों और कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा को शामिल करते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना का प्रारूप तैयार किया जाएगा। इस प्रारूप को निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत सचिव, समुदाय के सदस्यों और संबंधित विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में चर्चा और स्वीकृति के लिए ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। चर्चा के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित गतिविधियाँ समुदाय की विकास संबंधी प्राथमिकताओं के अनुरूप हों और विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ उचित तालमेल का भी ध्यान रखा गया हो।

ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना से प्राप्त माँगों तथा महिला सभा, बाल सभा और वार्ड सभा से मिले सुझावों पर भी उचित विचार किया जाएगा। स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना, ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न विकास कार्यों को लागू करने के लिए एक समेकित कार्ययोजना के रूप में काम करेगी।

ग्राम सभा की बैठक का कार्यवृत्त सभा सार पोर्टल के माध्यम से तैयार किया जाएगा। साथ ही, बैठक की कार्यवाही और पारित प्रस्तावों को निर्धारित डिजिटल माध्यमों, जिनमें पंचायत निर्णय एप्लिकेशन और मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल शामिल हैं, पर लागू व्यवस्था के अनुसार दर्ज किया जाएगा।

3.3.11 ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजना अपलोड करना

ग्राम सभा द्वारा तैयार और स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना को ग्राम पंचायत की पूरी जानकारी के साथ ई-ग्राम स्वराज के नए रूप में तैयार किए गए ग्राम पंचायत विकास योजना पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के योजना निर्माण संबंधी भाग में विभिन्न विषयों से जुड़ी गतिविधियों की एक व्यवस्थित सूची दी गई है, जिसमें ड्रॉपडाउन मेन्यू के माध्यम से गतिविधियों का चयन किया जा सकता है। इस सूची में ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना की गतिविधियों को भी संबंधित विषयों के अंतर्गत शामिल किया गया है। पोर्टल पर प्रत्येक गतिविधि के लिए एक विकल्प चुनने की सुविधा दी गई है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि संबंधित गतिविधि ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत आती है या नहीं। गतिविधियों का सही वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए उचित विकल्प का चयन करना अनिवार्य है।

ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत पहचानी गई गतिविधियों सहित सभी स्वीकृत विषयवार गतिविधियों को बिना किसी अपवाद के पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य है।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने और आम जनता को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना की एक मुद्रित प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय में रखी जानी चाहिए। पोर्टल पर उपलब्ध गतिविधियों को पंचायत विकास सूचकांक के संकेतकों से जोड़ा गया है। इससे ग्राम पंचायतें उन संकेतकों

के आधार पर जरूरी कार्यों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता दे सकती हैं, जिनमें उनका प्रदर्शन कमजोर है। इससे विकास संबंधी कमियों को दूर करने के लिए सही गतिविधियों का चयन करने और लक्षित विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

आम जनता की जानकारी के लिए योजना की एक मुद्रित प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय में रखी जा सकती है। परिसंपत्तियों के निर्माण से संबंधित कार्यों की जानकारी क्रियान्वयन वर्ष की शुरुआत में सार्वजनिक सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जा सकती है। सार्वजनिक सूचना पट्ट का एक नमूना अनुलग्नक-6 में दिया गया है।

ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला

एक व्यापक और व्यावहारिक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर चल रही योजनाओं, विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों, उपलब्ध संसाधनों और विकास संबंधी जरूरतों की जानकारी समय पर मिलना आवश्यक है। लेकिन संबंधित विभागों और ग्राम पंचायतों के बीच जानकारी साझा करने में उचित समन्वय न होने से विकास संबंधी कमियों की पहचान, विभिन्न योजनाओं के बीच तालमेल और उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग में कठिनाई हो सकती है।

इस समस्या को दूर करने के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया के शुरुआती चरण में ब्लॉक स्तर पर विकास की रूपरेखा तैयार करने और उपलब्ध संसाधनों की पहचान करने संबंधी कार्यशाला आयोजित की जा सकती है। इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि ग्राम पंचायतों को वास्तविक आँकड़ों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर आपसी तालमेल से योजना तैयार करने के लिए सभी जरूरी सूचनाएँ मिल सकें।

इस कार्यशाला में ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारी और संबंधित विभागों के अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न विभाग ग्राम पंचायतों से संबंधित चल रही और प्रस्तावित गतिविधियों, प्रमुख सरकारी योजनाओं, आवंटित धनराशि, लाभ प्राप्त करने वाले लोगों, विकसित की गई बुनियादी सुविधाओं तथा अन्य विकास कार्यों की जानकारी साझा करेंगे।

इस जानकारी से ग्राम पंचायतों को स्थानीय विकास संबंधी जरूरतों का आकलन करने, कमियों की पहचान करने तथा संबंधित विभागों की योजनाओं और गतिविधियों को अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करने में मदद मिलेगी।

ऐसी कार्यशालाओं के आयोजन के लिए मंत्रालय के दिनांक 27 मार्च, 2023 के अर्धशासकीय पत्र में बताए गए तरीके का संदर्भ लिया जा सकता है। (अनुलग्नक-7)

एक नजर में: ग्राम पंचायत विकास योजना

- जनभागीदारी आधारित ग्राम पंचायत विकास योजना: ग्राम पंचायत विकास योजना एक व्यापक और जनभागीदारी पर आधारित योजना निर्माण प्रक्रिया है, जिसमें समुदाय की जरूरतों और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखा जाता है। इसके माध्यम से गाँव के विकास के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण, लक्ष्य और व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार की जाती है।
- योजना निर्माण के लिए संस्थागत व्यवस्था: ग्राम पंचायत योजना सुविधा दल का गठन योजना निर्माण और क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण में लगातार सहयोग, समुदाय की भागीदारी तथा जमीनी स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करता है।
- समुदाय की भागीदारी और सभी वर्गों का समावेश: ग्राम सभाओं के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया में जागरूकता बढ़ाने, समुदाय को सक्रिय रूप से जोड़ने तथा महिला सभा, वार्ड सभा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं सहित सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाता है।
- विषय आधारित और आँकड़ों पर आधारित योजना निर्माण: ग्राम पंचायत विकास योजना स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े नौ विषयों के आधार पर तैयार की जाती है। जहाँ लागू हो, वहाँ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम से संबंधित गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है। विकास संबंधी कमियों की पहचान करने और आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक के स्कोर का उपयोग किया जाता है।
- व्यवस्थित योजना निर्माण प्रक्रिया: इसके प्रमुख चरणों में गाँव के विकास का दृष्टिकोण तैयार करना, आवश्यकताओं की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता देना (संकल्प), उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का आकलन करना तथा ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना से प्राप्त सुझावों को शामिल करना शामिल है। वित्तीय संसाधनों में वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान, विभिन्न सरकारी योजनाओं की धनराशि और पंचायत की स्वयं की आय शामिल हैं। इससे विभिन्न योजनाओं के बीच तालमेल और व्यावहारिक योजना निर्माण सुनिश्चित होता है।
- ग्राम सभा द्वारा स्वीकृति और पारदर्शिता: ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रारूप पर ग्राम सभा में चर्चा की जाती है। इसके बाद योजना को अंतिम रूप देकर ग्राम सभा से स्वीकृति प्राप्त की जाती है। बैठक की कार्यवाही का उचित रिकॉर्ड रखा जाता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
- डिजिटल व्यवस्था और जवाबदेही: स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना को विषयवार वर्गीकरण के साथ ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इसमें ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना से संबंधित गतिविधियों को भी चिह्नित किया जाता है। इससे योजना निर्माण, कार्यों की प्रगति की निगरानी और जानकारी सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में एकरूपता आती है। साथ ही, योजना की एक मुद्रित प्रति ग्राम पंचायत स्तर पर रखी जाती है।

ग्राम पंचायत समन्वय समिति का परिचय

पंचायती राज मंत्रालय, जन योजना अभियान के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए विकेंद्रीकृत, जनभागीदारी आधारित और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय वाली योजना निर्माण प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहा है। जन योजना अभियान के दिशा-निर्देशों में विभिन्न विभागों के बीच तालमेल, सभी संबंधित पक्षों की भागीदारी और ब्लॉक स्तरीय समन्वय समिति जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया है। (इसका विस्तृत विवरण पैरा 6.5 में दिया गया है।)

हालाँकि, ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं के बीच बेहतर तालमेल, समन्वय और उनके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभी भी एक मजबूत संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत विकास योजना में सामुदायिक गतिविधियों, विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों तथा नियमित निगरानी और देखरेख से जुड़ी कई गतिविधियाँ शामिल होती हैं। इस कमी को दूर करने के लिए **ग्राम पंचायत समन्वय समिति** का गठन किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत समन्वय समिति की आवश्यकता, महत्व और उपयोगिता

पंचायत स्तर पर विभिन्न योजनाओं को एक साथ शामिल करके ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जाती है। इन योजनाओं के अंतर्गत अधिकांश गतिविधियों का क्रियान्वयन पंचायत के नेतृत्व में संबंधित विभागों, संस्थाओं और अन्य पक्षों द्वारा किया जाता है। चूँकि कई संस्थाओं और विभागों के पास वित्तीय संसाधन और कर्मचारी सीमित संख्या में उपलब्ध होते हैं, इसलिए प्रभावी तालमेल के बिना विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन हो जाता है।

ऐसे में **ग्राम पंचायत समन्वय समिति** एक साझा मंच प्रदान करती है, जहाँ विभिन्न विभागों, संस्थाओं और समुदाय के प्रतिनिधि अपनी प्राथमिकताओं और उपलब्ध संसाधनों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इससे आपसी समन्वय के माध्यम से विकास के साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

पंचायत स्तर पर शामिल की जाने वाली प्रमुख योजनाएँ और प्रक्रियाएँ निम्नलिखित हैं:

- **ग्राम पंचायत विकास योजना:** केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग जैसे स्रोतों से पंचायत स्तर पर उपलब्ध बजट के माध्यम से किए जाने वाले कार्य।
- **ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना:** राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बजट, वार्षिक कार्ययोजनाओं तथा स्वयं सहायता समूहों की व्यवसाय विकास योजनाओं के अंतर्गत संचालित गतिविधियाँ।
- **विद्यालय विकास योजना:** विद्यालयों के विकास और उनकी सुविधाओं में सुधार से संबंधित योजनाएँ।
- **ग्राम स्वास्थ्य योजना:** गाँव में स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं को बेहतर बनाने से संबंधित योजनाएँ।
- **सामुदायिक कार्ययोजना आदि:** समुदाय की भागीदारी से बिना बजट या कम बजट में किए जा सकने वाले कार्यों की योजनाएँ।
- **विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना तथा जलागम विकास योजना।**
- **कृषि संबंधी योजनाएँ** तथा अन्य संबंधित गतिविधियाँ।

इन योजनाओं से जुड़े मुद्दों का समाधान अलग-अलग विभागों या संस्थाओं द्वारा प्रभावी ढंग से करना कठिन होता है। इसके प्रमुख कारण सीमित वित्तीय संसाधन और कर्मचारियों की कमी, अलग-अलग स्तरों पर योजनाओं का तैयार होना तथा पंचायतों और समुदाय के सदस्यों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।

इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत समन्वय समिति से निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है:

1. योजना निर्माण, निर्णय लेने तथा निगरानी और देखरेख की प्रक्रियाओं को मजबूत बनाना।
2. सेवाओं की उपलब्धता, संसाधनों के प्रबंधन और परिसंपत्तियों के उपयोग में सुधार करना।
3. आपसी सहयोग से समस्याओं का सामूहिक समाधान सुनिश्चित करना।
4. विकास संबंधी लक्ष्यों और अपेक्षित परिणामों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करना।

ग्राम पंचायत समन्वय समिति के अपेक्षित परिणाम

- ग्राम पंचायत विकास योजना और ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना से जुड़े मुद्दों तथा स्थानीय माँगों का सरकारी व्यवस्थाओं और संबंधित विभागों के माध्यम से समय पर समाधान होने की संभावना बढ़ेगी।
- जवाबदेही और जिम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से तय होने से योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। साथ ही, पात्र लाभार्थियों की सही पहचान करने और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी।
- ब्लॉक स्तरीय समन्वय समिति, संकुल स्तरीय संघ और अन्य उच्च स्तरों पर उठाए जाने वाले मुद्दों की स्पष्ट पहचान हो सकेगी। इससे स्थानीय समस्याओं को संकुल, ब्लॉक और जिला स्तर तक पहुँचाकर उनके समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा।
- पंचायती राज संस्थाओं, समुदाय आधारित संगठनों और जमीनी स्तर के कर्मचारियों के बीच आपसी सहयोग और समन्वय की व्यवस्था को संस्थागत रूप दिया जा सकेगा।
- ग्राम पंचायत समन्वय समिति में होने वाली चर्चाओं और समस्याओं की पहचान से ग्राम सभाएँ अधिक सक्रिय और प्रभावी बनेंगी। साथ ही, ग्राम सभा में चर्चा के लिए कार्यसूची पहले से तैयार की जा सकेगी।
- ग्राम पंचायत समन्वय समिति, ग्राम पंचायत विकास योजना और ग्राम विकास योजना के अंतर्गत उठाई गई माँगों की निगरानी और नियमित समीक्षा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगी।
- नागरिकों के अधिकारों, सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों और आजीविका बढ़ाने के अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।
- ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर के बीच साझेदारी एवं समन्वय से ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार की गई विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।
- इस प्रक्रिया से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

ग्राम पंचायत समन्वय समिति का गठन एवं संरचना:

समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हो सकते हैं:

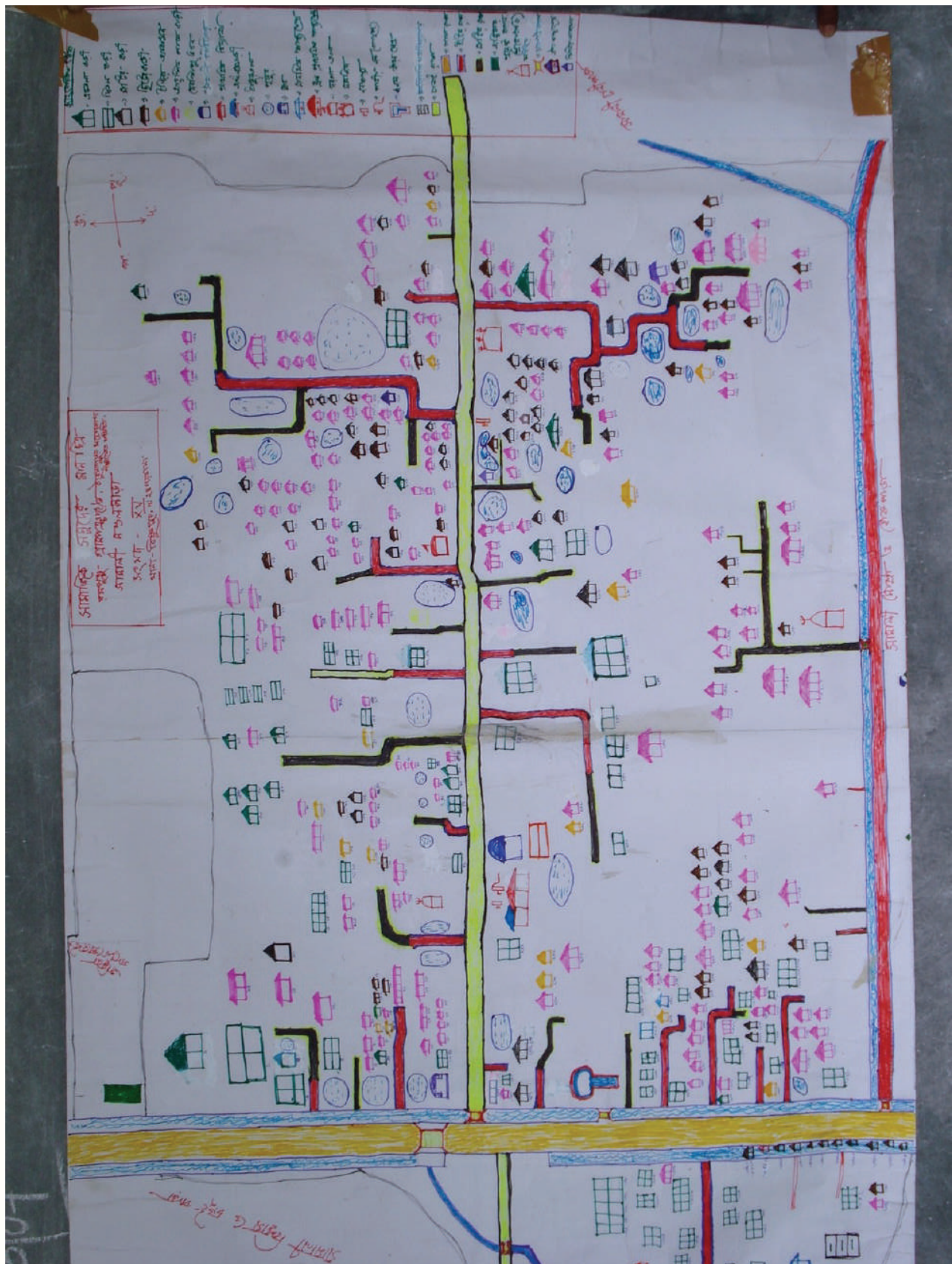
	सदस्य:
<ul style="list-style-type: none"> • अध्यक्ष: ग्राम प्रधान / सरपंच / मुखिया। • सचिव: पंचायत सचिव। 	<ul style="list-style-type: none"> • सभी वार्ड सदस्य / पंच। • राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित ग्राम संगठनों के प्रतिनिधि। • आमंत्रित सदस्य: पंचायत स्तर पर कार्यरत विभिन्न विभागों के कर्मचारी। • अतिरिक्त सदस्य: अध्यक्ष की स्वीकृति से समुदाय के सक्रिय सदस्य, जैसे प्रगतिशील किसान, युवा, सामुदायिक संसाधन व्यक्ति आदि।

सुझाए गए नियम:

1. बैठकें हर महीने या दो महीने में एक बार आयोजित की जा सकती हैं। इस संबंध में अंतिम निर्णय पंचायत कार्यकारिणी समिति द्वारा लिया जाएगा।
2. पहली बैठक की तारीख आपसी सहमति से तय की जाएगी। इसके बाद होने वाली बैठकों की सूचना कम से कम 7 दिन पहले दी जाएगी।
3. बैठक के लिए कम से कम 50% सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। यदि निर्धारित संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं, तो 3 दिन बाद दोबारा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें न्यूनतम उपस्थिति की शर्त लागू नहीं होगी।

ग्राम पंचायत समन्वय समिति की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ:

- पंचायत सचिव अध्यक्ष की स्वीकृति से बैठक की कार्यसूची सभी संबंधित सदस्यों को उपलब्ध कराएँगे, बैठक की कार्यवाही दर्ज करेंगे तथा ग्राम पंचायत समन्वय समिति के लिए एक अलग रजिस्टर रखेंगे, जिसमें आवश्यक हस्ताक्षर किए जाएँगे।
- अध्यक्ष कार्यसूची के अनुसार बैठक का संचालन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी निर्णय आपसी सहमति से लिए जाएँ।
- प्रत्येक बैठक की शुरुआत पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों और उन पर की गई कार्रवाई की समीक्षा से होगी।
- समिति मौसम और स्थानीय जरूरतों के अनुसार बैठक की कार्यसूची तैयार करेगी, जिसमें कृषि, जल, स्वास्थ्य आदि से जुड़े विषय शामिल होंगे।
- ग्राम पंचायत समन्वय समिति ग्राम पंचायत विकास योजना, ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना तथा पंचायत स्तर और विभिन्न विभागों की अन्य प्रमुख योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी।
- ग्राम संगठनों के प्रतिनिधि अपनी समस्याएँ और मुद्दे समिति के सामने रखेंगे। समिति विभिन्न विभागों के बीच तालमेल और समन्वय के माध्यम से उनके समाधान में सहायता करेगी।
- ग्राम पंचायत स्तर पर जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा, उन्हें संकुल स्तरीय संघ या ब्लॉक स्तरीय समन्वय समिति के समक्ष रखा जाएगा। अन्य समस्याओं का समाधान संबंधित विभागों के आपसी समन्वय से किया जाएगा। सभी बैठकों की कार्यवाही का उचित रिकॉर्ड रखा जाएगा तथा उन पर की गई कार्रवाई की समीक्षा अगली बैठकों में की जाएगी।



अध्याय 4

योजना को उच्च स्तर तक ले जाना: ब्लॉक एवं जिला पंचायत विकास योजनाएँ

4.1 परिचय

जिला पंचायत विकास योजना तथा ब्लॉक पंचायत विकास योजना, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत विकेन्द्रीकृत नियोजन के अभिन्न अंग हैं और ग्राम पंचायत विकास योजना की पूरक हैं। ये योजनाएँ सुनिश्चित करती हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर विकास संबंधी प्राथमिकताओं का निर्धारण अभिसरण, समन्वय तथा पदानुक्रमित दृष्टिकोण के साथ किया जाए।

सोलहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक की पुरस्कार अवधि के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु ₹4,35,236 करोड़ के अनुदान की सिफारिश की है। इन अनुदानों के दो घटक हैं: मूलभूत अनुदान (80%) और निष्पादन अनुदान (20%)। निष्पादन अनुदान का प्रावधान राज्यों के लिए दूसरे वर्ष से तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पुरस्कार अवधि के तीसरे वर्ष (2028-29) से किया गया है। इन अनुदानों का वितरण पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के बीच संबंधित राज्य वित्त आयोगों की नवीनतम स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार किया जाना है। ऐसी सिफारिशें उपलब्ध न होने की स्थिति में, त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के लिए 80%, ब्लॉक पंचायतों के लिए 10% तथा जिला पंचायतों के लिए 10% के निर्धारित मानदंड लागू होंगे। मूलभूत अनुदानों का निर्गमन निर्धारित पात्रता शर्तों के अधीन है, जिनमें अनंतिम एवं लेखापरीक्षित लेखों की उपलब्धता तथा राज्य वित्त आयोगों के गठन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन शामिल है। निष्पादन अनुदान स्वयं के राजस्व स्रोतों में सुधार से संबद्ध हैं, जबकि राज्य निष्पादन अनुदान घटक इस शर्त पर निर्भर करता है कि राज्य निर्धारित शर्तों के अनुसार अपने संसाधनों से स्थानीय निकायों को अनुदान हस्तांतरित करे।

इस संदर्भ में, ब्लॉक एवं जिला पंचायतों, जिनका हस्तांतरित निधियों में सम्मिलित रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा है, से संरचित एवं अभिसरण-आधारित नियोजन में निर्णायक भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। अतः उपलब्ध वित्तीय संसाधनों, जिनमें वित्त आयोग के अनुदान, राज्य सरकार से प्राप्त अंतरण तथा केंद्र प्रायोजित योजनाएँ शामिल हैं, के साथ स्थानीय प्राथमिकताओं का समन्वय स्थापित करने के लिए ब्लॉक पंचायत विकास योजना तथा जिला पंचायत विकास योजना तैयार करना आवश्यक है। प्रशासनिक एवं तकनीकी क्षमता की दृष्टि से ये स्तर अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में हैं। इसलिए ये विशेष रूप से जल, स्वच्छता एवं अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में परियोजना-आधारित, परिणामोन्मुखी तथा सतत विकास योजनाएँ तैयार करने के लिए उपयुक्त हैं। ये क्षेत्र आबद्ध एवं अनाबद्ध अनुदानों के अंतर्गत प्राथमिकता वाले क्षेत्र बने हुए हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिकांश विभागीय कार्यान्वयन एजेंसियाँ एवं संबंधित विभाग ब्लॉक तथा जिला मुख्यालयों से कार्य करते हैं। इस कारण ये पंचायतें विभिन्न योजनाओं एवं संसाधनों के अभिसरण को सुगम बनाने की दृष्टि से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थिति में हैं। ये क्षेत्रवार विभागीय इनपुट के एकीकरण, निधियों के प्रवाह का मानचित्रण तथा ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजन को व्यापक बनाने और उच्चतर स्तर की प्राथमिकताओं के अनुरूप सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। यह दृष्टिकोण सोलहवें वित्त आयोग के

सार्वजनिक व्यय की दक्षता में सुधार, विभिन्न पंचायत स्तरों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने तथा एकीकृत नियोजन ढाँचों के माध्यम से बेहतर सेवा प्रदायगी के परिणाम सुनिश्चित करने संबंधी बल के अनुरूप है।

4.2 ब्लॉक पंचायत विकास योजनाओं (BPDP) की तैयारी

ब्लॉक पंचायत विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया सहभागी, समावेशी, पारदर्शी तथा साक्ष्य-आधारित और निचले स्तर से ऊपर की ओर नियोजन की प्रक्रिया होगी। यह ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की पूरक होगी तथा उन विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगी, जिनके लिए अनेक ग्राम पंचायतों के बीच समन्वित हस्तक्षेप आवश्यक हैं अथवा जिन्हें मध्यवर्ती/ब्लॉक पंचायत स्तर पर अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सकता है। BPDP, समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा देकर, विकेन्द्रीकृत शासन को सुदृढ़ करके, बुनियादी सेवाओं तक पहुँच में सुधार लाकर तथा ग्रामीण नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाकर विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देगी।

विकास संबंधी प्राथमिकताओं की पहचान ग्राम पंचायत विकास योजनाओं से उभरने वाली आवश्यकताओं एवं कमियों, पंचायत विकास सूचकांक के निष्कर्षों, प्रासंगिक प्रशासनिक आँकड़ों, स्थानीय परामर्शों तथा संबंधित विभागों से प्राप्त इनपुट को समेकित करके की जाएगी। ब्लॉक पंचायत विकास योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं, उपलब्ध वित्तीय संसाधनों तथा विभागीय गतिविधियों के अभिसरण को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, सतत विकास लक्ष्यों सहित राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय विकास प्राथमिकताओं की प्राप्ति में योगदान दिया जाएगा।

ब्लॉक पंचायत विकास योजना का मुख्य ध्यान ऐसी परियोजनाओं पर होगा, जिनका प्रभाव एक से अधिक ग्राम पंचायतों अथवा संपूर्ण ब्लॉक स्तर पर पड़ता हो, जिनके लिए व्यक्तिगत ग्राम पंचायतों की उपलब्ध क्षमता से परे तकनीकी विशेषज्ञता अथवा संस्थागत क्षमता की आवश्यकता हो, अथवा जिनके समन्वित क्रियान्वयन से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हों। ब्लॉक स्तर पर कार्यरत संबंधित विभागों की गतिविधियों को भी योजना में समाहित किया जाएगा, यद्यपि उनका क्रियान्वयन संबंधित विभागों द्वारा ही किया जा सकता है। नियोजन प्रक्रिया में, संबंधित राज्य के पंचायती राज अधिनियम, नियमों तथा राज्य-विशिष्ट दिशा-निर्देशों के अधीन रहते हुए, व्यापक रूप से निम्नलिखित चरणों का अनुसरण किया जाएगा:

(i) परियोजनाओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण: मध्यवर्ती/ब्लॉक पंचायत ऐसी आवश्यकता-आधारित परियोजनाओं की पहचान करेगी तथा उन्हें प्राथमिकता प्रदान करेगी, जिनके लिए अनेक ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय, तकनीकी विशेषज्ञता अथवा व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले लाभों की आवश्यकता हो। प्राथमिकताओं का निर्धारण PAI के निष्कर्षों, स्थानीय आवश्यकताओं, उपलब्ध संसाधनों तथा संबंधित राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाएगा। इसमें समावेशी विकास तथा सतत विकास पर विशेष बल दिया जाएगा।

(ii) ब्लॉक सभा का गठन एवं परामर्श: ब्लॉक पंचायत विकास योजना पर संबंधित राज्य की लागू व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित ब्लॉक सभा अथवा समकक्ष परामर्श तंत्र के माध्यम से विचार-विमर्श किया जाएगा, ताकि

ब्लॉक स्तर पर नियोजन में स्थानीय आकांक्षाओं, सामुदायिक प्राथमिकताओं तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं को समुचित स्थान मिल सके।

(iii) संसाधनों का मानचित्रण एवं अभिसरण: योजना में उपलब्ध निधियों, विभागीय योजनाओं, वित्त आयोग के अनुदानों तथा अन्य अनुमेय संसाधनों का मानचित्रण किया जाएगा। गतिविधियों का संबंधित योजनाओं एवं विभागीय योजनाओं के साथ समन्वय किया जाएगा, ताकि दोहराव से बचा जा सके, संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हो तथा विकसित भारत के दृष्टिकोण की प्राप्ति की दिशा में विकास संबंधी परिणामों को अधिकतम किया जा सके।

(iv) अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति: BDPD का अनुमोदन संबंधित राज्य के लागू पंचायती राज अधिनियम, नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। व्यय तथा वित्तीय स्वीकृतियाँ राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों, लागू वित्तीय नियमों तथा संबंधित निधियों को नियंत्रित करने वाली शर्तों के अधीन होंगी।

(v) डिजिटल अपलोड, क्रियान्वयन एवं निगरानी: अनुमोदित BDPD को, जहाँ लागू हो, ई-ग्रामस्वराज पोर्टल अथवा निर्धारित अन्य पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। प्रगति की निगरानी आवधिक समीक्षाओं, वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की रिपोर्टिंग, विभागीय समन्वय तथा परिणाम-आधारित मूल्यांकन के माध्यम से की जाएगी, ताकि नियोजित हस्तक्षेपों से ग्रामीण विकास एवं सेवा प्रदायगी में ठोस सुधार सुनिश्चित हो सके।

इस दृष्टिकोण के माध्यम से BDPD ग्राम पंचायत स्तर की प्राथमिकताओं तथा व्यापक ब्लॉक स्तरीय विकास आवश्यकताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेगी। सशक्त पंचायतों, समन्वित नियोजन, संसाधनों के कुशल उपयोग तथा सार्वजनिक सेवाओं की अंतिम छोर तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करके यह विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण की प्राप्ति में योगदान देगी।

4.2.1 ब्लॉक पंचायत विकास योजना तैयार करने के चरण

1. प्रत्येक मध्यवर्ती पंचायत के लिए मध्यवर्ती नियोजन समिति का गठन।
2. अनुकूल वातावरण का निर्माण एवं समुदाय का जागरूकता तथा सहभागिता हेतु लामबंद करना।
3. पंचायत विकास सूचकांक के आँकड़ों के आधार पर स्थिति का विश्लेषण, आवश्यकताओं का आकलन तथा कमियों की पहचान।
4. पंचायत विकास सूचकांक के आँकड़ों के आधार पर विकास की स्थिति संबंधी रिपोर्ट तैयार करना।
5. लक्ष्य निर्धारण हेतु दृष्टिकोण एवं परिकल्पना निर्माण की प्रक्रिया आयोजित करना।
6. संसाधनों का आकलन तथा संबंधित गतिविधियों की पहचान-विशेष ब्लॉक सभा के माध्यम से।
7. प्रारूप योजना तैयार करना तथा गतिविधियों का प्राथमिकता निर्धारण करना।
8. ब्लॉक पंचायत विकास योजना का अनुमोदन तथा ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड करना।
9. क्रियान्वयन, निगरानी तथा प्रभाव का विश्लेषण करना।

4.2.2 ब्लॉक पंचायत विकास योजना तैयार करने की संभावित समय-सारणी

क्र. सं.	गतिविधियाँ	समय-सीमा
1.	ब्लॉक सभा की बैठकों में नियोजन प्रक्रिया का शुभारंभ	अक्टूबर, 2026 में
2.	पंचायत विकास सूचकांक के आधार पर क्षेत्रवार/विषयगत आँकड़ों का विश्लेषण	दिसंबर, 2026 तक
3.	क्षेत्रवार प्राथमिकताओं का निर्धारण एवं निधियों का आवंटन	जनवरी, 2027 तक
4.	क्षेत्रवार/विषयगत प्रारूप योजना एवं बजट तैयार करना तथा उसे मध्यवर्ती पंचायत नियोजन समिति/स्थायी समिति की बैठकों में प्रस्तुत करना	जनवरी, 2027 तक
5.	विचारार्थ मध्यवर्ती पंचायत की प्रारूप योजना एवं बजट को विशेष ब्लॉक सभा में प्रस्तुत करना	फरवरी, 2027 तक
6.	अनुमोदन हेतु मध्यवर्ती पंचायत की प्रारूप योजना एवं बजट को ब्लॉक सभा की बैठक में प्रस्तुत करना	फरवरी, 2027 तक
7.	ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर योजना अपलोड करना	28 फरवरी, 2027 तक

ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायतों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों के अंतर्गत उन्हें प्रत्यायोजित कार्यों के अनुसार बुनियादी सेवाएँ उपलब्ध कराएँ तथा विकास कार्य संचालित करें। जहाँ ग्राम पंचायतें आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर सकती हैं, वहीं ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायतों को भी स्थानीय स्तर पर योजनाएँ तैयार करते समय सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर विशेष ध्यान देते हुए नौ विषयगत दृष्टिकोणों के आधार पर नियोजन करना चाहिए।

4.3 जिला पंचायत विकास योजना (DPDP) की तैयारी

स्थानीय शासन की इकाई के रूप में जिला पंचायतें स्थानीय नागरिकों को बुनियादी सेवाएँ उपलब्ध कराने तथा गरीब एवं वंचित वर्गों की संवेदनशीलताओं और कठिनाइयों का समाधान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला पंचायत विकास योजना तैयार करना एक समयबद्ध प्रक्रिया है। यह क्रमिक रूप से तैयार की जाने वाली योजनाओं की श्रृंखला का एक आवश्यक अंग है। इसे संबंधित क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजनाओं तथा मध्यवर्ती पंचायत द्वारा ब्लॉक पंचायत विकास योजना तैयार किए जाने की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद तैयार किया जाना चाहिए।

4.3.1 जिला पंचायत विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया

जिला पंचायत विकास योजना में उपलब्ध संसाधनों तथा बुनियादी सेवाओं के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए लोगों की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और विकास संबंधी प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। इसे संशोधित अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी नियोजन दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए सहभागी, समावेशी, पारदर्शी तथा साक्ष्य-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाएगा। प्रभावी नियोजन एवं सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी के माध्यम से विकेन्द्रीकृत शासन को सुदृढ़ करके, समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा देकर तथा नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाकर जिला पंचायत विकास योजना **विकसित भारत @2047** के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देगी।

जिला पंचायत विकास योजना आवश्यकता-आधारित होगी तथा ग्राम पंचायत विकास योजनाओं एवं ब्लॉक पंचायत विकास योजनाओं की पूरक होगी। इसमें उन विकास संबंधी आवश्यकताओं को सम्मिलित किया जाएगा, जिनके लिए जिला स्तर पर नियोजन, समन्वय अथवा हस्तक्षेप की आवश्यकता है। साथ ही, यह सतत विकास लक्ष्यों सहित राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय विकास प्राथमिकताओं की प्राप्ति में योगदान देगी। अभिसरण एवं समन्वित क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर कार्यरत संबंधित विभागों की योजनाओं एवं गतिविधियों को जिला पंचायत विकास योजना में समाहित किया जाएगा। हालाँकि, संबंधित विभागों को उन्हें सौंपे गए कार्यों का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी प्राप्त रह सकती है।

नियोजन प्रक्रिया में, संबंधित राज्य के लागू पंचायती राज अधिनियम, नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अधीन रहते हुए, ग्राम पंचायत विकास योजना तथा ब्लॉक पंचायत विकास योजना के लिए अपनाए गए सिद्धांतों का व्यापक रूप से अनुसरण किया जाएगा, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(i) परियोजनाओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण: जिला पंचायत ऐसी परियोजनाओं एवं गतिविधियों पर विचार करेगी, जिनका विस्तार अनेक ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों तक हो तथा जिन्हें ब्लॉक पंचायत विकास योजना में पर्याप्त रूप से समाहित नहीं किया जा सकता हो। इसके अतिरिक्त, ऐसी परियोजनाओं पर भी विचार किया जाएगा, जिनका विस्तार अनेक ब्लॉकों तक हो तथा जिनके लिए जिला स्तर पर समन्वय, तकनीकी विशेषज्ञता अथवा ऐसे संसाधनों की आवश्यकता हो, जो व्यक्तिगत ब्लॉक पंचायतों की क्षमता से परे हों।

(ii) सहायकता के सिद्धांत का अनुप्रयोग: जिला पंचायत विकास योजना में सहायकता के सिद्धांत के अनुरूप ऐसी गतिविधियों को सम्मिलित किया जाएगा, जिनका क्रियान्वयन जिला स्तर पर उपयुक्त रूप से किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार, कार्यों का दायित्व शासन के उस निम्नतम स्तर को सौंपा जाता है, जो उन्हें प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में सक्षम हो। इस दृष्टिकोण से संसाधनों के कुशल उपयोग, उत्तरदायी शासन तथा जिले में संतुलित विकास को बढ़ावा मिलेगा।

(iii) जिला सभा के माध्यम से विचार-विमर्श एवं अनुमोदन: संबंधित राज्य की लागू व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित जिला सभा अथवा समकक्ष परामर्श तंत्र के माध्यम से जिला पंचायत विकास योजना पर विचार-विमर्श किया जाएगा। राज्य के नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार, इसमें जिले के सभी जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा जिले की ग्राम पंचायतों के प्रधान/सरपंच शामिल हो सकते हैं।

जिला पंचायत विकास योजना जिला स्तरीय विकासात्मक हस्तक्षेपों, योजनाओं एवं संसाधनों के अभिसरण तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए एक समन्वित ढाँचा उपलब्ध कराएगी। स्थानीय आकांक्षाओं का जिला स्तरीय प्राथमिकताओं तथा राष्ट्रीय विकास संबंधी प्रतिबद्धताओं के साथ समन्वय स्थापित करके यह योजना सशक्त पंचायती राज संस्थाओं, समावेशी विकास, सतत विकास तथा सार्वजनिक सेवाओं की अंतिम छोर तक बेहतर पहुँच के माध्यम से विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सहायक होगी।

4.3.2 जिला पंचायत विकास योजना तैयार करने के चरण

1. प्रत्येक जिले के लिए जिला पंचायत विकास नियोजन समिति का गठन।
2. अनुकूल वातावरण का निर्माण एवं समुदाय का जागरूकता तथा सहभागिता हेतु लामबंद करना।
3. पंचायत विकास सूचकांक के आँकड़ों के आधार पर स्थिति का विश्लेषण, आवश्यकताओं का आकलन तथा कमियों की पहचान।
4. पंचायत विकास सूचकांक के आँकड़ों के आधार पर विकास की स्थिति संबंधी रिपोर्ट तैयार करना।
5. लक्ष्य निर्धारण हेतु दृष्टिकोण एवं परिकल्पना निर्माण की प्रक्रिया आयोजित करना।
6. संसाधनों का आकलन तथा संबंधित गतिविधियों की पहचान — विशेष जिला सभा के माध्यम से।
7. प्रारूप योजना तैयार करना तथा गतिविधियों का प्राथमिकता निर्धारण करना।
8. जिला पंचायत विकास योजना का अनुमोदन तथा ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड करना।
9. क्रियान्वयन, निगरानी तथा प्रभाव का विश्लेषण करना।

4.3.3 जिला पंचायत विकास योजना तैयार करने की संभावित समय-सारणी

क्र. सं.	गतिविधियाँ	समय-सीमा
1.	जिला सभा की बैठकों में नियोजन प्रक्रिया का शुभारंभ	अक्टूबर, 2026 में
2.	पंचायत विकास सूचकांक के आधार पर क्षेत्रवार/विषयगत आँकड़ों का विश्लेषण	दिसंबर, 2026 तक
3.	क्षेत्रवार प्राथमिकताओं का निर्धारण एवं निधियों का आवंटन	जनवरी, 2027 तक
4.	क्षेत्रवार/विषयगत प्रारूप योजना एवं बजट तैयार करना तथा उसे जिला पंचायत नियोजन समिति/स्थायी समिति की बैठकों में प्रस्तुत करना	जनवरी, 2027 तक
5.	विचारार्थ जिला पंचायत की प्रारूप योजना एवं बजट को विशेष जिला सभा में प्रस्तुत करना	फरवरी, 2027 तक
6.	अनुमोदन हेतु जिला पंचायत की प्रारूप योजना एवं बजट को जिला सभा की बैठक में प्रस्तुत करना	फरवरी, 2027 तक
7.	ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर योजना अपलोड करना	31 मार्च, 2027 तक

संक्षिप्त झलक: ब्लॉक एवं जिला पंचायत विकास योजनाएँ

- विकेन्द्रीकृत नियोजन में जिला एवं ब्लॉक पंचायत विकास योजनाओं की भूमिका: जिला पंचायत विकास योजना तथा ब्लॉक पंचायत विकास योजना, ग्राम पंचायत विकास योजना की पूरक हैं। ये पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर अभिसरण, समन्वय एवं पदानुक्रमित नियोजन सुनिश्चित करती हैं।
- सोलहवें वित्त आयोग पर आधारित नियोजन एवं निधियों का प्रवाह: वर्ष 2026-31 की अवधि के लिए ₹7.91 लाख करोड़ के आवंटन तथा निर्धारित निधि वितरण व्यवस्था (ग्राम पंचायतों के लिए 80%, ब्लॉक पंचायतों के लिए 10% तथा जिला पंचायतों के लिए 10%) के संदर्भ में, ब्लॉक एवं जिला पंचायत विकास योजनाएँ वित्तीय संसाधनों, निष्पादन संबंधी शर्तों तथा जवाबदेही ढाँचों के साथ योजनाओं का समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण हैं।
- ब्लॉक पंचायत की भूमिका: ब्लॉक पंचायत विकास योजना, ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का समेकन करती है, ग्राम पंचायतों के बीच तथा ब्लॉक स्तर की प्राथमिकताओं का समाधान करती है, संबंधित विभागों की गतिविधियों को समाहित करती है तथा विभिन्न हितधारकों की सहभागिता से आयोजित ब्लॉक सभा के माध्यम से अनुमोदित की जाती है।
- जिला पंचायत की भूमिका: जिला पंचायत विकास योजना, ग्राम पंचायत विकास योजनाओं एवं ब्लॉक पंचायत विकास योजनाओं का एकीकरण करती है, विभिन्न ब्लॉकों के बीच तथा जिला स्तर की परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करती है, सहायकता के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित करती है तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं क्षेत्रवार हितधारकों की सहभागिता वाली जिला सभा के माध्यम से अनुमोदित की जाती है।
- सहगितापूर्ण एवं साक्ष्य-आधारित नियोजन प्रक्रिया: ब्लॉक एवं जिला पंचायत विकास योजनाओं में स्थिति विश्लेषण (पंचायत विकास सूचकांक पर आधारित), दृष्टिकोण एवं परिकल्पना निर्माण, संसाधनों का आकलन, प्राथमिकता निर्धारण, अनुमोदन तथा ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड करने सहित विभिन्न सुव्यवस्थित चरणों का अनुसरण किया जाता है।
- अभिसरण एवं संस्थागत क्षमता का लाभ: संबंधित विभागों के प्रमुख केंद्र होने के कारण ब्लॉक एवं जिला पंचायत योजनाओं के अभिसरण, निधियों के मानचित्रण तथा एकीकृत नियोजन को सुगम बनाती हैं, जिससे कार्यकुशलता एवं सेवा प्रदायगी के परिणामों में सुधार होता है।

अध्याय 5

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA) क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)

5.1 पृष्ठभूमि

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम जनजातीय समुदायों को स्वशासन की व्यवस्था प्रदान करता है। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण विषयों पर ग्राम सभा को केंद्रीय भूमिका प्रदान की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले गाँव की ग्राम सभा को लोगों की परंपराओं, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों तथा विवादों के निपटारे की पारंपरिक पद्धति के संरक्षण एवं संवर्धन का अधिकार प्राप्त है। ऐसे गाँव की ग्राम सभा को निम्नलिखित अधिकार एवं उत्तरदायित्व प्राप्त हैं:

- (i) ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व उनका अनुमोदन करना।
- (ii) गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान करना अथवा उनका चयन करना।
- (iii) उपर्युक्त खंड (i) में उल्लिखित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के लिए पंचायतों को उपलब्ध कराई गई निधियों के उपयोग के संबंध में प्रमाण-पत्र जारी करना।
- (iv) अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण तथा ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास अथवा पुनर्स्थापन से पूर्व परामर्श प्राप्त करने का अधिकार।
- (v) गौण खनिजों के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा खनन पट्टे प्रदान करने से पूर्व तथा नीलामी के माध्यम से गौण खनिजों के दोहन हेतु रियायत प्रदान करने के संबंध में अनिवार्य रूप से सिफारिशें देने का अधिकार।
- (vi) किसी भी मादक पदार्थ के विक्रय एवं उपभोग पर प्रतिबंध लगाने अथवा उसे विनियमित या प्रतिबंधित करने की शक्ति।
- (vii) गौण वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार।
- (viii) भूमि के अवैध हस्तांतरण को रोकने तथा किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की अवैध रूप से हस्तांतरित भूमि को वापस दिलाने की शक्ति।
- (ix) ग्राम बाजारों के प्रबंधन की शक्ति।
- (x) अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले ऋण एवं साहूकारी पर नियंत्रण की शक्ति।
- (xi) सामाजिक क्षेत्र के सभी संस्थानों एवं कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण रखने की शक्ति।
- (xii) स्थानीय योजनाओं तथा ऐसी योजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधनों पर नियंत्रण रखने की शक्ति, जिसमें जनजातीय उप-योजनाएँ भी शामिल हैं।

5.2 पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास योजना

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम की धारा 4(ड)(i) के अनुसार, पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में विकास योजनाएँ ग्राम स्तर पर तैयार की जानी हैं। अतः ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने से पहले ग्राम स्तर पर योजना तैयार करना आवश्यक है। ग्राम स्तर की योजनाएँ तैयार हो जाने के बाद उनका समेकन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा।

उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्राम पंचायत में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम के अंतर्गत आने वाले तीन गाँव हैं, तो प्रत्येक गाँव को आवंटित संसाधनों की सीमा के अनुसार उस गाँव की अपनी योजना तैयार की जाएगी। संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा इन योजनाओं का अनुमोदन किए जाने के बाद, उन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर समेकित करके ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, अपनी योजनाएँ तैयार करते समय ग्राम सभाएँ अब पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम के अंतर्गत उन्हें प्राप्त शक्तियों से संबंधित 42 गतिविधियों को भी अपनी योजनाओं में शामिल कर सकती हैं। इन गतिविधियों को नौ प्रमुख विषयों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

1. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा को सशक्त बनाना।
2. गौण वनोपज।
3. गौण खनिज।
4. भूमि के अवैध हस्तांतरण की रोकथाम।
5. मादक पदार्थों पर नियंत्रण।
6. विवादों के निपटारे की पारंपरिक पद्धति।
7. साहूकारी एवं ऋण व्यवस्था पर नियंत्रण।
8. लघु जल निकाय।
9. ग्राम बाजारों का प्रबंधन।

***पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम से संबंधित 42 गतिविधियों की सूची अनुच्छेद 5.3 के अंत में दी गई है।**

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुरूप, मंत्रालय के ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में संशोधन किया गया है, ताकि पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर नियोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके अंतर्गत पोर्टल पर संबंधित गाँव के उपलब्ध संसाधनों की सीमा प्रदर्शित की जाती है, जिसमें वित्त आयोग के अनुदान, राज्य वित्त आयोग के अनुदान, स्वयं के राजस्व स्रोतों से प्राप्त आय आदि शामिल हैं।

पोर्टल पर पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम से संबंधित विषय को सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के नौ विषयों तथा वन अधिकार अधिनियम के साथ एक अलग विषय के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार, अधिनियम के अंतर्गत आने वाली पंचायत अथवा गाँव के लिए सतत विकास

लक्ष्यों के स्थानीयकरण के नौ विषयों, वन अधिकार अधिनियम तथा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम से संबंधित 42 गतिविधियों का विवरण उपलब्ध होगा।

ग्राम पंचायत विकास योजना में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम से संबंधित गतिविधियों को शामिल करने से जनजातीय समुदाय सशक्त होंगे। इससे उन्हें अपनी विकास प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होगा, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का अवसर मिलेगा तथा यह सुनिश्चित होगा कि उनकी पहचान की गई विकास संबंधी प्राथमिकताएँ योजनाओं में सही रूप से प्रतिबिंबित हों।

5.3 ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम से संबंधित अनिवार्य गतिविधि

यह उल्लेखनीय है कि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक गाँव की ग्राम सभा के लिए अपनी योजना तैयार करते समय अधिनियम से संबंधित कम-से-कम एक गतिविधि को शामिल करना अनिवार्य किया गया है। ग्राम सभा कम लागत वाली अथवा बिना लागत वाली गतिविधियों का चयन कर सकती है, लेकिन ग्राम स्तर की योजना तथा तत्पश्चात ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करते समय अधिनियम से संबंधित कम-से-कम एक गतिविधि को शामिल करना अनिवार्य है।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की ग्राम सभाएँ अपनी योजनाओं में इस अधिनियम से संबंधित एक से अधिक गतिविधियों को भी शामिल करने पर विचार कर सकती हैं।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम से संबंधित 42 गतिविधियों की सूची

1. ग्राम सभा की बैठकों के लिए ग्राम सभा मंडप/छायादार स्थल, ग्राम सभा कार्यालय अथवा सचिवालय का निर्माण [पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा को सशक्त बनाना]
2. ग्राम सभा की बैठकों के लिए ग्राम सभा मंडप/छायादार स्थल, ग्राम सभा कार्यालय अथवा सचिवालय का रखरखाव [ग्राम सभा को सशक्त बनाना]
3. ग्राम सभा तथा उसकी समितियों की बैठकों से संबंधित व्यय [ग्राम सभा को सशक्त बनाना]
4. सार्वजनिक स्थानों पर उद्घोषणा प्रणालियों एवं सूचना पट्टों से संबंधित व्यय [ग्राम सभा को सशक्त बनाना]
5. ग्राम सभा कार्यालय के प्रशासनिक व्यय [ग्राम सभा को सशक्त बनाना]
6. पारंपरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थलों का रखरखाव एवं संरक्षण [ग्राम सभा को सशक्त बनाना]
7. स्थानीय त्योहारों एवं सांस्कृतिक आयोजनों सहित राष्ट्रीय एवं स्थानीय महत्व के दिवसों का आयोजन [ग्राम सभा को सशक्त बनाना]

8. सामुदायिक वन संसाधनों एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन हेतु योजना तैयार करना [ग्राम सभा को सशक्त बनाना]
9. ग्राम सभा के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम [ग्राम सभा को सशक्त बनाना]
10. जागरूकता सृजन एवं सूचना, शिक्षा तथा संचार संबंधी गतिविधियाँ [ग्राम सभा को सशक्त बनाना]
11. सामाजिक संस्थाओं एवं सरकारी कार्मिकों के कार्यों की निगरानी [ग्राम सभा को सशक्त बनाना]
12. गोदामों, भंडारण गृहों एवं शीतगृहों का निर्माण [ग्राम सभा को सशक्त बनाना]
13. गोदामों, भंडारण गृहों एवं शीतगृहों का रखरखाव [ग्राम सभा को सशक्त बनाना]
14. ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों की निगरानी एवं उनके अभिलेखों का संधारण [ग्राम सभा को सशक्त बनाना]
15. ग्राम सभा अथवा उसकी समिति द्वारा गौण वनोपज की खरीद [गौण वनोपज]
16. गौण वनोपज के अत्यधिक दोहन के कारण क्षतिग्रस्त वनों के सुधार हेतु गतिविधियाँ [गौण वनोपज]
17. गौण वनोपज का संग्रहण, प्रसंस्करण, परिवहन एवं विपणन [गौण वनोपज]
18. गौण वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण, परिवहन एवं विपणन के लिए कौशल प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण [गौण वनोपज]
19. वनों में रोपण हेतु गौण वनोपज से संबंधित बीजों एवं पौधों की खरीद [गौण वनोपज]
20. ग्राम सभा के माध्यम से वन-आधारित पर्यटन, सफारी एवं दर्शनीय स्थलों के भ्रमण को बढ़ावा देना [गौण वनोपज]
21. मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने हेतु जागरूकता सृजन [गौण वनोपज]
22. मादक पदार्थों के व्यसन से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास केंद्र का संचालन [मादक पदार्थों पर नियंत्रण]
23. मादक पदार्थों के उत्पादन, विक्रय एवं उपभोग पर नियंत्रण तथा निगरानी संबंधी व्यय [मादक पदार्थों पर नियंत्रण]
24. क्षेत्र में सक्रिय साहूकारों की सूची तैयार करना एवं उनकी गतिविधियों की निगरानी [साहूकारी एवं ऋण व्यवस्था पर नियंत्रण]
25. विवादों के निपटारे की प्रक्रिया की निगरानी एवं अभिलेखों का संधारण [विवादों के निपटारे की पारंपरिक पद्धति]
26. गाँव के भौतिक एवं डिजिटल मानचित्र तैयार करना तथा उनका रखरखाव [भूमि के अवैध हस्तांतरण की रोकथाम]
27. भूमि के अवैध हस्तांतरण की रोकथाम से संबंधित गतिविधियों के अभिलेखों का संधारण एवं निगरानी [भूमि के अवैध हस्तांतरण की रोकथाम]
28. लघु जल निकायों के नियोजन एवं प्रबंधन से संबंधित व्यय [लघु जल निकाय]
29. लघु जल निकायों के आसपास बाँस की नावों से नौकायन, नौका विहार आदि जैसी पर्यटन गतिविधियों का विकास [लघु जल निकाय]
30. लघु जल निकायों के आसपास उद्यानों एवं पार्कों का निर्माण [लघु जल निकाय]

31. लघु जल निकायों के आसपास उद्यानों एवं पार्कों का रखरखाव [लघु जल निकाय]
32. ग्राम बाजार में सभी मौसमों में उपयोग योग्य सड़कों, वर्षा से बचाव हेतु शेड, पार्किंग आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं का विकास [ग्राम बाजारों का प्रबंधन]
33. ग्राम बाजार में विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था स्थापित करना [ग्राम बाजारों का प्रबंधन]
34. ग्राम बाजारों में पेयजल सुविधाएँ उपलब्ध कराना [ग्राम बाजारों का प्रबंधन]
35. बाजारों तथा सांस्कृतिक एवं पारंपरिक महत्व के स्थलों पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण [ग्राम बाजारों का प्रबंधन]
36. बाजारों तथा सांस्कृतिक एवं पारंपरिक महत्व के स्थलों पर सार्वजनिक शौचालयों का रखरखाव [ग्राम बाजारों का प्रबंधन]
37. ग्राम बाजार क्षेत्र में स्वच्छता एवं साफ-सफाई से संबंधित व्यय [ग्राम बाजारों का प्रबंधन]
38. गौण खनिजों के संग्रहण एवं निष्कर्षण का सर्वेक्षण तथा निगरानी [गौण खनिज]
39. ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में खनन गतिविधियों एवं खनन से संबंधित एजेंसियों की निगरानी [गौण खनिज]
40. ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में गौण खनिजों के सतत अन्वेषण एवं निष्कर्षण के लिए खनन योजना तैयार करना तथा इस पर होने वाला व्यय [गौण खनिज]
41. गौण खनिजों के निष्कर्षण के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने हेतु गतिविधियाँ [गौण खनिज]
42. खनन के कारण पर्यावरण, भूमि एवं जल को हुई क्षति की बहाली [गौण खनिज]

5.4 ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु वन अधिकार अधिनियम से संबंधित गतिविधियाँ

ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर वन अधिकार अधिनियम से संबंधित एक पृथक विषय जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत पंचायतें एवं ग्राम सभाएँ अपने सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन हेतु वन अधिकार अधिनियम से संबंधित 38 गतिविधियाँ संचालित कर सकती हैं।

ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर आँकड़े दर्ज करते समय इन गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए पंचायतों को अपने प्रोफाइल प्रबंधन अनुभाग में जाना होगा। इसके अंतर्गत सामान्य प्रोफाइल टैब में वन क्षेत्र पंचायत विन्यास विकल्प पर जाकर इस प्रश्न के उत्तर में "हाँ" का चयन करना होगा कि क्या इस पंचायत के अंतर्गत कोई वन क्षेत्र आता है।

इसके बाद पंचायतें अपने अंतर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम सभा में नीचे दी गई वन अधिकार अधिनियम से संबंधित 38 गतिविधियों की सूची पर चर्चा कर सकती हैं। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित गतिविधियों के लिए वित्त आयोग के अनुदान, स्वयं के राजस्व स्रोतों अथवा संबंधित विभागों के माध्यम से केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के अभिसरण द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधन आवंटित किए जा सकते हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करते समय ग्राम सभा द्वारा अपनाई जा सकने वाली वन अधिकार अधिनियम से संबंधित गतिविधियों की सूची

1. सामुदायिक वन संसाधन की सीमा का सीमांकन।
2. वन क्षेत्र में तालाबों एवं जल निकायों का विकास।
3. चरागाह भूमि का विकास (घास लगाना तथा चरागाह क्षेत्र का संरक्षण) — मौजूदा चरागाह भूमि में।
4. मृदा एवं जल संरक्षण संबंधी कार्य (नाला अवरोधक संरचनाएँ, चेक डैम एवं अवरोधक बाँध)।
5. गौण वनोपज के संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन केंद्र की स्थापना — वन क्षेत्र के बाहर।
6. सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति के कार्यालय भवन अथवा बैठक कक्ष का निर्माण — वन क्षेत्र के बाहर।
7. पौधों की सुरक्षा हेतु पौध संरक्षण खाइयों, जीवित बाड़ तथा अन्य उपायों का निर्माण।
8. स्थानीय प्रजातियों, फलदार एवं औषधीय पौधों के लिए सामुदायिक पौधशाला का विकास।
9. स्थानीय प्रजातियों, फलदार एवं औषधीय पौधों का रोपण; जंगली पौधों एवं पौधों के छोटे रूपों का रोपण; बीजों का छिड़काव तथा बीजों से गोलियाँ एवं पेलेट बनाकर उनका छिड़काव।
10. आक्रामक एवं बाहरी प्रजातियों को हटाना।
11. जलधाराओं, प्राकृतिक जलस्रोतों, रिसाव वाले जलस्रोतों आदि की सफाई एवं मरम्मत।
12. खेत में तालाब का निर्माण।
13. तालाब की खुदाई एवं गहरीकरण।
14. जलधाराओं, छोटी नदियों एवं झरनों का पुनर्जीवन।
15. वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण।
16. अवरोधक बाँध का निर्माण।
17. गली भराई एवं समोच्च मेड़बंदी।
18. पेयजल स्रोतों का संरक्षण।
19. सामुदायिक कुएँ का निर्माण अथवा मरम्मत — वन भूमि पर।
20. नमी संरक्षण हेतु गड्ढों के चारों ओर थालों का निर्माण तथा निराई-गुड़ाई।
21. झाड़ीदार सामग्री से बने अवरोधक बाँध, मिट्टी के बाँध, चेक डैम, ढीले पत्थरों के चेक डैम, नाला अवरोधक संरचनाओं, गेबियन संरचनाओं, बाढ़ मोड़ने वाली नहरों तथा सामुदायिक जल संचयन तालाबों का निर्माण एवं नवीनीकरण।
22. क्रमबद्ध समोच्च खाइयों, सतत समोच्च खाइयों, जल अवशोषण खाइयों, मिट्टी की समोच्च मेड़ों, पत्थर की समोच्च मेड़ों, अर्धचंद्राकार खाइयों तथा कंकड़युक्त समोच्च मेड़ों का निर्माण।
23. तटबंधों एवं खेतों की मेड़ों का निर्माण।
24. केंचुआ खाद एवं नाडेप खाद के गड्ढों का निर्माण।
25. मृदा परीक्षण केंद्र के लिए स्थल का विकास।
26. पौधरोपण की सिंचाई हेतु जल निकासी मार्ग को मोड़ने वाली संरचना का निर्माण।
27. सामुदायिक चरागाह भूमि पर चारा देने वाले वृक्षों का रोपण — मौजूदा चरागाह भूमि में।
28. मौजूदा चरागाह भूमि में नेपियर घास एवं अन्य चारा घास का रोपण।
29. झाड़ियों के रूप में औषधीय एवं सुगंधित पौधों का रोपण।
30. मधुमक्खी पालन हेतु स्थल का विकास।

31. सामुदायिक मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र की स्थापना।
32. बाढ़ नियंत्रण हेतु तटबंधों का निर्माण।
33. नदी के किनारों पर जैविक बाड़ लगाना एवं पौधरोपण करना।
34. सूखा-रोधी पौधों का रोपण।
35. ग्रामीण सड़कों, पुलियों, पुलों, घाटों, जलमार्गों तथा संचार के अन्य साधनों के किनारे वृक्षारोपण।
36. वन संसाधनों पर आधारित ग्रामीण महिलाओं के लिए सामुदायिक हस्तशिल्प प्रशिक्षण भवन का निर्माण।
37. वनाग्नि की रोकथाम हेतु अग्नि अवरोधक पट्टियों का विकास।
38. बालू के टीलों को स्थिर करने संबंधी कार्य।



अध्याय 6

पोर्टल पर पंचायत विकास योजना (PDP) अपलोड करने तथा प्रोफाइलर के सत्यापन की प्रक्रिया

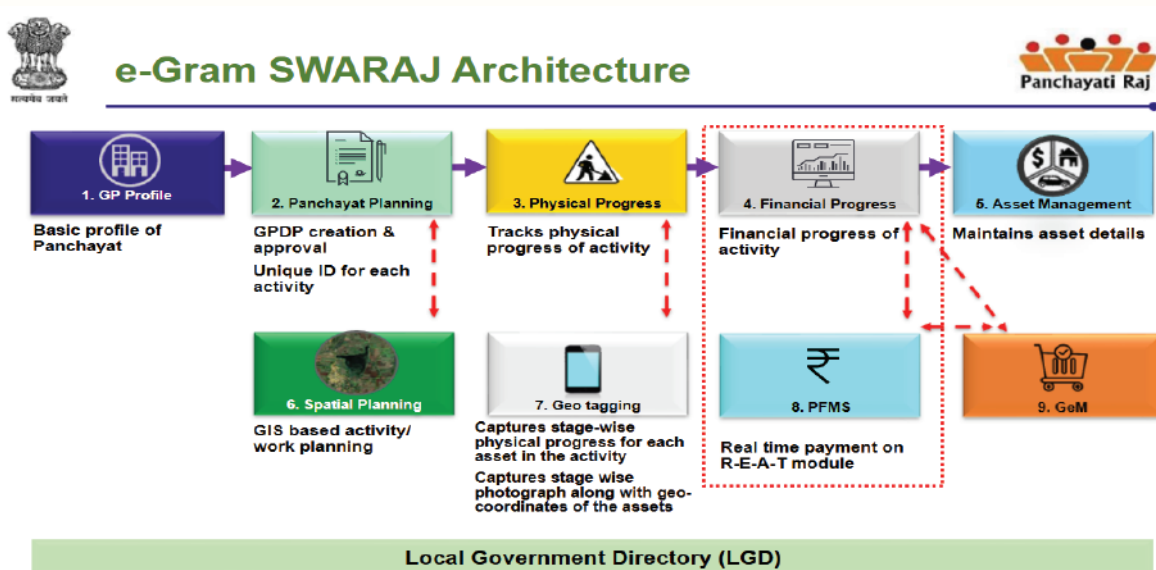
6.1 ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन (e-GramSwaraj Application)

ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन को ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (e-Panchayat Mission Mode Project—MMP) के अंतर्गत विकसित किया गया है। यह एप्लिकेशन पंचायतों को योजना निर्माण, रिपोर्टिंग, कार्य-आधारित लेखांकन एवं निगरानी के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है। ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

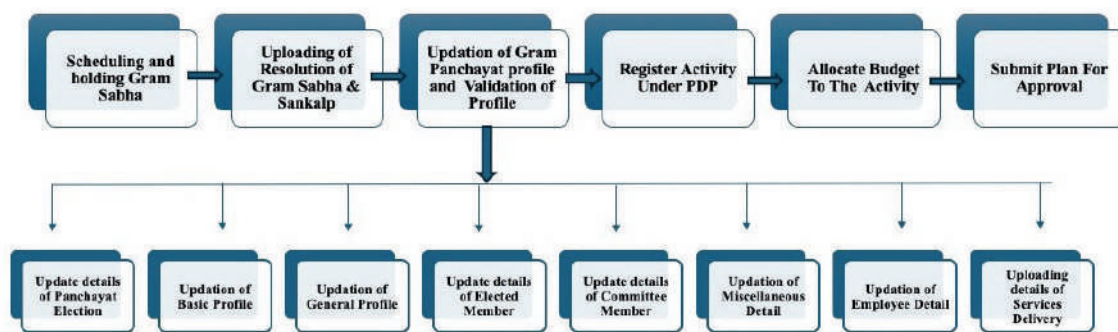
- (i) **पंचायत प्रोफाइल (Panchayat Profile):** पंचायत की प्रोफाइल का संधारण करता है, जिसमें निर्वाचन, निर्वाचित सदस्यों तथा समितियों से संबंधित विवरण शामिल होते हैं।
- (ii) **योजना निर्माण (Planning):** गतिविधियों की योजना बनाने तथा कार्ययोजना तैयार करने में सुविधा प्रदान करता है।
- (iii) **प्रगति रिपोर्टिंग (Progress Reporting):** स्वीकृत गतिविधियों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अभिलेखन करता है।
- (iv) **लेखांकन (Accounting):** कार्य-आधारित लेखांकन एवं निधियों की निगरानी में सुविधा प्रदान करता है। इसके माध्यम से पंचायत विकास योजनाओं (PDPs) के अंतर्गत प्रस्तावित प्रत्येक गतिविधि पर किए गए व्यय की निगरानी की जाती है।
- (v) **परिसंपत्ति निर्देशिका (Asset Directory):** पंचायतों में सृजित सभी चल एवं अचल परिसंपत्तियों का विवरण एक ही स्थान पर संधारित करती है।

6.2 पंचायत विकास योजना (PDP) अपलोड करने की प्रक्रिया

ई-ग्रामस्वराज की प्रक्रिया का प्रवाह, पंचायत प्रोफाइलर को अद्यतन करने से लेकर योजना अपलोड करने तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी तक।



6.3 प्रोफाइलर को अद्यतन करने की प्रक्रिया का प्रवाह



6.4 प्रोफाइलर अनुभाग का सत्यापन

ग्राम पंचायतें ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल से संबंधित विवरण अपलोड कर रही हैं। पंचायत विकास योजना (PDP) अपलोड करने से पूर्व पंचायत प्रोफाइल को अद्यतन करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब प्रोफाइलर अनुभाग के विभिन्न डेटा बिंदुओं को पंचायत विकास सूचकांक (PDI) का भी हिस्सा बनाया गया है तथा इनका डेटा ई-ग्रामस्वराज पोर्टल से PDI पोर्टल पर स्थानांतरित किया जाता है। अतः प्रोफाइलर अनुभाग एवं PDI में डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर एक सत्यापन तंत्र स्थापित किया जाना आवश्यक है, ताकि ग्राम पंचायतों द्वारा प्रोफाइलर अनुभाग में दर्ज किए गए डेटा का सत्यापन किया जा सके।

6.5 ब्लॉक स्तरीय समन्वय समितियाँ (BLCC)

प्रोफाइलर अनुभाग में ग्राम पंचायतों द्वारा दर्ज किए गए डेटा का सत्यापन करने, विभिन्न योजनाओं के अभिसरण को सुगम बनाने तथा कार्यान्वयन की निगरानी आदि के उद्देश्य से अनुमंडल पदाधिकारी (SDM)/प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) अथवा समकक्ष रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक स्तरीय समन्वय समिति (BLCC) का गठन किया जाएगा। यह समिति मुख्य रूप से सहभागी योजना निर्माण की प्रक्रिया को क्रियान्वित करने तथा बजट एवं कार्यक्रम संबंधी संसाधनों को स्थानीय आवश्यकताओं और मांगों से जोड़ने के लिए उत्तरदायी होगी। इसके अतिरिक्त, योजना निर्माण की प्रक्रिया में शामिल सभी हितधारकों के अभिमुखीकरण, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (CB&T) की निगरानी भी इस समिति द्वारा की जाएगी।

6.5.1 ब्लॉक स्तरीय समन्वय समिति (BLCC) का गठन निम्नानुसार होगा:

अध्यक्ष (Chairperson)	अनुमंडल पदाधिकारी (SDM)/प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) अथवा समकक्ष रैंक के अधिकारी
संयोजक/सदस्य सचिव (Convenor/Member Secretary)	प्रखंड जनपद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO), अथवा समकक्ष रैंक का कोई अधिकारी
सदस्य (Members)	(i) पंचायतों को हस्तांतरित ग्यारहवीं अनुसूची के विषयों से संबंधित सभी विभागों के प्रतिनिधि। (ii) ब्लॉक पंचायत के अध्यक्ष द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर नामित ग्राम पंचायतों के 2-3 निर्वाचित प्रतिनिधि।

6.5.2 उत्तरदायित्व/कार्य (Responsibilities/Functions):

उपर्युक्तानुसार गठित समन्वय समिति ब्लॉक स्तर पर योजना निर्माण प्रक्रिया के सुचारु संचालन, विभागीय समन्वय तथा समीक्षा के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगी। समिति के प्रमुख उत्तरदायित्व एवं कार्य निम्नलिखित हैं:

- (i) सभी ग्राम पंचायतों के लिए सुविधाप्रदाताओं (Facilitators) की पहचान करते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) की प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना।
- (ii) ग्राम पंचायत योजना निर्माण सुविधाप्रदाता दल (Gram Panchayat Planning Facilitating Team) का गठन करना।
- (iii) योजना निर्माण प्रक्रिया के संचालन हेतु विभिन्न विभागों से प्राप्त की जाने वाली आवश्यक सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- (iv) योजना निर्माण सुविधाप्रदाता दल को संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों तथा उपलब्ध बजट के संबंध में अभिमुखीकरण प्रदान करना।
- (v) चार प्रमुख मानदंडों के आधार पर ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs) की प्रगति की समीक्षा एवं निगरानी करना, जिनमें (१) पूर्ण की गई गतिविधियों की संख्या, (२) प्रगतिरत गतिविधियों की संख्या, (३) पूर्ण की गई व्यक्तिगत लाभार्थियों की मांगों की संख्या तथा (४) लंबित सामुदायिक एवं व्यक्तिगत गतिविधियों की संख्या शामिल हैं।
- (vi) मासिक बैठकों के माध्यम से योजना निर्माण प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा करना तथा स्थानीय स्तर पर आने वाली समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना।

6.6 ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर प्रोफाइलर के सत्यापन की व्यवस्था

- (i) पंचायत सचिव प्रोफाइलर अनुभाग के समेकित डेटा को डाउनलोड कर ग्राम सभा के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे।
- (ii) ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात, डेटा को ब्लॉक स्तर पर सत्यापन एवं जाँच हेतु पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
- (iii) ब्लॉक स्तरीय समन्वय समिति (BLCC)/प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) सभी ग्राम पंचायतों के प्रोफाइलर डेटा का सत्यापन करेंगे।
- (iv) ग्राम पंचायत स्तर पर प्रोफाइलर डेटा का सत्यापन किए बिना पंचायत विकास योजना (PDP) को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा सकेगा और न ही प्रशासनिक अनुमोदन हेतु अग्रेषित किया जा सकेगा।

6.7 केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) का अभिसरण

पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय हेतु योजनाएँ तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। अतः एक समग्र योजना तैयार करने के लिए पंचायत स्तर पर विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रभावी अभिसरण आवश्यक है, ताकि पंचायतों के उपलब्ध संसाधनों तथा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अंतर्गत अपेक्षित संसाधनों को पंचायतों के संसाधन आवंटन (Resource Envelope) में शामिल किया जा सके। इसके पश्चात, उपलब्ध संसाधनों के आधार पर आवश्यकताओं एवं स्थानीय स्तर पर अनुभव की गई जरूरतों को प्राथमिकता दी जा सकेगी।

प्रभावी अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए **ब्लॉक स्तरीय समन्वय समिति (BLCC)** विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों तथा उनके बजट से संबंधित आवश्यक जानकारी की उपलब्धता को सुगम बनाएगी। समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं से संबंधित जानकारी ग्राम पंचायतों के साथ साझा करने में सहायता करेगी, ताकि उन्हें ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में उपयुक्त रूप से शामिल किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, BLCC राज्य स्तर की योजनाओं एवं कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी भी ग्राम पंचायतों के साथ साझा करने में सहायता करेगी, ताकि उन्हें GPDP में शामिल किया जा सके।

ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) की तैयारी एवं अपलोड करने हेतु मूलभूत आवश्यकताओं का सारांश

- (i) विषयगत ग्राम पंचायत विकास योजना (Thematic GPDP) तैयार की जाएगी, जिसमें ग्राम पंचायतों द्वारा लिए गए 'संकल्प' (Sankalp) अथवा प्राथमिकता वाले विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- (ii) ग्राम पंचायतें ग्राम सभा के संकल्प के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 की GPDP तैयार करने के लिए वही विषय अपना सकती हैं, जिसे उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 की GPDP तैयार करते समय प्राथमिकता दी थी। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ग्राम सभा के संकल्प के माध्यम से कोई नया संकल्प ले सकती हैं अथवा नए विषय को प्राथमिकता दे सकती हैं।
- (iii) 'संकल्प' लेने तथा विषयों को प्राथमिकता देने की प्रक्रिया <https://meetingonline.gov.in/> पर उपलब्ध पंचायत निर्णय (Panchayat Nirnay) एप्लिकेशन के माध्यम से पूरी की जाएगी। ग्राम सभा के संकल्पों को भी इसी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
- (iv) पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) की टीम द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा उनकी प्रतिक्रिया (Feedback) ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
- (v) ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायत प्रोफाइल का सत्यापन अनिवार्य होगा। सत्यापन के बिना ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा सकेगा।
- (vi) ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के लिए संसाधन आवंटन (Resource Envelope) में स्वयं के स्रोत से प्राप्त राजस्व (Own Source Revenue—OSR) को शामिल करना अनिवार्य होगा।
- (vii) ग्राम पंचायत में अन्य विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी प्रमुख योजनाओं को ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) का हिस्सा बनाया जाएगा।
- (viii) ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित 'संकल्प' के विषयों पर अपने गैर-आबद्ध संसाधनों (Untied Resources), अर्थात् वित्त आयोग (FFC/SFC) से प्राप्त निधियों एवं स्वयं के स्रोत से प्राप्त राजस्व (OSR) का न्यूनतम 25 प्रतिशत आवंटित करना होगा।
 - (i) ग्राम पंचायत द्वारा जिस विषय पर 'संकल्प' लिया गया है, उस विषय की गतिविधियों में से कम-से-कम 25 प्रतिशत गतिविधियों का चयन संबंधित विषय के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली गतिविधियों की सूची में से किया जाना चाहिए।
 - (ii) राज्य, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर GPDP की गुणवत्ता की जाँच हेतु संवीक्षा (Scrutiny) के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित कर सकते हैं।

अध्याय 7

योजना की गुणवत्ता का आकलन एवं सुधार

7.1 परिचय

ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) विकेंद्रीकृत योजना निर्माण एवं स्थानीय शासन की आधारशिला है। यह एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसके माध्यम से ग्राम पंचायतें अपने समुदायों की विकास संबंधी आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करती हैं। GPDP की गुणवत्ता यह निर्धारित करती है कि इन आवश्यकताओं को जमीनी स्तर पर जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने वाले प्रभावी, समावेशी एवं परिणामोन्मुखी कार्यों में कितनी प्रभावशीलता से परिवर्तित किया जा सकता है। एक सुव्यवस्थित ग्राम पंचायत विकास योजना केवल विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं का संकलन मात्र नहीं होती, बल्कि यह एक संरचित एवं व्यवस्थित योजना निर्माण प्रक्रिया को दर्शाती है, जो स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित, विश्वसनीय आँकड़ों से समर्थित तथा समुदाय की सक्रिय भागीदारी से तैयार की जाती है। ग्राम सभा, स्थानीय हितधारकों तथा विभिन्न क्षेत्रीय विभागों से प्राप्त सुझावों एवं जानकारी को समेकित करके GPDP यह सुनिश्चित करती है कि योजना निर्माण प्रक्रिया स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी, जरूरतों पर आधारित तथा समुदाय के विभिन्न वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली हो। इसमें विशेष रूप से समाज के वंचित एवं संवेदनशील वर्गों की आवश्यकताओं और हितों पर ध्यान दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, एक उच्च गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) वित्त आयोग के अनुदान, केंद्र प्रायोजित योजनाओं, राज्य की योजनाओं तथा पंचायत के स्वयं के राजस्व सहित उपलब्ध संसाधनों के अभिसरण एवं उनके सर्वोत्तम उपयोग को बढ़ावा देती है। इससे विभिन्न प्रयासों की पुनरावृत्ति से बचने में सहायता मिलती है तथा यह सुनिश्चित होता है कि विकास संबंधी हस्तक्षेप एक-दूसरे के पूरक हों और परस्पर सुदृढीकरण करें। यह एकीकृत दृष्टिकोण कार्यकुशलता को बढ़ाता है, कार्यान्वयन को सुदृढ करता है तथा विकास के प्रभाव को अधिकतम करता है।

महत्वपूर्ण रूप से, GPDP स्थानीय विकास की प्राथमिकताओं को सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) जैसे व्यापक राष्ट्रीय एवं वैश्विक ढाँचों के अनुरूप भी बनाती है। जमीनी स्तर पर योजना निर्माण को मापनीय परिणामों एवं दीर्घकालिक विकास उद्देश्यों से जोड़कर GPDP सतत एवं समावेशी विकास के लिए एक रणनीतिक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार, यह न केवल स्थानीय शासन को सुदृढ करती है, बल्कि देश की समग्र विकास यात्रा में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।

सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के स्थानीयकरण हेतु विषयगत दृष्टिकोण अपनाए जाने से ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs) की गुणवत्ता तथा समग्र योजना निर्माण प्रक्रिया में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। तथापि, देशभर में तैयार की जा रही GPDPs की गुणवत्ता को लेकर अभी भी चिंताएँ बनी हुई हैं। इन कमियों को दूर करने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ने योजना की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले मुद्दों की जाँच करने तथा उसमें सुधार हेतु उपयुक्त उपायों की अनुशंसा करने के लिए **“गुणवत्तापूर्ण ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) की तैयारी संबंधी समिति”** का गठन किया।

समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, मंत्रालय ने ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में **गुणवत्तापूर्ण ग्राम पंचायत विकास योजना (Quality GPDP) स्कोरिंग प्रणाली** को एकीकृत किया है। इस पहल के माध्यम से योजना निर्माण प्रक्रिया में ही गुणवत्ता सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। इससे GPDPs का व्यवस्थित आकलन, वास्तविक समय में निगरानी तथा निरंतर सुधार संभव हो सकेगा, जिससे विकेंद्रीकृत योजना निर्माण की प्रभावशीलता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता में वृद्धि होगी।

7.2 स्कोरिंग रूपरेखा (The Scoring Framework)

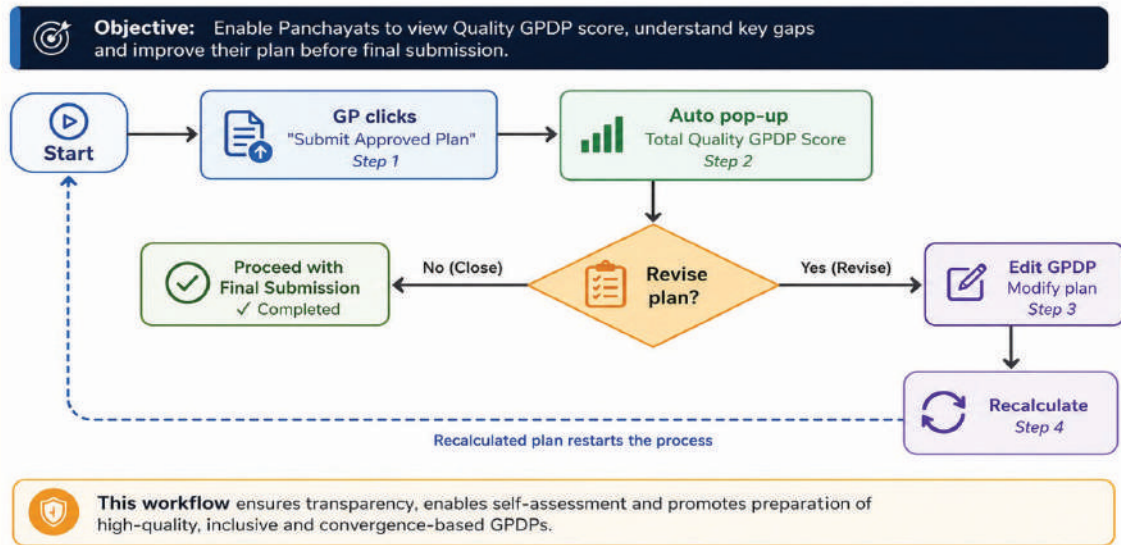
गुणवत्तापूर्ण ग्राम पंचायत विकास योजना (Quality GPDP) का स्कोर **15 संकेतकों** के आधार पर निर्धारित होता है, जो योजना की व्यापकता, समावेशिता, सभी नौ LSDG विषयों के समावेशन, योजनाओं के अभिसरण तथा सामुदायिक आवश्यकताओं को दर्शाता है। यह स्कोर पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से तैयार किया जाता है। संकेतकों एवं अंकों का विवरण **अनुलग्नक-VIII** में दिया गया है।

7.3 प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया (The Submission Workflow)

अंतिम रूप से योजना प्रस्तुत करते समय स्कोरिंग प्रक्रिया सक्रिय होती है, जिससे ग्राम पंचायतों को अपनी योजना की समीक्षा करने एवं उसमें सुधार करने का एक अंतिम अवसर प्राप्त होता है।

- **चरण 1:** ग्राम पंचायत ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर **"स्वीकृत योजना प्रस्तुत करें"** विकल्प पर क्लिक करेगी।
- **चरण 2:** पोर्टल पर बिना किसी अन्य अनुभाग में जाने की आवश्यकता के, कुल गुणवत्तापूर्ण ग्राम पंचायत विकास योजना (Quality GPDP) स्कोर स्वतः प्रदर्शित होगा।
- **चरण 3:** ग्राम पंचायत अंतिम रूप से योजना प्रस्तुत करने अथवा योजना में संशोधन करने का विकल्प चुन सकती है।
- **चरण 4:** संशोधन का विकल्प चुनने पर ग्राम पंचायत पोर्टल पर ही सीधे योजना में आवश्यक बदलाव करेगी।
- **चरण 5:** संशोधन के बाद स्कोर की पुनर्गणना की जाएगी। इसके पश्चात ग्राम पंचायत योजना प्रस्तुत कर सकती है अथवा आवश्यकतानुसार आगे भी संशोधन कर सकती है।

प्रक्रिया प्रवाह



यह क्यों महत्वपूर्ण है: इस व्यवस्था के अंतर्गत गुणवत्ता में सुधार स्व-प्रेरित होगा। स्कोर के आधार पर योजना प्रस्तुत करने पर रोक नहीं होगी, लेकिन प्रत्येक ग्राम पंचायत को योजना प्रस्तुत करने से पहले अपना गुणवत्ता स्कोर देखना अनिवार्य होगा। इससे ग्राम पंचायतों में गुणवत्ता मानकों को अपनाने और निरंतर सुधार को बढ़ावा मिलेगा।

अध्याय 8

ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने हेतु ग्राम सभा

*"पंचायतों को जितनी अधिक शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जनता के लिए
उतना ही बेहतर होगा।"*

- महात्मा गांधी

ग्राम सभा स्थानीय शासन में जनभागीदारी का प्रमुख आधार है। यह लोगों को अपने क्षेत्र के विकास हेतु योजना निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने तथा प्रशासन को अधिक जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाने का अवसर प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करना निर्वाचित प्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं समुदाय के सदस्यों की जिम्मेदारी है कि ग्राम सभा का संचालन निर्धारित नियमों एवं अपेक्षाओं के अनुरूप हो।

8.1 ग्राम सभा का निर्धारण

अभियान अवधि के दौरान कम-से-कम **दो विशेष ग्राम सभाओं** का आयोजन किया जाना आवश्यक है। पहली ग्राम सभा में दृष्टिकोण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी तथा पंचायत विकास सूचकांक के माध्यम से पहचानी गई कमियों के आधार पर आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं द्वारा सभी संबंधित विभागों की गतिविधियों पर एक संक्षिप्त एवं सुव्यवस्थित प्रस्तुति दी जाएगी। दूसरी एवं आवश्यकतानुसार आगामी ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायत विकास योजना का प्रारूप अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रारूप में ग्राम ग्राम समृद्धि एवं सुदृढ़ता योजना (VPRP) तथा विभागीय ग्राम कार्ययोजना सहित विभिन्न उप-योजनाएँ शामिल होंगी।

ग्राम सभा का निर्धारण मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल/पंचायत निर्णय ऐप के माध्यम से

ग्राम सभा एक संवैधानिक निकाय है, जो ग्रामीण नागरिकों को शासन एवं विकास संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने, साझा समस्याओं के समाधान खोजने तथा जमीनी स्तर पर सहभागी शासन को सुदृढ़ करने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करती है। ग्राम सभा के महत्व को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्राम सभाओं को अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाने के लिए निरंतर सलाह एवं प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, ग्राम सभा को संस्थागत रूप देने तथा अधिक सक्रिय बनाने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा **पंचायत निर्णय पोर्टल** (<https://panchayatnirnay.gov.in>) शुरू किया गया है। इस पोर्टल का उपयोग ग्राम सभा की बैठकों का समय-निर्धारण करने तथा उनके संकल्पों, कार्यवृत्त आदि को अपलोड करने के लिए किया जाता है। ग्राम सभा की बैठकों का विवरण आसानी से दर्ज करने के लिए **पंचायत निर्णय मोबाइल एप्लिकेशन** भी विकसित किया गया है। यह ऐप सूचना के प्रसार हेतु डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए ग्राम सभा की बैठकों के व्यवस्थित एवं प्रभावी संचालन को सुगम बनाता है। ऐप की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- i. बैठक स्थल का चयन।
- ii. बैठक की सूचना जारी करना।
- iii. बैठक की कार्यसूची का प्रसार।
- iv. बैठक का कार्यवृत्त तैयार करना।
- v. बैठक के जियो-टैग किए गए फोटो एवं वीडियो अपलोड करना।
- vi. बैठक में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति दर्ज करना।
- vii. बैठक के निर्णयों/संकल्पों को दर्ज करना।

8.2 ग्राम सभा की कार्यसूची

यद्यपि ग्राम सभा ग्राम पंचायत से संबंधित किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र है, तथापि कुछ कार्यसूची बिंदुओं पर चर्चा करना अनिवार्य है। ये निम्नलिखित हैं:

1. ग्राम पंचायत के वार्षिक लेखा विवरण पर चर्चा।
2. पिछले वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट, पिछली लेखापरीक्षा टिप्पणी तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत उत्तरों (यदि कोई हों) पर चर्चा।
3. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत के बजट पर चर्चा।
4. पिछले वर्ष से संबंधित ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा।
5. वर्तमान वर्ष में प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों पर चर्चा, जिसमें केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्वयं के स्रोत से प्राप्त राजस्व तथा ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध/अपेक्षित अन्य संसाधनों के अंतर्गत आवंटित अनुदान को ध्यान में रखा जाएगा।
6. ग्राम ग्राम समृद्धि एवं सुदृढ़ता योजना (VPRP) के माध्यम से ग्राम संगठन द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं पर चर्चा।
7. वार्ड सभा एवं महिला सभा की अनुशंसाओं पर चर्चा।
8. ग्राम सभा किसी वार्ड के लिए महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा कर सकती है, भले ही उन प्रस्तावों को संबंधित वार्ड सभा की कार्यसूची में शामिल न किया गया हो।

8.3 सफल ग्राम सभा के आयोजन हेतु अपनाए जाने वाले चरण

ग्राम सभा में प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सभी सदस्यों को समय पर औपचारिक रूप से सूचना देना अनिवार्य होगा। अधिकाधिक सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु सोशल मीडिया सहित सभी उपलब्ध माध्यमों से बैठक की सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

8.3.1 औपचारिक अधिसूचना

ग्राम सभा के आयोजन से पूर्व राज्य में प्रचलित मानदंडों के अनुसार सूचना जारी करना आवश्यक है। व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ग्राम सभा की सूचना का प्रचार ढोल बजाकर तथा पंचायत भवन, विद्यालयों, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघों के कार्यालयों और स्थानीय बाजारों में सूचना चस्पा करके भी किया जा सकता है।

- सभी मतदाताओं को निर्धारित तिथि से कम-से-कम एक सप्ताह पूर्व ग्राम सभा की सूचना प्राप्त होनी चाहिए।
- सूचना में ग्राम सभा की तिथि, समय, स्थान और कार्यसूची का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।
- ग्राम सभा की कार्यसूची स्पष्ट एवं सरल भाषा में तैयार की जानी चाहिए, ताकि आमजन उसे आसानी से समझ सकें।

8.3.2 समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करना

पंचायत विकास योजनाएँ तैयार करते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए ग्राम सभा में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए तथा उन्हें अपनी आवश्यकताओं एवं समस्याओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाए। इन वर्गों की प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों की बस्तियों में ग्राम सभा के आयोजन से संबंधित सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

8.3.3 महिला सभा के माध्यम से महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करना

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श के अनुसार, प्रत्येक ग्राम सभा से पूर्व महिला सभा का आयोजन किया जा सकता है। इसका उद्देश्य महिलाओं से संबंधित मुद्दों को ग्राम सभा के संकल्पों तथा तत्पश्चात ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करना है। ग्राम सभा की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित करने तथा उनके मुद्दों को ग्राम पंचायत विकास योजना में समुचित स्थान देने के लिए, नियमित ग्राम सभा की मुख्य बैठक से पूर्व महिलाओं की अलग से ग्राम सभा आयोजित की जा सकती है।

वार्ड सभा एवं महिला सभा से प्राप्त सुझावों का समावेश

ग्राम सभा की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में सभी लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, नियमित ग्राम सभा की मुख्य बैठक से पूर्व महिलाओं की अलग से सभा आयोजित की जा सकती है, ताकि महिलाओं से संबंधित मुद्दों को ग्राम पंचायत विकास योजना में समुचित रूप से शामिल किया जा सके। ग्राम पंचायत विकास योजना के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा उपयुक्त सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री तथा गतिविधियाँ संचालित की जानी चाहिए। एक सफल ग्राम पंचायत विकास योजना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है, जो वार्ड सभा, महिला सभा एवं ग्राम सभा में सभी हितधारकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने में सहायक होती है। एक समग्र ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए वार्ड सभा, महिला सभा तथा ग्राम सभा के उप-स्तरीय बैठकों से प्राप्त सुझावों एवं प्रस्तावों का समुचित समावेश सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

8.3.4 ग्राम सभा के लिए गणपूर्ति

ग्राम सभा की बैठक के लिए संबंधित राज्य के पंचायती राज अधिनियम में निर्धारित गणपूर्ति (कोरम) सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। यदि गणपूर्ति के अभाव में पहली बैठक स्थगित करनी पड़े, तो बैठक किसी अन्य तिथि के लिए स्थगित की जाएगी तथा आगे की प्रक्रिया संबंधित राज्य के पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनाई जाएगी।

अध्याय 9

**ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)
हेतु पंचायती राज संस्थाओं (PRI)
एवं स्वयं सहायता समूहों (SHG)
का अभिसरण तथा ग्राम पंचायत
गरीबी उन्मूलन योजना (VPRP)**

9.1 पृष्ठभूमि

ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) का प्रमुख उद्देश्य ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु एक समेकित योजना तैयार करना है। आदर्श रूप से, इस योजना में लोगों की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं का उपलब्ध संसाधनों के साथ समन्वय होना चाहिए। स्थानीय आवश्यकताओं को समझने तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप उन्हें प्राथमिकता देने के लिए स्थानीय समुदाय की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना एक अनिवार्य पूर्वपेक्षा है। गरीबों के संस्थागत संगठनों के रूप में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) एवं उनके महासंघों की आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित पहलों की योजना बनाने तथा उनके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका है।

9.2 ग्राम समृद्धि एवं सुदृढ़ता योजना (VPRP)

ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) एवं पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) द्वारा वर्ष 2018 में जारी संयुक्त परामर्शों के अनुसार, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत गाँवों में गठित स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के नेटवर्क को अपनी माँगों एवं योजनाओं को ग्राम समृद्धि एवं सुदृढ़ता योजना (VPRP) के रूप में तैयार करने तथा उन्हें ग्राम सभाओं के समक्ष प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया है। VPRP का निर्माण संबंधित स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा किया जाता है तथा ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूहों के महासंघों द्वारा इन योजनाओं का समेकन किया जाता है। ग्राम पंचायत स्तर पर संकलित अंतिम VPRP को ग्राम सभा की बैठकों के दौरान प्रस्तुत किया जाता है तथा ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में समावेशन हेतु ग्राम पंचायत को सौंपा जाता है।

9.2.1 VPRP के उद्देश्य

- (i) ग्राम स्तर की स्थानीय नियोजन प्रक्रिया में महिला समूहों की सहभागिता सुनिश्चित करना।
- (ii) स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की समावेशी माँगों को तैयार करना, ताकि उन्हें ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में शामिल किया जा सके।
- (iii) गरीबी उन्मूलन के लिए स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के नेटवर्क और ग्राम पंचायतों (GPs) के बीच समन्वय एवं संवाद को सुदृढ़ करना।
- (iv) VPRP के माध्यम से गाँव के अति निर्धन परिवारों की माँगों एवं आवश्यकताओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करना।

9.2.2 VPRP के घटक

ग्राम समृद्धि एवं सुदृढ़ता योजना (VPRP) एक व्यापक माँग-आधारित योजना है, जिसका उद्देश्य गरीबी के बहुआयामी कारकों का समाधान करना है। इसे निम्नलिखित चार घटकों में वर्गीकृत किया गया है: पात्रता योजना (Entitlement Plan): सरकारी योजनाओं के माध्यम से बुनियादी आवश्यकताओं एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ प्राप्त करने हेतु स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के सदस्यों की व्यक्तिगत माँगों को संकलित करती है।

- आजीविका योजना (Livelihood Plan): कृषि-आधारित गतिविधियों, पशुपालन, गैर-कृषि गतिविधियों आदि से संबंधित आजीविका के अवसरों हेतु स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के सदस्यों की माँगों को संकलित करती है।
- सार्वजनिक वस्तु एवं सेवाएँ तथा संसाधन विकास योजना (PGSRD): प्रमुख सार्वजनिक सुविधाओं, सेवाओं एवं संस्थानों की उपलब्धता और गुणवत्ता में विद्यमान कमियों की पहचान करती है।
- सामाजिक विकास योजना (SDP): समुदाय-विशिष्ट सामाजिक मुद्दों, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक बहिष्करण, लैंगिक असमानता आदि के समाधान हेतु योजनाएँ तैयार करती है।

9.3 VPRP तैयार करने एवं GPDP में समावेशन की प्रक्रिया:

- योजना तैयार करना:** VPRP को सभी स्वयं सहायता समूहों (SHGs) एवं उनके महासंघों की सहभागिता से एक सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाता है। चूँकि योजनाएँ एक एप्लिकेशन के माध्यम से तैयार की जाती हैं, इसलिए इसके द्वारा VPRP के सभी चार घटकों से संबंधित रिपोर्ट तैयार की जा सकती हैं।
- ग्राम पंचायत स्तर पर VPRP का समेकन एवं अंतिम रूप देना:** VPRP के सभी चार घटकों का ग्राम पंचायत स्तर पर सभी ग्राम संगठनों (VOs) द्वारा समेकन किया जाएगा तथा प्राथमिकताएँ निर्धारित की जाएँगी। प्राथमिकताएँ निर्धारित करने एवं योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में अत्यंत गरीब तथा सर्वाधिक संवेदनशील वर्गों की माँगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इससे ग्राम संगठन (VOs), सीमित वित्तीय संसाधनों वाली योजनाओं के लिए उपयुक्त लाभार्थियों का चयन करने में ग्राम पंचायतों (GPs) को सहयोग प्रदान कर सकेंगे।
- ग्राम सभा में VPRP का प्रस्तुतीकरण एवं प्रस्तुतिकरण:** अंतिम रूप से तैयार VPRP को स्वयं सहायता समूहों के महासंघों द्वारा ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के संसाधन आवंटन के अंतर्गत उपलब्ध बजट एवं संबंधित माँगों पर चर्चा की जा सकती है। इसमें केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व (OSR), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) तथा संबंधित विभागों के पास उपलब्ध निधियाँ शामिल हैं। सामुदायिक आधारित संगठन (CBO) स्वयं सहायता समूहों के महासंघों के पास

उपलब्ध स्वयं के संसाधनों से पूरी की जा सकने वाली माँगों को भी साझा करेंगे। सहमति के आधार पर, VPRP की उन माँगों के संबंध में ग्राम सभा द्वारा संकल्प पारित किया जा सकता है, जिन्हें ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में शामिल किया जा सकता है।

- d) **ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर VPRP की माँगों का स्पष्ट उल्लेख:** सरकारी निर्देशों के अनुसार, अंतिम ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) को ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे इसकी जानकारी आम नागरिकों के लिए सुलभ होगी। ई-ग्रामस्वराज (eGS) पोर्टल पर VPRP की गतिविधियों अथवा माँगों को सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (LSDG) के संबंधित विषयों से जोड़ा जाता है। इससे ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित VPRP की माँगों का चयन करने तथा उनके लिए तदनुसार निधि आवंटित करने में सुविधा होती है। पोर्टल पर प्रत्येक गतिविधि के लिए एक रेडियो बटन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से गतिविधियों को स्पष्ट रूप से VPRP अथवा गैर-VPRP के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उचित पृथक्करण एवं पहचान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित श्रेणी का चयन करना अनिवार्य है।



अध्याय 10

**क्षमता निर्माण एवं
प्रशिक्षण (CB&T)**

10.1 परिचय

भारत सरकार ने ग्रामीण गरीबी, असमानता, मानव विकास के निम्न स्तर तथा बेरोजगारी से संबंधित मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए बहुआयामी रणनीतियों की परिकल्पना की है। पंचायती राज संस्थाओं को केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों, केंद्र प्रायोजित योजनाओं तथा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य वित्त आयोगों के माध्यम से राज्य सरकारें भी निधियों का हस्तांतरण करती हैं तथा राज्य-विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में निधियों का हस्तांतरण किए जाने से पंचायतों के संस्थागत स्तर पर, जहाँ नागरिकों को सीधे सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, उत्तरदायी स्थानीय स्वशासन के लिए व्यापक अवसर उत्पन्न हुए हैं। पंचायतों के पास उपलब्ध संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ-साथ सेवा प्रदायगी में सुधार तथा स्थानीय स्तर पर मापनीय परिणाम सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। अतः बेहतर नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी तथा सेवा प्रदायगी में सुधार के लिए पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, कार्मिकों, सुगमकर्ताओं तथा अन्य संबंधित हितधारकों का व्यापक क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण आवश्यक है।

10.2 क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण योजना

पंचायती राज मंत्रालय की यह योजना निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पंचायत कार्मिकों की क्षमताओं को सुदृढ़ करके विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देती है। इसके अंतर्गत व्यापक पंचायत विकास योजनाएँ तैयार करने, वित्तीय प्रबंधन में सुधार लाने तथा उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने पर बल दिया जाता है। यह सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के नौ विषयगत क्षेत्रों को अपनाकर प्रौद्योगिकी-सक्षम, सहभागी एवं साक्ष्य-आधारित नियोजन को बढ़ावा देती है, जिससे पंचायतें स्थानीय चुनौतियों का समाधान कर सकें और सतत विकास के परिणाम प्राप्त कर सकें।

इस योजना का उद्देश्य ग्राम सभाओं को जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में सुदृढ़ करना तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी अभिसरण, पारदर्शिता एवं जवाबदेही में वृद्धि और उपलब्ध निधियों के कुशल उपयोग के माध्यम से पंचायतों को आत्मनिर्भर एवं सतत संस्थाओं के रूप में विकसित करना है। इन प्रयासों के माध्यम से विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण को जमीनी स्तर पर ठोस विकास परिणामों में परिणत करने का लक्ष्य रखा गया है।

10.3 हितधारकों का क्षमता निर्माण

10.3.1

प्रायः यह माना जाता है कि पंचायतों में क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के प्रमुख हितधारक निर्वाचित प्रतिनिधि और सहायक कार्मिक होते हैं। तथापि, विकास कार्यक्रमों के नियोजन एवं क्रियान्वयन सहित शासन के बुनियादी कार्यों के लिए विभिन्न संस्थानों एवं मानव संसाधनों का क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा उप-जिला स्तरों पर किया जाता है।

सहभागितापूर्ण, अभिसरण-आधारित एवं व्यापक पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत अधिकारियों, वैधानिक स्थायी समितियों के सदस्यों, नियोजन समिति एवं क्षेत्रवार कार्य समूहों, स्वयं सहायता समूहों के महासंघों के नेताओं, संबंधित विभागों के अधिकारियों, सामुदायिक नेताओं, नागरिक समाज संगठनों तथा अन्य संबंधित एजेंसियों का क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण आवश्यक है।

10.4 जन योजना अभियान हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल

10.4.1

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण रणनीति तथा कार्ययोजना विकसित करनी होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान को संबंधित राज्यों के राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थानों के समन्वय से प्रमुख हितधारकों के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने तथा उनका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इन मॉड्यूलों में नियोजन, सुशासन, सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण, प्राथमिकता वाले क्षेत्र तथा राष्ट्रीय महत्व के विषयों को शामिल किया जाना चाहिए।

10.4.2

जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण करके उनकी प्राप्ति के माध्यम से विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए, राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों तथा प्रमुख हितधारकों को अनुकूलित प्रशिक्षण मॉड्यूलों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। इन मॉड्यूलों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के नौ विषयगत क्षेत्रों, उनके निहितार्थों तथा उन्हें पंचायत विकास योजनाओं में समाहित करने की प्रक्रियाओं को शामिल किया जाएगा।

10.5 क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण हेतु मंत्रालय की पहलें

- (i) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के प्रत्येक विषयगत क्षेत्र के लिए तैयार संशोधित प्रशिक्षण सामग्री एवं मॉड्यूलों का उपयोग करते हुए विषयगत राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- (ii) वर्ष 2025-26 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्ययोजनाओं को विषयगत ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ, ब्लॉक पंचायत विकास योजनाएँ तथा जिला पंचायत विकास योजनाएँ तैयार करने हेतु प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देते हुए अनुमोदित किया गया है।

10.6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षाएँ

- (i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्वाचित प्रतिनिधियों, कर्मिकों तथा अन्य हितधारकों को प्रशिक्षित करने के लिए विकसित प्रशिक्षण मॉड्यूलों को अनुकूलित करना चाहिए, ताकि सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के विषयगत दृष्टिकोण को अपनाते हुए गुणवत्तापूर्ण पंचायत विकास योजनाएँ तैयार की जा सकें।

(ii) सीमित समयावधि में व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण की क्रमिक व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए, ताकि पंचायत विकास योजनाएँ तैयार करने की निर्धारित समय-सीमा का प्रभावी ढंग से पालन किया जा सके। इस व्यवस्था के अंतर्गत विषयगत राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सुव्यवस्थित क्रम में जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों तथा ब्लॉक स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों को आगे प्रशिक्षण प्रदान करें।

(iii) बेहतर नियोजन प्रक्रिया के लिए अन्य संबंधित विभागों की प्रशिक्षण सामग्री, आधारभूत संरचना, सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री आदि का प्रभावी अभिसरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(iv) नियोजन प्रक्रिया में अभिसरण को बढ़ावा देने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों, कार्मिकों, संबंधित विभागों, स्वयं सहायता समूहों के महासंघों के नेताओं तथा अन्य हितधारकों के संयुक्त प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाने चाहिए।



अध्याय ॥ परिशिष्ट

परिशिष्ट - I

ग्राम पंचायत / ब्लॉक पंचायत / जिला पंचायत की सुविधाकर्ता रिपोर्ट का प्रारूप

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणियाँ
1	ग्राम सभा में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या	
2	ग्राम सभा में उपस्थित पुरुषों की संख्या	
3	ग्राम सभा में उपस्थित महिलाओं की संख्या	
4	ग्राम सभा में उपस्थित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संख्या	
5	ग्राम सभा में उपस्थित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या	
6	ग्राम सभा में उपस्थित अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या	
7	ग्राम सभा में उपस्थित स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की संख्या	
8	ग्राम सभा में उपस्थित पुरुष मतदाताओं की संख्या	
9	ग्राम सभा में उपस्थित महिला मतदाताओं की संख्या	
10	ग्राम सभा में उपस्थित ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या	
11	ग्राम सभा में उपस्थित वृद्ध व्यक्तियों की संख्या	
12	ग्राम सभा में उपस्थित दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या	
12.1	संकल्पों का प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से मानचित्रण	
13	अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों की उपस्थिति तथा उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण	
13.1	पंचायती राज विभाग	
13.2	ग्रामीण विकास विभाग	
13.3	कृषि विभाग	
13.4	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	
13.5	महिला एवं बाल विकास विभाग	
13.6	विद्युत विभाग	
13.7	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	
13.8	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	
13.9	राजस्व विभाग	
13.10	पेयजल विभाग	
13.11	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग	
13.12	शिक्षा विभाग	
13.13	कौशल विकास विभाग	
13.14	सामाजिक न्याय विभाग	
13.15	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	
13.16	स्वास्थ्य विभाग	
13.17	वित्त विभाग	
13.18	सिंचाई विभाग	
13.19	मत्स्य पालन विभाग	
13.20	वन विभाग	
13.21	लघु उद्योग विभाग	
13.22	खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग	
13.23	राज्य विद्युत बोर्ड	
13.24	ग्रामीण सड़क विकास निगम	
13.25	राज्य लोक निर्माण विभाग	
14	पंचायत विकास सूचकांक के आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण, सत्यापन एवं प्रसार	
15	गरीबी से संबंधित मुद्दों एवं गरीबी उन्मूलन योजनाओं पर स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रस्तुतीकरण	
16	ग्राम पंचायत विकास योजना पर चर्चा	

परिशिष्ट - II

Joint letter of 8 Ministries/Departments regarding PPC (2022-23) for preparation of GPDP



Sunil Kumar
Secretary
Ministry of Panchayati Raj



Nagendra Nath Sinha
Secretary
Department of Rural Development

Rajesh Bhushan
Secretary
Department of Health & Family Welfare

Vini Mahajan
Secretary
Department of Drinking Water & Sanitation

Pankaj Kumar
Secretary
Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

Indevar Pandey
Secretary
Ministry of Women & Child Development

Anita Karwal
Secretary
Department of School Education & Literacy

Manoj Ahuja
Secretary
Department of Agriculture & Farmers Welfare

D. O. No. M-11015/355/2022-CB

Dated: 30th September, 2022

Dear Chief Secretary,

The People's Plan Campaign (PPC) – 'Sabki Yojana Sabka Vikas' is rolled-out annually for preparation of Panchayat Development Plans (PDPs). Inspired by the visible and satisfactory performances of earlier Campaigns and to provide sustainability to formulation of PDPs, it is proposed to launch PPC-2022 from 2nd October, 2022 to 31st January, 2023 for preparing District, Block and Gram Panchayat Development Plans for the Financial Year 2023-24.

2. As you are aware, Ministry of Panchayati Raj has evolved thematic approach aggregating 17 SDGs into 9 broad themes to Localise Sustainable Development Goals (LSDGs) at grassroots level through Panchayats adopting 'Whole of Government and Whole of Society' approach. To adopt convergent approach in localization of SDGs, Joint Advisories of respective Ministries on 9 themes were issued. Subsequently, Joint Resolution with 26 Departments /21 Ministries was signed wherein all agreed to work jointly in the 9 thematic areas embodying the spirit of inclusive development.

3. Generally, during PPC two special Gram Sabhas (GS) are held. In the first Gram Sabha environment is created for preparation of Plan and during 2nd GS, Gram Panchayat Development Plan (GPDP) is prepared. Since, frontline workers of the line Departments are the key stakeholders, their participation in both GS is of utmost importance to prepare evidence based comprehensive and inclusive GPDP. It is expected that frontline workers will disseminate features of their schemes, resources, convergence mechanisms etc. and finally facilitate in incorporating activities of their Departmental Village Action Plan into GPDP.

4. However, the analysis of the participation of frontline workers in last year planning process shows lukewarm response of the line departments. It is seen that frontline workers of only 3 line Departments were present in just 50% Gram Sabha meetings and of 5 or more line departments were present in only 3% Gram Sabha meetings. The State-wise and Department-wise status of participation in GS is annexed. Coming together of different line departments in Gram Sabha would not only augment the awareness about Central and State schemes but also help in preparation of comprehensive plan through participatory approach.

5. To adopt convergent approach in localization of SDGs, Joint Advisories on all 9 themes were issued. Subsequently, Joint Resolution with 26 Departments /21 Ministries was signed embodying the spirit of inclusive development in the 9 thematic areas. All States/UTs have actively supported the LSDGs and till date over 2.20 lakh GPs have identified themes on which they would like to assign priority in the GPDP. We believe that active participation of frontline workers of line Departments in the PPC would improve the quality of GPDP and make the entire process truly participative.

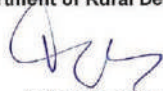
6. Hence, necessary directions to the line Departments to ensure participation of their frontline workers / officers in both the Gram Sabhas organised during PPC for preparation of GPDP may be issued. We urge that progress of PPC may be regularly monitored at High level Committees constituted at State and District levels.

With warm regards,

Yours sincerely,



(Nagendra Nath Sinha)
Department of Rural Development



(Vini Mahajan)
Department of Drinking Water & Sanitation



(Indevar Pandey)
Ministry of Women & Child Development



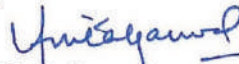
(Manoj Ahuja)
Department of Agriculture and Farmers Welfare



(Rajesh Bhushan)
Department of Health & Family Welfare



(Pankaj Kumar)
Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation



(Anita Karwal)
Department of School Education & Literacy



(Sunil Kumar)
Ministry of Panchayati Raj

To,

The Chief Secretaries,
All States/UTs

Copy to: Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries, All Related Departments, All States/UTs

परिशिष्ट - III

Model Presentation by frontline workers/line departments



Model Structure of presentation by frontline workers/ Line departments during Gram Sabha

Indicative discussion points for presentation by a frontline worker of department:

1. Frontline workers of respective departments will present brief overview of schemes related to that department including eligibility criteria, entitlements and benefits accruing/ to be accrued under scheme; indicating role of Gram Panchayat and incorporation in GPDP.

Sl. No.	Name of the Scheme	Activities permissible under Scheme	Eligibility criteria for beneficiary selection	Benefits/Entitlements under the scheme

2. Activities taken in current FY 2024-25 and progress made so far along with time lines.

Sl. No.	Name of Activity	List of Beneficiaries	Activity Wise Status Report						
			Progress Status			Timelines		Funds utilization Status	
			Activity completed	In-Progress	Not started	Planned Timelines	Actual Time Line	Funds Allocated	Funds Utilized

3. Activities proposed to be taken in next FY 2025-26

Sl. No.	Continuation of ongoing activities	New activities to be taken up	Proposed Plan of Action

4. Copy of this information is to be handed over to the Panchayat Secretary by the frontline workers of line departments during the Gram Sabha.

परिशिष्ट - IV

No.M-11015/62/2026-FD
Government of India
Ministry of Panchayati Raj

11th Floor, Jeevan Prakash Building,
25 K G Marg, New Delhi
Dated the 2nd September, 2026

To

The Addl. Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary
Panchayati Raj Department
All States

Subject: Utilisation of Basic (Untied) Grants for items of works/activities under Sixteenth Finance Commission (FC-16) for Rural Local Bodies.

Madam/ Sir,

I am directed to refer to this Ministry's DO letters of even number dated 10.06.2026 and 15.06.2026 (copies enclosed) forwarding therewith the Operational Guidelines for implementation of Sixteenth Finance Commission (FC-16) recommendations for Rural Local Body (RLB) grants issued by the Ministry of Finance, Department of Expenditure vide letter No. 6(1)/FCD/2026-31 dated 21.05.2026 along with the list of the preparatory actions to be taken by the States/RLBs for ensuring compliance with the eligibility conditions as envisaged in the said guidelines.

2. In this regard, several references have been received from various States with the request to issue necessary advisories regarding the utilization of Untied grants under the FC-16 in the similar line as issued during the 15th Finance Commission vide this Ministry's letter No. M-11015/404/2020-FD dated 23.08.2021.

3. At the outset, it is clarified that the central emphasis of the Sixteenth Finance Commission is on enabling Rural Local Bodies (RLBs) to become self-reliant. In this spirit, the Commission has recommended both a State performance component and an RLB performance component. The matter has accordingly been examined. Further, as per Para 5.1(b) of the Operational Guidelines dated 21st May 2026, the basic (untied) grant allocated under the Sixteenth Finance Commission for FY 2026-27 to 2030-31 is to be utilised across the 29 subjects listed in the Eleventh Schedule of the Constitution, addressing locally identified needs at the RLB level. The provisions of Para 7.2 of the Guidelines are also relevant in this context. Accordingly, an indicative list of works and activities that may be undertaken by RLBs through the basic (untied) grants is enclosed at **Annexure** for guidance.

4. Further, since FC-16 has made separate allocations as Tied Grants towards 'Sanitation and Solid Waste Management' and/or 'Water Management' and O&M expenditure related to these sectors, the Basic (Untied) Grants are to be prioritized to be used for activities other than that to be carried out with Tied Grants.

Encl: As above.

Yours faithfully,

Pinaki Tahabildar
02/09/26

(Pinaki Tahabildar)

Under Secretary to the Government of India

Ph: 011-23318480

Copy to:

The Ministry of Finance, Department of Expenditure, [Kind. Attn. Shri Mahesh Kumar, Joint Director (FCD)], Kartavya Bhawan-1, D-Wing, Ground Floor, New Delhi

AnnexureUtilisation of the FC-16 Basic (Untied) Grants recommended to Rural Local Bodies

The FC-16 has recommended 50% of the allocation of Basic grant component as Untied to Rural Local Bodies (RLBs). The items of works/activities, under the twenty-nine subjects enshrined in the Eleventh Schedule of the Constitution, that may be taken up with the Basic (Untied) Grants include:

- Activities relating to the National priority areas of Health, Education and Nutrition in consultation with the respective State Departments;
- Immunization of children, prevention of malnutrition of children;
- Construction and repair of Gram Panchayat Bhawans;
- Construction and repair and maintenance of roads within Gram Panchayat (GP) and inter GP; construction and repair of foot paths within GP and inter GP;
- Construction and repair and maintenance of LED street lights and solar lighting as applicable (solar street light may be individual poles or centralized solar panel system) – within GP and inter GP;
- Acquisition of land & maintenance and upkeep of dead body burial grounds, construction, repair and maintenance of crematorium;
- Providing sufficient and high bandwidth Wi-Fi digital network services within GP;
- Public library, recreation facilities including children's park, playground, rural haat, sports & physical fitness equipment etc. and any other basic improved/enhanced service mandated by State Government under relevant State legislations;
- Immediate relief work in the event of natural disasters/pandemic;
- Discharge of responsibilities specifically mandated to Panchayats under various Acts/Laws;
- RLBs can enter into Annual Maintenance Contracts/ Service contracts for providing the services to rural inhabitants.

However, expenditure from the Grants on the negative list, namely, expenditure on items already being funded from other schemes, felicitation/cultural functions/decorations/inaugurations, Honorarium, TA/DA of elected representatives and salaries/honorarium of existing employees (permanent and contractual), doles/awards, entertainment, purchase of vehicles and air-conditioners and other appliances are not allowed under this component.

Further, RLBs should not spend more than 20 per cent of the untied allocation on the construction and maintenance of roads (including but not limited to all types of paved surfaces such as bituminous/black-topped/asphalt, cement concrete/concrete, interlocking concrete block pavements, gravel, mud and so on).

It may also be mentioned that the above list of items of work is indicative in nature and not a comprehensive one. The Basic (Untied) Grants under FC-16 can be utilized by the local bodies for improving basic services in rural areas, except for salaries and other establishment-related expenditure. However, the expenditure on engagement of professional services, as empanelled by the CAG of India, for auditing and accounting functions in respect of RLBs may be borne from the Untied component.

Model Schedule for Conduct of Special Gram Sabha for GPDP

Model Schedule for Conduct of Special Gram Sabha for GPDP Sabki Yoiana Sabka Vikas		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Meeting Date: _____ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Meeting Place: _____ </div>	
Gram Panchayat: LGD Code: Block/Taluka: District: State:		
❖ Agenda of the meeting: People's Plan Campaign (GPDP)		
❖ Attendance of the members, Elected Representatives and officials for the meeting		
❖ Format for conduct of Gram Sabha		
i. Sarpanch/ Pradhan of the Gram Panchayat will brief regarding the purpose of the meeting to the Gram Sabha.		
ii. Gram Panchayat Secretary will discuss about the vision of GPDP.		
iii. Presentation of Thematic and Composite Score Of the Gram Panchayat Based on Panchayat Development Index		
iv. Village Organisations (VO)/ Self Help Groups to make a presentation regarding poverty related issues and poverty reduction plans before Gram Sabha.		
v. Gram Sabha to discuss gaps as emerging from Panchayat Development Index and categorise the priorities in to three classes i.e. Critically Important, High Priority and Desirable <div style="text-align: right;">(By Panchayat Secretary)</div>		
vi. Presentation by Frontline Workers from line departments relating to 29 subjects listed in schedule XI to be devolved to Panchayats as per the Article 243G of the Constitution.		
List of 29 Subjects as per Article 243G of the Constitution		
1. Agriculture 2. Land Improvement 3. Minor Irrigation 4. Animal Husbandry 5. Fisheries 6. Social Forestry 7. Minor Forest Produce 8. Small Scale Industries 9. Khadi, village and cottage industries 10. Rural Housing	11. Drinking Water 12. Fuel and fodder 13. Roads 14. Rural Electrification 15. Non-Conventional Energy 16. Poverty Alleviation Programme. 17. Education 18. Vocational Education 19. Adult and Non-Formal Education 20. Libraries	21. Cultural Activities 22. Markets and Fairs 23. Health and Sanitation 24. Family Welfare 25. Women and Child Development 26. Social Welfare 27. Welfare of the Weaker Sections 28. Public Distribution System 29. Maintenance of Community Assets

- vii. Review of current year activities and fund utilization.
- viii. Discussion on resources likely to be available to the Gram Panchayat during the FY 2025-26 viz. FFC/ SFC/ Own Source of Revenue/ MGNREGA/ Other Centre & State schemes.
- ix. Gram Sabha may discuss the reasons for the Gaps and propose interventions
- x. Based on identified gaps, Gram Sabha to identify & prioritize the activities to be included in GPDP such as asset creation, asset maintenance, low cost/no cost (e.g. community mobilization for 100% immunization, no school dropout, ODF/ODF plus, social harmony, awareness on social issues etc.).
- xi. Gram Panchayat to finalize activities to be taken up under GPDP
- xii. Only activities related to delivery of basic civic services such as water supply, sanitation including septic management, sewage and solid waste management, storm water drainage, maintenance of community assets, maintenance of roads, footpaths, street-lighting, burial and cremation ground etc. to be planned from FFC allocation. Other approved activities in relation to various sectors related to 29 subjects listed in the XI schedule are also to be included in GPDP.
- xiii. Gram Sabha shall pass a resolution on the prioritized list of development activities. The resolution must be read out before the Gram Sabha and should be recorded accordingly.
- xiv. Geo-tagged Photographs of Gram Sabha to be uploaded on People's Plan Campaign Portal.
- xv. Geo-tagged Photographs of Public Information Board to be uploaded on People's Plan Campaign Portal.

परिशिष्ट - VI

Illustrative design of Public Information Board





Gram Panchayat:

Block/Taluka:

Name of Sarpanch:

Total Population:

LGD Code:

District: State:

Names of Villages:

Population of Scheduled Caste:

Population of Scheduled Tribe:

Sl. No	Scheme	Activity	Funds	Year

Critical Gaps as per Mission Antyodaya

-
-
-
-
-

परिशिष्ट - VII

DO from the Ministry on Block level workshop

डॉ. चन्द्र शेखर कुमार, आई.ए.एस.
अपर सचिव

Dr. Chandra Shekhar Kumar, IAS
ADDITIONAL SECRETARY

Tel.: 011-23725301
Email: cs.kumar@nic.in



सत्यमेव जयते



पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार
टावर-II, 9वां तल
जीवन भारती बिल्डिंग,
नई दिल्ली-110001

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
Tower-II, 9th Floor,
Jeevan Bharati Building,
New Delhi-110001

D. O. No. M-11015/368/2022-CB-Part(4)(29163)

Dated: 27th March, 2023

Dea Madam / Sir,

As you are aware that eGramSwaraj portal has been revamped to prepare thematic GPDP, wherein it is necessary to include all the activities being implemented/undertaken in a Gram Panchayat (GP) under flagship schemes of Central and State Government, Own Source of Revenue, CSR funds etc.

2. During the VC meeting held with the States/UTs on 23rd March, 2023 to review the progress of preparation of GPDP, feedback is received that GPs are not getting information of flagship schemes needed to prepare thematic GPDP 2023-24 adopting saturation approach.

3. Therefore, to facilitate access of the GPs to the requisite information the best way is to organise 1-2 days' workshop at Block level with active participation of officers of District/Block level along with Elected Representatives and Functionaries of GPs. The concerned officers of line department to attend the Workshop and provide all requisite information of various activities being implemented in GPs under flagship schemes of Central and State Governments, as mentioned in the thematic master GPDP circulated earlier (copies attached).

4. The Block level workshop may be organised during 30th March to 10th April, 2023 to provide necessary data to GPs and subsequently GPs could prepare their GPDP and upload the same on the portal by 30th April, 2023. An indicative format for providing data by the line departments to GPs is at Annexure.

5. I, therefore, would request your personal intervention to issue necessary direction to the concerned officials to organise Block level workshop and to provide requisite data of all flagship schemes of Central and State Governments to GP for preparation of thematic GPDP 2023-24. Information of flagship scheme to be provided for the financial year 2023-24. If the same is not available, information for the financial year 2022-23 may be provided.

Respectfully,

Yours sincerely,

Encl.: As above

(Dr. Chandra Shekhar Kumar)

To:

ACS / Pr. Secretary / Secretary, Rural Development & Panchayati Raj Department
All States / UTs.

परिशिष्ट - VIII

ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रभावशीलता के संकेतक एवं अंक निर्धारण पत्रक

क्रम सं.	संकेतक	कुल अंक	अंक निर्धारण का आधार
i.	क्या ग्राम सभा की बैठक के लिए निर्धारित गणपूर्ति पूरी हुई?	2	हाँ – 2 अंक; नहीं – 0 अंक
ii.	ग्राम सभा की बैठकों में सामुदायिक सहभागिता	5	(i) ग्राम पंचायत के कुल मतदाताओं का 5–10 प्रतिशत – 1 अंक (ii) 10–15 प्रतिशत – 2 अंक (iii) कुल जनसंख्या का 15–20 प्रतिशत – 3 अंक (iv) ग्राम पंचायत के कुल मतदाताओं का 20–25 प्रतिशत – 4 अंक (v) ग्राम पंचायत के कुल मतदाताओं का 25 प्रतिशत से अधिक – 5 अंक
iii.	ग्राम पंचायत विकास योजना की नियोजन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों तथा वृद्धजनों का समावेशन	10	(i) अनुसूचित जाति का समावेशन – 2 अंक (ii) अनुसूचित जनजाति का समावेशन – 2 अंक (iii) महिला समूह के प्रतिनिधि का समावेशन – 2 अंक (iv) दिव्यांगजन समूह के प्रतिनिधि का समावेशन – 2 अंक (v) वृद्धजन समूह के प्रतिनिधि का समावेशन – 2 अंक
iv.	ग्राम सभा से पूर्व बाल सभा एवं महिला सभा का आयोजन	5	ग्राम सभा से पूर्व बाल सभा के आयोजन के लिए 2.5 अंक तथा महिला सभा के आयोजन के लिए 2.5 अंक
v.	संकल्प के विषयगत क्षेत्र/क्षेत्रों के लिए आवंटित कुल संसाधनों/निधियों का प्रतिशत	5	(i) 50 प्रतिशत या अधिक – 5 अंक (ii) 40–49 प्रतिशत – 4 अंक (iii) 30–39 प्रतिशत – 3 अंक (iv) 26–30 प्रतिशत – 2 अंक (v) 25 प्रतिशत – 1 अंक
vi.	क्या संकल्प पंचायत विकास सूचकांक के अंतर्गत पहचानी गई कमियों के आधार पर लिया गया है?	5	हाँ – 5 अंक; नहीं – 0 अंक। अंक तभी दिए जाएँगे, जब संकल्प पंचायत विकास सूचकांक में पहचानी गई तीन सबसे निचली कमियों के आधार पर लिया गया हो।

vii.	संकल्प के विषयगत क्षेत्र से संबंधित ग्राम पंचायत विकास योजना की गतिविधियों का प्रतिशत	5	(i) 50 प्रतिशत या अधिक – 5 अंक (ii) 35–49 प्रतिशत – 4 अंक (iii) 25–34 प्रतिशत – 3 अंक (iv) 10–24 प्रतिशत – 2 अंक (v) 10 प्रतिशत से कम – 1 अंक
viii.	पंचायत की प्रोफाइल अद्यतन की गई है या नहीं	5	हाँ – 5 अंक; नहीं – 0 अंक
ix.	केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों की तुलना में स्वयं के राजस्व स्रोतों से प्राप्त राजस्व का प्रतिशत	10	(i) स्वयं के राजस्व स्रोतों से प्राप्त राजस्व कुल राजस्व का 10 प्रतिशत या अधिक – 10 अंक (ii) 8–10 प्रतिशत – 8 अंक (iii) 6–8 प्रतिशत – 6 अंक (iv) 4–6 प्रतिशत – 4 अंक (v) 4 प्रतिशत से कम – 2 अंक
x.	नियोजित गतिविधियों में विभिन्न क्षेत्रों के बीच संतुलन (स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना, सामाजिक न्याय, जल एवं स्वच्छता)	10	प्रत्येक क्षेत्र के लिए 2 अंक; अधिकतम 10 अंक
xi.	ग्राम पंचायत विकास योजना में प्रमुख योजनाओं का समावेश	10	प्रत्येक केंद्र/राज्य योजना के लिए 2 अंक; अधिकतम 10 अंक
xii.	अन्य विभागीय योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों का समावेश	10	क्या इसे शामिल किया गया है? नहीं – 0 अंक; हाँ – 5 अंक। यदि शामिल किया गया है, तो क्या कार्य पूरा हुआ? नहीं – 0 अंक; हाँ – 5 अंक।
xiii.	भविष्य में स्वयं के राजस्व स्रोतों से आय बढ़ाने हेतु गतिविधियों का नियोजन/समावेश	3	हाँ – 3 अंक; नहीं – 0 अंक
xiv.	विभिन्न स्रोतों से निधियों के अभिसरण द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना में प्रस्तावित गतिविधियों की संख्या	10	केंद्र/राज्य की प्रत्येक प्रमुख योजना से संबंधित गतिविधि के लिए 2 अंक; अधिकतम 10 अंक
xv.	ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल बिना लागत वाली गतिविधियों की संख्या	5	(i) 10 या अधिक गतिविधियाँ – 5 अंक (ii) 8 गतिविधियाँ – 4 अंक (iii) 6 गतिविधियाँ – 3 अंक (iv) 4 गतिविधियाँ – 2 अंक (v) 2 गतिविधियाँ – 1 अंक
कुल		100	





भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय

Ministry of Panchayati Raj
Government of India

